वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2009-2010

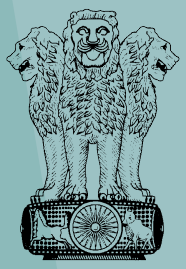

सत्यमेव जयते

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
Ministry of Minority Affairs

भारत सरकार
Government of India

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2009-2010

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

Ministry of Minority Affairs
Government of India

Web-site : www.minorityaffairs.gov.in

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
1	प्रस्तावना	1–4
2	विशिष्टताएं	5–6
3	अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम	7–9
4	भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति पर समिति की रिपोर्ट (सच्चर समिति) और अनुवर्ती कार्रवाई	10–13
5	अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) की पहचान	14–15
6	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसडीपी)	16–19
7	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	20
8	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	21
9	मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	22–23
10	निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध सहायता की योजना	24–25
11	प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	26–27
12	उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन	28–29
13	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान की योजना	30
14	वर्ष 2009–10 की नई योजनाएं	31–33
15	आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक	34–35
16	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	36–37
17	वक्फ प्रशासन और केन्द्रीय वक्फ परिषद	38–40
18	दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955	41–43
19	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	44–45
20	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	46–47
21	जेन्डर विशिष्ट मुद्दे और जेन्डर बजटिंग	48–49
22	सूचना का अधिकार अधिनियम	50
23	विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ वर्ष के दौरान लिए गए नीतिगत निर्णय और की गई कार्रवाई	51
24	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा संबंधी पैरा	52–53
	अनुलग्नक	54–70

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों पर बल देना सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए समग्र नीति तैयार करने, योजना, समन्वयन, मूल्यांकन, निगमित ढांचे एवं विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा समीक्षा करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का सजृन 29 जनवरी, 2006 को किया गया था।

1.2 इस मंत्रालय का कार्यभार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को सौंपा गया है। सचिव की सहायतार्थ एक अपर सचिव तथा वित्त सलाहकार (अतिरिक्त प्रभार) तथा तीन संयुक्त सचिव हैं। मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 93 है। मंत्रालय की स्वीकृत संख्या और भरे गए एंव खाली पदों को दर्शाने वाला एक विवरण **अनुलग्नक–I** पर है। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक–II** पर दिया गया है।

कार्यों का आबंटन

1.3 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 की दूसरी अनुसूची के अनुसार इस मंत्रालय को आबंटित किए गए कार्य इस प्रकार हैं :–

(i) अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विकास कार्यक्रमों तथा निगमित ढांचे पर समग्र नीति तैयार करने, योजना, समन्वय, मूल्यांकन तथा समीक्षा करना।

(ii) कानून और व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी मामले।

(iii) अन्य केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा राज्य सरकार के परामर्श से अल्पसंख्यकों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए नीति की पहलें करना।

(iv) भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय से संबंधित मामले।

(v) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम से संबंधित मामले।

(vi) शरणार्थी सम्पत्ति अधिनियम, 1950 (1950 का 31), (जो अब निरस्त हो गया है) के प्रशासन के अंतर्गत शरणार्थी वक्फ सम्पत्तियों से संबंधित कार्य।

(vii) एंगलो–इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व।

(viii) विदेश मंत्रालय के परामर्श से 1955 के पंत–मिर्जा समझौते के अनुसार पाकिस्तान में गैर–मुस्लिम पूजा स्थलों और भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों का संरक्षण और परिरक्षण करना।

(ix) विदेश मंत्रालय के परामर्श से पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रश्न।

(x) धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान, विभाग में निबटाए जा रहे विषयों से संबंधित धर्मार्थ एवं धार्मिक स्थायी निधि।

(xi) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सहित अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक संगठनों के सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक स्थिति से संबंधित मामले।

(xii) वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) और केन्द्रीय वक्फ परिषद।

(xiii) दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 (1955 का 36)

(xiv) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का वित्त प्रबंध।

(xv) अल्पसंख्यकों के लिए केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ–साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर।

(xvi) अन्य संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्शन में अल्पसंख्यकों और उनकी सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित उपाय करना।

(xvii) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के मध्य सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ।

(xviii) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम।

(xix) अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कोई अन्य विषय।

सांविधिक / वैधानिक / स्वायत्त निकाय

1.4 इस मंत्रालय के निम्नलिखित सांविधिक / वैधानिक / स्वायत्त निकाय आदि है :–

(i) आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक।

(ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।

(iii) केन्द्रीय वक्फ परिषद।

(iv) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम।

(v) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान।

(vi) दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर।

अधिनियमों का प्रशासन

1.5 यह मंत्रालय निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है :–

(i) दरगाह ख़्वाजा साहेब अधिनियम, 1955

(ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992

(iii) वक्फ अधिनियम, 1995

राजभाषा का प्रयोग

1.6 मंत्रालय द्वारा अपने सभी महत्वपूर्ण आदेश / अधिसूचनाएं द्विभाषी रूप में जारी की गई। मंत्रालय में 1 से 15 सितम्बर, 2009 के दौरान हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा पुरस्कार भी वितरित किए गए।

सतर्कता एकक

1.7 श्री अमेजिंग लुईखम, संयुक्त सचिव को अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी सहायतार्थ एक उप सचिव और एक अवर सचिव है, जो अपने नियमित कार्यों के अतिरिक्त इन कार्यों को भी देख रहे हैं। मंत्रालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन 3 से 7 नवम्बर, 2009 तक किया गया।

राष्ट्रीय एकता सप्ताह

1.8 मंत्रालय में देशभक्ति, सांप्रदायिक सद्भाव और एकता की भावना विकसित करने के लिए 19 से 25 नवम्बर, 2009 तक कौमी एकता सप्ताह (राष्ट्रीय एकीकरण सप्ताह) मनाया गया।

ई–गवर्नेंस

1.9 मंत्रालय की वेबसाइट को यूआरएल www.minorityaffairs.gov.in पर आरम्भ कर दिया गया है। मंत्रालय के कार्यकलापों और उसकी योजनाओं/कार्यक्रमों, अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के

नये 15–सूत्रीय कार्यक्रम एवं भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट से संबंधित सूचना तथा उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई, राष्ट्रीय धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट, सम्बद्ध संगठन, निविदा सूचनाएं, रोजगार संबंधी विज्ञापन, प्रैस विज्ञप्तियां, प्रगति रिपोर्टें और आंकड़े आदि उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1.10 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में मंत्रालय से सम्बद्ध सभी मामलों के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में छह पदनामित अधिकारी हैं। संबद्ध संयुक्त सचिवगण को उन्हें आवंटित कार्यों के संबंध में अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

बजट

1.11 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में मंत्रालय को इसकी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 7000 करोड़ रूपए के परिव्यय का आवंटन किया गया है। वित्त वर्ष 2009–10 में 1740 करोड़ रूपए के योजनागत बजट का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमान में 1740 करोड़ रूपए की राशि को बनाए रखा गया था। वर्ष 2009–10 के बजट आकलन में 16.50 करोड़ रूपए के गैर योजनागत बजट का प्रावधान किया गया था, जिसे बाद में 2009–10 के संशोधित आकलन में कम कर के 15.50 करोड़ रूपए कर दिया गया था। ग्यारहवीं योजना का कार्यक्रमवार परिव्यय, बजट आकलन, संशोधित आकलन तथा वर्ष 2009–10 (31 दिसम्बर, 2009 तक) के दौरान वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण **अनुलग्नक–III** में दिया गया है।

अध्याय–2

विशिष्टताएं

2.1 मंत्रालय ने दिनांक 29.1.2010 को अपने गठन के चार वर्ष पूरे कर लिए हैं।

2.2 वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान निम्नलिखित नयी योजनाएं शुरू/अनुमोदित की गईः–

(i) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।

(ii) राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण।

(iii) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना।

2.3 अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं से संबंधित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजनागत स्कीम के तहत इस मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों की एक योजना भी 04.12.2009 को शुरू की गई।

2.4 वार्षिक योजना (2009–10) का आबंटन और व्यय : 1740 करोड़ रु0 के वार्षिक योजना आवंटन (संशोधित अनुमान 1740 करोड़ रु0) में से 31 दिसम्बर, 2009 तक 1080.75 करोड़ रु0 (योजना आवंटन का 62.10 प्रतिशत) व्यय किया गया है।

2.5 मंत्रालय ने अपने गठन के समय से अपनी तीन छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के तहत अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 20 लाख छात्रवृत्तियों के आकड़े को पार कर लिया है, जैसा कि नीचे की सारणी में उल्लेख किया गया है –

वर्ष 2007–08, 2008–09 और 2009–10 (31.12.2009 तक) के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्तियों का वितरण दर्शाने वाला विवरण :–

योजनाएं	**2007–08**	**2008–09**	**2009–10 (31.12.2009 तक)**
	उपलब्धि (लाख छात्र)	**उपलब्धि (लाख छात्र)**	**उपलब्धि (लाख छात्र)**
मैट्रिक–पूर्व	–	5.13	12.19
मैट्रिकोत्तर	0.25	1.70	2.64
मेरिट–सह–साधन	0.017	0.26	0.32
कुल	**0.267**	**7.09**	**15.15**

2.6 भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के अध्ययन से संबंधित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं तथा वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति की अनुशंसाओं के अनुपालन में अधिनियम में विस्तृत संशोधन करने संबंधित एक प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

2.7 वर्ष 2009–2010 के दौरान मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि को 310 करोड़ रू0 से बढ़ाकर 425 करोड़ रु0 कर दिया गया है।

2.8 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी को वर्ष 2009–10 के दौरान बढ़ाकर 1000 करोड़ रु0 कर दिया गया है।

2.9 राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट 18 दिसम्बर, 2009 को संसद के दोनो सदनों में रखी जा चुकी है। अक्तुबर, 2004 में भारत सरकार द्वारा न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग का गठन, अन्य बातों के साथ–साथ, धार्मिक एवं भाषायी अल्पसख्यकों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु मानदंड सुझाने तथा सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण सहित उनके कल्याण संबंधी उपाय की अनुशंसा करने के लिए किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई, 2007 में प्रस्तुत कर दी थी, जिसकी समीक्षा की जा रही है।

2.10 आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक द्वारा दिनांक 28.8.2009 को आयोजित भाषायी अल्पसंख्यकों के सभी नॉडल अधिकारियों के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन सचिव (अ.का.) द्वारा किया गया। देश में 23 करोड़ भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आगाह करने की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रेड प्रदान किया गया। केरल राज्य को सर्वोत्तम ग्रेड प्रदान किया गया जिसके लिए सम्मेलन के दौरान उन्हें एक रनिंग शील्ड प्रदान की गई।

अध्याय–3

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम

3.1 अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 मई हुई थी। मई 1983 में आरम्भ इस कार्यक्रम में संशोधन कर उसे दुबारा शुरू किया गया है। इसमें निश्चित लक्ष्य सहित कार्यक्रम विशिष्ट क्रियाकलापों का प्रावधान है, जिसे निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं – (क) शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना; (ख) वर्तमान तथा नयी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समुचित भागीदारी, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और केन्द्र व राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती सुनिश्चित करना (ग) अवसंरचना विकास योजना से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना और (घ) सांप्रदायिक असामंजस्य और हिंसा का निवारण और नियंत्रण करना।

3.2 इस नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि शोषित वर्गों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों तक पहुंचे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यकों तक समान रूप से पहुंचे, नए कार्यक्रम में इन विकास परियोजनाओं के कुछ भाग को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवस्थित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जहां कहीं संभव हो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और परिव्ययों का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

3.3 इस कार्यक्रम का लक्षित समूह, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों में पात्र वर्ग हैं– मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। राज्यों में जहां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक समुदाय वास्तव में, बहुमत में है, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक/वित्तीय लक्ष्य केवल अन्य अधिसूचित समुदायों के लिए निर्धारित होंगे। ये राज्य हैं – जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इस वर्ग में केवल लक्षद्वीप ही संघ राज्य क्षेत्र है।

3.4 इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है। केन्द्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी समग्र

प्रगति की समीक्षा अन्य मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों के साथ तिमाही आधार पर की जाती है। इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा सचिवों की समिति द्वारा 6 माह में की जाती है तथा उसके बाद मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। मंत्रिमंडल ने दिनांक 31.03.2007, 31.03.2008, 30.09.2008 और 31.3.02009 को समाप्त अवधि की प्रगति की समीक्षा पहले ही कर ली है। दिशानिर्देशों में की गई परिकल्पना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रगति की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समितियां गठित करनी होती हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी ऐसे तंत्र की परिकल्पना की गई है।

अल्पसंख्यक कल्याण कार्य से जुड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिवों/सचिवों की बैठक को 14 जुलाई, 2009 को सम्बोधित करते हुए सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

3.5 नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल एवं निर्धारण योग्य योजनाओं की सूची इस प्रकार है :–

* समेकित बाल विकास सेवा योजना जिसके तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)
* सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
* स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
* स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय)

* औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)
* प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंक ऋण (वित्तीय सेवा विभाग)
* इन्दिरा आवास योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
* जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम और शहरी गरीबों को मूल सुविधाएं (आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय)

3.6 प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ किया जा रहा है। वर्ष 2009 में, सरकार ने, अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति में लोक सभा से दो सांसद और राज्य सभा से एक सांसद को शामिल करने तथा राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के सदस्यों को नामित करने की मंजूरी दी है। तथापि, राज्य स्तरीय समिति में शामिल किए गए सदस्यों में लोक सभा तथा विधान सभा के सदस्य को उन राज्यों के किसी भी अल्पसंख्यक बहुल जिले में से चुना हुआ होना चाहिए। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति के संबंध में, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सभा के एक सदस्य के साथ–साथ जो केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, उस जिले के सभी संसद सदस्य और सभी विधान सभा सदस्य इस जिला स्तरीय समिति में शामिल किए जाएंगे।

3.7 इस कार्यक्रम में वर्ष 2009–10 में तीन नई योजनाओं को शामिल किया गया है – (क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (ख) शहरी अवसंरचना एंव शासन, तथा (ग) शहरी विकास मंत्रालय की लघु एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास की योजना।

अध्याय–4

भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति पर समिति की रिपोर्ट (सच्चर समिति) और अनुवर्ती कार्रवाई

भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के संबंध में सरकार ने निर्णय लिया। सच्चर समिति की प्रमुख अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित सरकार के निर्णयों तथा कार्यान्वयन की मंत्रालयवार स्थिति इस प्रकार है :–

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को निदेश दिया गया है कि अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अधिक शाखाएं खोलें। वर्ष 2007–08 में ऐसे जिलों में 523 शाखाएं खोली गई। वर्ष 2008–09 में 537 नई शाखाएं खोली गई। वर्ष 2009–10 के लिए लक्ष्य 500 है और तीसरी तिमाही के समाप्त होने तक 502 नई शाखाएं खोल दी गई हैं। – (वित्तीय सेवा विभाग)।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पसंख्यकों को क्रेडिट सुविधा में सुधार के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण से सम्बन्धित दिनांक 5 जुलाई, 2007 के अपने मास्टर सर्कुलर में संशोधन किया है। वर्ष 2008–09 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यकों को 82000 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए– (वित्तीय सेवा विभाग)।

(iii) अग्रणी बैंकों की जिला परामर्शदात्री समितियों को अल्पसंख्यकों के ऋण आवेदनों के निस्तारण और अस्वीकरण पर नियमित निगरानी रखने के निदेश दिए गए हैं– (वित्तीय सेवा विभाग)।

(iv) जैसा कि सच्चर समिति ने कहा है, उसके अनुसार मुस्लिम समुदाय में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ेपन की समस्या के समाधान के लिए एक बहु–आयामी कार्यनीति अपनायी गयी है, जो इस प्रकार है –(मानव संसाधन विकास मंत्रालय):

(क) शिक्षकों को बेहतर वेतन, पुस्तकों के लिए सहायता में वृद्धि, शिक्षण सहायता और कम्प्यूटर तथा व्यावसायिक विषयों की शुरूआत आदि के माध्यम से मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम में संशोधन किया गया है, ताकि इसे और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। इस योजना को अब क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन मदरसा एजुकेशन के

नाम से जाना जाता है जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 325 करोड़ रु0 के आवंटन से शुरू किया गया है।

(ख) अल्पसंख्यकों के लिए स्थापित निजी प्रबंध वाले ऐसे प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता की एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना शुरू की गयी है जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 125 करोड़ रु0 के आवंटन से शुरू किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क–2005 के आलोक में सभी कक्षाओं के लिए पाठ्य–पुस्तकें तैयार की हैं।

(घ) 35 विश्वविद्यालयों द्वारा अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सामाजिक आमेलन और बहिष्कार नीति के अध्ययन हेतु केन्द्र शुरू किया है।

(ङ) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के मानदण्ड को 1 अप्रैल, 2008 से संशोधित किया गया है, ताकि 30% से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले ब्लॉकों तथा राष्ट्रीय औसत से नीचे के महिला साक्षरता वाले शहरी ब्लॉकों (53.67% : वर्ष 2001 की जनगणना) को योजना में शामिल किया जा सके।

(च) माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा तक पहुंच के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें अल्पसंख्यकों के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों पर बल दिया जा रहा है।

(छ) संशोधित योजनाओं में जन शिक्षण संस्थानों की परिकल्पना की गई है।

(ज) विद्यमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के तहत अल्पसंख्यक बहुल जिलों/ब्लॉकों में कालेजों और विश्वविद्यालयों में और अधिक बालिका छात्रावासों के प्रावधान का प्रस्ताव है।

(v) समान अवसर आयोग की संरचना और कार्यप्रणाली के अध्ययन और अनुशंसा करने के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने 13 मार्च, 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। विविधता सूचकांक पर विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के साथ ही इस रिपोर्ट पर भी स्वीकृत तौर–तरीकों के अनुसार कार्रवाई की गयी है। (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

(vi) सामाजिक–धार्मिक समुदायों के लिए विभिन्न सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदण्डों से संबंधित आंकड़ों को संकलित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में एक राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित किया गया है।

(vii) समुचित एवं सही नीतिगत निर्णय लेने के लिए एकत्र आंकड़ों के विश्लेषण के लिए योजना आयोग में एक स्वायत्त आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण स्थापित किया गया है।

(viii) सरकारी कर्मचारियों की जानकारी के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा एक प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किया गया है। माड्यूल को कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय/राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को भेजा गया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ने भी संगठित सिविल सेवाओं की जानकारी के लिए एक माड्यूल तैयार किया है जिसे उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल कर लिया गया है । (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

(ix) लघु एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल 69 नगरों के लिए 1602.20 करोड़ रूपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गयी है, जिसमें से वर्ष 2008–09 में 659.37 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए थे। (शहरी विकास मंत्रालय)

(x) संसद द्वारा असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ घरेलू कामगार भी शामिल है। (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)।

(xi) परिसीमन अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित उच्च शक्तिप्राप्त समिति ने सच्चर समिति की रिपोर्ट में व्यक्त चिंताओं पर विचार किया है तथा अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। (गृह मंत्रालय)।

(xii) गृह मंत्रालय द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव के संदर्भ में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। (गृह मंत्रालय)।

(xiii) अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी योजनाओं से सम्बन्धित सूचना का प्रसार अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं में किया जा रहा है। (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

(xiv) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य सरकारों और संघ राज्य–क्षेत्रों को सलाह दी है कि थानों में मुस्लिम पुलिस कार्मिक तथा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम स्वास्थ्य कार्यकर्ता और शिक्षकों की तैनाती करें।

(xv) पंचायती राज मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति में सुधार लाएं।

(xvi) वक्फों पर संयुक्त संसदीय समिति की अनुशंसाएं प्राप्त हो गयी है। स्वीकृत तौर–तरीकों के अनुसार इन पर कार्रवाई की गयी है। (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

(xvii) सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की पुनर्संरचना को सिद्धांततः स्वीकृति प्रदान कर दी है। (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

(xviii) अल्पसंख्यक बहुल अभिनिर्धारित 338 नगरों को तीव्र और उपयुक्त ढंग से विकसित करने की समुचित कार्यनीति और कार्ययोजना सुझाने के लिए गठित अंतर्मंत्रालयीन कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट 8 नवम्बर, 2007 को प्रस्तुत कर दी थी। सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गयी है कि वे 338 नगरों में अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दें। (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

(xix) अल्पसंख्यक समुदायों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं यथा– मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति और मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना की शुरूआत की गयी तथा वर्ष 2008–09 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को 7.09 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी हैं और वर्ष 2009–10 में 31 दिसम्बर, 2009 तक 15.15 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी हैं। (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

(xx) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की 100 करोड़ रू0 की संचित निधि को दूना कर दिसम्बर, 2006 में 200 करोड़ रूपए किया गया। संचित निधि में वर्ष 2007–08 में 50 करोड़ रू0 की तथा वर्ष 2008–09 में 60 करोड़ रू0 की वृद्धि की गयी। वर्ष 2009–10 में इसे 115 करोड़ रू0 और बढ़ाया गया है जो अब कुल 425 करोड़ रु0 है। (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

(xxi) एक संशोधित निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना शुरू की गयी थी तथा वर्ष 2008–09 में 5522 अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान की गयी और वर्ष 2009–10 में 31 दिसम्बर, 2009 तक 4657 छात्रों को सहायता दी गई है। (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

(xxii) वर्ष 2008–09 में अभिनिर्धारित अल्पसंख्यक बहुल जिलों में एक बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, बिहार, मेघालय, झारखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समुह, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, मिजोरम और जम्मू और कश्मीर में 76 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की योजनाओं को मंजूरी दी गई है तथा 31 दिसम्बर, 2009 तक 784 करोड़ रु0

अध्याय–5

अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) की पहचान

5.1 वर्ष 1987 में वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किसी जिले में 20 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की आबादी मात्र के एकल मानदंड के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल 41 जिलों की सूची तैयार की गई थी ताकि इन जिलों पर सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं पर विशेष बल दिया जा सके।

5.2 सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ समाज के पिछड़े वर्गों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2001 की अल्पसंख्यक जनगणना और पिछड़ेपन के मानदंडों के आधार पर जिलों की पहचान की गई। इसलिए वर्ष 2001 की जनगणना में पिछड़ेपन के मानकों तथा जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के आधार पर नए सिरे से कार्य किया गया :

जिला स्तर पर धर्म–विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक संकेतक :

(i) साक्षरता दर;

(ii) महिला साक्षरता दर;

(iii) कार्य में भागीदारी दर; और

(iv) महिलाओं द्वारा कार्य में भागीदारी दर

जिला स्तर पर आधारभूत सुविधा संकेतक –

(i) पक्की दीवार वाले मकानों की प्रतिशतता;

(ii) स्वच्छ पेयजल वाले मकानों की प्रतिशतता;

(iii) विद्युत सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता; और

(iv) वाटर क्लोजेट लैट्रीन सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता

5.3 यद्यपि, समग्र साक्षरता और कार्य भागीदारी दर में महिला साक्षरता और कार्य भागीदारी को शामिल किया गया है, फिर भी इन पर अलग–अलग विचार किया जाना महत्त्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये विकास स्तर मुख्यतः लिंग भागीदारी के स्वतंत्र संकेतक का निर्माण करती है।

5.4 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान का कार्य इस प्रकार किया गया है :–

(i) (क) 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल आबादी के कम से कम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों की पहचान की गई।

(ख) 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों और 20% से अधिक किन्तु 25% से कम अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों की पहचान की गई।

(ग) 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां अल्पसंख्यक समुदाय बहुलता में है, उन जिलों की पहचान की गई जहां अल्पसंख्यक आबादी 15% तक है किन्तु उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय बहुलता में नहीं है।

(ii) इसके बाद, "पिछड़ेपन" के संदर्भ में इन जिलों की स्थिति का मूल्यांकन सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा संकेतक को ध्यान में रखकर किया गया। वर्ष 2007 में वर्ष 2001 की जनगणना में पिछड़ेपन के मानकों और जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों, जहां अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी है तथा जो सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा संकेतक की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे और परस्पर पिछड़े हैं, की पहचान की गई। अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में से 53 जिलों को "ए" श्रेणी में रखा गया है। "ए" श्रेणी के जिले सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानक की दृष्टि से पिछड़े हैं। शेष 37 जिले "बी" श्रेणी में हैं जिनमें से 20 जिले सामाजिक–आर्थिक मानदंड की दृष्टि से और 17 जिले आधारभूत सुविधा मानदंड की दृष्टि से पिछड़े है। इन्हें क्रमशः उपश्रेणी "बी 1" और "बी 2" में रखा गया है। इन जिलों की सूची **अनुलग्नक–IV** (क), (ख) और (ग) में है।

5.5 इन जिलों में अपर्याप्त विकास के निर्धारण के लिए भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली को आधारभूत सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है। सर्वेक्षण कार्य आईसीएसएसआर, नई दिल्ली से सम्बद्ध अनुसंधान संस्थानों द्वारा किया गया है।

अध्याय–6

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसडीपी)

6.1 इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए आधारभूत सुविधा के सामाजिक–आर्थिक मानदंडों में सुधार लाना तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यक बहुल जिलों में असंतुलन को कम करना है। अभिनिर्धारित "अपर्याप्त विकास" की समस्या का समाधान जिला विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से स्कूल और माध्यमिक शिक्षा, स्वच्छता, पक्के मकानों, पेयजल और विद्युत आपूर्ति के लिए बेहतर अवसंरचना के प्रावधान के साथ–साथ आय सृजक गतिविधियों के लिए लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के माध्यम से किया जाएगा। विकास प्रक्रिया को गति देते हुए आय सृजक गतिविधियों और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अपेक्षित सम्पर्क सड़क, आधारभूत स्वास्थ्य अवसंरचना, समन्वित बाल विकास सेवा केन्द्र, कौशल विकास और विपणन सुविधा आदि जैसे नितांत आवश्यक और अवसंरचना श्रृंखला को योजना के तहत शामिल किया जा सकेगा। कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों के ग्रामीण और अर्द्धग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा।

6.2 कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक कार्य/कल्याण कार्य से जुड़े विभाग द्वारा लाइन विभागों/एजेंसियों को सौंपी गई परियोजनाओं के माध्यम से किया जाएगा। बहुक्षेत्रीय विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए जहां कहीं तंत्र स्थापित है, पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया जाएगा। तथापि, राज्य यह निर्णय ले सकता है कि परियोजना का संचालन अर्हता प्राप्त, ख्याति प्राप्त और अनुभव प्राप्त एजेंसी के साथ–साथ विख्यात एवं स्वीकार्य गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कराए, जिसके औचित्य से संबंधित विवरण का उल्लेख प्रस्ताव में किया जाएगा।

6.3 इस कार्यक्रम के तहत नए पदों के सृजन की कड़ाई से मनाही है। राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि कार्यक्रम के तहत सृजन हेतु प्रस्तावित परिसंपत्तियों के संचालन के लिए अपेक्षित स्टाफ या तो पहले से उपलब्ध हो या उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

6.4 कथित जिले में कार्यान्वित किसी भी केन्द्र प्रायोजित योजना के दिशा–निर्देशों में कोई बदलाव नहीं होगा जिसके लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना अतिरिक्त धन उपलब्ध कराएगी। जहां तक संभव होगा कार्यक्रम के तहत उपयुक्त सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना उपलब्ध कराने पर बल दिया जाएगा न कि व्यक्तिगत लाभार्थी को लक्षित किया जाएगा। यदि कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत

लाभार्थियों के लिए योजनाओं को शुरू किया जाता है तो जिले में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची से लाभार्थियों के चयन हेतु वर्तमान मानकों से कोई भी विचलन नहीं होगा ताकि अतिरिक्त धनराशि से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को भी लाभ हो और न कि केवल चयनित अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों को। किसी जिले की बहु–क्षेत्रीय जिला विकास योजना की तैयारी इस ढंग से की जाएगी कि इन जिलों को 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल योजनाओं में स्थान दिया जा सके।

मणिपुर के सेनापति जिले में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत निर्मित प्राइमरी स्कूल में स्कूली बच्चे

6.5 इन जिलों में 'अपर्याप्त विकास' के निर्धारण के लिए भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) को आधारभूत सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है। सर्वेक्षण कार्य आईसीएसएसआर, नई दिल्ली से सम्बद्ध अनुसंधान संस्थानों द्वारा किया गया है। किसी जिले की बहु–क्षेत्रीय जिला विकास योजना की तैयारी इस ढंग से की जाएगी कि इन जिलों को 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल योजनाओं में स्थान दिया जा सके।

6.6 सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन को वित्तीय सहायता उपयुक्त किश्तों में 100% अनुदान आधार पर दी जाएगी जो स्वीकृत बहुक्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार की गई संतोषजनक प्रगति से कड़ीबद्ध होगी। कार्यक्रम के तहत धनराशि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल स्वीकृत जिला विकास योजनाओं के आधार पर जारी की जाएगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सहायता हेतु एक

बार प्रस्ताव के अनुमोदित हो जाने पर पहली किश्त जारी की जाएगी। धनराशि का जारी किया जाना राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासनों से मिली निम्नलिखित प्रतिबद्धताओं पर आधारित होगा :–

(क) यदि गठन नहीं हुआ है तो अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाना।

(ख) यदि गठन नहीं हुआ है तो अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना।

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक विभाग को अधिसूचित किया जाना जो अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी योजनाओं की स्पष्ट जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके।

(घ) उस विभाग में एक ऐसे प्रकोष्ठ का गठन किया जाना जो विशेषकर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन, उसकी निगरानी, रिर्पोटिंग और मूल्यांकन कर सके। यह प्रकोष्ठ सूचना प्रोद्योगिकी संबंधी सुविधाओं से सज्जित होगा।

(ड.) यह सुनिश्चित करना कि अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए उपलब्ध करायी गई निधि इन जिलों के लिए अतिरिक्त संसाधन है जो जिलों में पहले से प्रवाहित राज्य सरकारों की निधियों का स्थान नहीं ले सकती। अल्पसंख्यक बहुल जिलों से निधियों के विचलन को रोकने के लिए सम्बद्ध जिलों में पिछले वर्ष के निधि प्रवाह को निर्देशचिन्ह के तौर पर लिया जाएगा।

(च) इस बात से सहमत होना कि ऐसी केन्द्रीय योजनाओं/कार्यक्रमों में राज्य के हिस्से को जिले की अपेक्षा अनुसार उपलब्ध कराना जिन्हें उस राज्य में प्रमुखता दी जा रही हो।

(छ) इस बात से सहमत होना कि इस कार्यक्रम के तहत सृजित भौतिक संपत्तियों का संचालन और उनका रख–रखाव किया जाएगा।

अल्पसंख्यक बहुल जिलों के संसद सदस्यों के साथ बैठक बाएं से
सुश्री (डॉ.) सैयदा साइदेन हमीद, सदस्य, योजना आयोग
श्री हरीश रावत, माननीय राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्री सलमान खुर्शीद, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
श्री विवेक महरोत्रा, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

निगरानी तंत्र

6.7 अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति तथा उपायुक्त/क्लेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति इस कार्यक्रम के लिए समिति के रूप में कार्य करेगी। जिला स्तरीय समिति अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए विकास योजना तैयार करेगी। जिला और राज्य स्तरीय दोनों समितियां यह सुनिश्चित करेंगी कि योजनाओं का कोई दोहरीकरण नहीं है, निधि का विचलन नहीं है तथा निधि का स्तर पिछले वर्ष की तुलना में कम नहीं है और इस कार्यक्रम की धनराशि योजनाओं के कार्यान्वयन की पर्याप्त निगरानी के लिए पर्याप्त है।

6.8 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में 'एमएसडीपी शक्ति प्रदत्त समिति' जिला योजनाओं के तहत परियोजनाओं का आकलन, उनकी अनुशंसा और उन्हें स्वीकृति प्रदान करेगी। शक्तिप्रदत्त समिति केन्द्र स्तर पर निगरानी समिति के रूप में भी कार्य करेगी तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निगरानी समिति का कार्य करेगी।

कार्यान्वयन की स्थिति

6.9 बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम वर्ष 2008–09 में शुरू किया गया था। वर्ष 2008–09 के दौरान अल्पसंख्यक बहुल 47 जिलों से संबंधित योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई तथा 270.85 करोड़ रु0 की राशि जारी की गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक बहुल 29 जिलों की जिला योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई तथा 31 दिसम्बर, 2009 तक 513 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं। इस प्रकार गठन के समय से लेकर 31 दिसम्बर, 2009 तक अल्पसंख्यक बहुल 76 जिलों की योजनाओं का स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और 784 करोड़ रु0 की राशि जारी की गई है। ब्यौरे **अनुलग्नक–V** में हैं।

अध्याय–7

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना

7.1 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना को 30 जनवरी, 2008 को स्वीकृति मिली थी। यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से केन्द्र और राज्य के मध्य 75:25 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी से एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से होता है। मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्रों को पिछली अंतिम परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए होने चाहिए तथा उनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7.2 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दौरान 25 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु 1400 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इनमें से 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित है। वर्ष 2009–10 (31.12.2009 तक) के दौरान 128.94 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई तथा 12.19 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। इनमें से 48.24 प्रतिशत छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए थी।

7.3 वर्ष 2008–09 के दौरान 5.13 लाख छात्रवृत्तियों के वार्षिक उपलब्धि की तुलना में दिसम्बर, 2009 के अंत तक 12.19 लाख छात्रवृत्तियों की उपलब्धि महत्वपूर्ण रूप से अधिक है।

7.4 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तीनों छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत विभिन्न मानदंडों का तुलनात्मक विवरण **अनुलग्नक–VI** में है।

अध्याय–8

मैट्रिकोत्तर–पूर्व छात्रवृत्ति योजना

8.1 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की शुरूआत नवम्बर, 2007 में 100% केन्द्रीय सहायता से केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में हुई थी जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से होता है। यह छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज तथा आवासीय सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज तथा सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा पारदर्शी ढंग से अधिसूचित चुनिंदा एवं पात्र निजी संस्थानों में अध्ययन के लिए दी जाती है। पिछली अंतिम परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए ऐसे छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं जिनके माता–पिता/संरक्षकों की वार्षिक आय 2 लाख रूपए से अधिक न हो। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित होती हैं। यदि पर्याप्त संख्या में छात्राएं उपलब्ध नहीं है तो इन्हें पात्र छात्रों को दे दी जाती है।

8.2 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1150 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2009–10 (31.12.2009 तक) के दौरान 2.64 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 99.42 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई जिनमें से 56.55% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए थीं।

8.3 वर्ष 2008–09 के दौरान 1.70 लाख छात्रवृत्तियों की वार्षिक उपलब्धि की तुलना में दिसम्बर, 2009 तक 2.64 लाख छात्रवृत्तियों की उपलब्धि महत्वपूर्ण रूप से अधिक है।

अध्याय–9

मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

9.1 केन्द्र सरकार द्वारा मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007–08 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकें।

9.2 यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत केन्द्रीय स्तर पर 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जाता है। योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रत्येक वर्ष पूरे देश में नवीकरण के अतिरिक्त 20,000 तक नई छात्रवृत्तियां वितरित की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य छात्रवृत्तियों का वितरण राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार आबादी पर आधारित होता है।

9.3 योजना के तहत तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सूचीबद्ध भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे 70 संस्थानों में अध्ययन के लिए पूरे पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। गैर–सूचीबद्ध संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को प्रतिवर्ष 20,000 रू0 पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त छात्रावास में रहने वाले छात्रों को प्रति वर्ष 10,000 रूपए और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष 5,000 रूपए की राशि का अनुरक्षण भत्ता दिया जाता है।

9.4 इस योजना के लिए पात्रता यह है कि छात्र को कम से कम 50% अंक अर्जित किया होना चाहिए और छात्र के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 30% छात्रवृत्तियां प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए आरक्षित होती हैं जिन्हें महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में छात्रों को दे दिया जाता है।

9.5 इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु 600 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की गई है।

9.6 इस योजना के शुरूआत के समय से अब तक वास्तविक और वित्तीय दृष्टि से उपलब्धि इस प्रकार रही है –

वर्ष	**लक्ष्य**	**स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या**	**धनराशि (करोड़ रु0 में)**
2007–08	20,000	17,258	40.80
2008–09	35,000	26,195	64.73
2009–10 (31.12.2009 तक)	42,000	31,911	84.65
योग	**97,000**	**75,364**	**190.18**

9.7 इस योजना के कार्यान्वयन का यह तीसरा वर्ष है। इस वर्ष के दौरान इस छात्रवृत्ति योजना का विस्तार 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तक रहा है, जबकि पिछले दो वर्ष के दौरान इस योजना का विस्तार क्रमशः 28 और 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तक था।

अध्याय–10

निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध सहायता की योजना

10.1 अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से स्थानांतरित "निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना" नामक योजना को संशोधित कर जुलाई, 2007 में आरम्भ किया गया है। योजना को 16.10.2008 से और संशोधित किया गया। यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे केन्द्र से शत–प्रतिशत सहायता प्राप्त होती है तथा मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों द्वारा अनुशंसित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

10.2 इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों और अभ्यर्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना है ताकि वे सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सके तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश पा सके तथा पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए इन संस्थानों में सुधारात्मक कोचिंग प्राप्त कर सके।

छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए पात्रता

10.3 छात्रों/अभ्यर्थियों को अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए। उनके माता–पिता/अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रु0 से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रों/अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित शैक्षिक योग्यता और कोचिंग पाठ्यक्रमों के लिए निष्पादन क्षमता होनी चाहिए।

10.4 कोचिंग के प्रकार और प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता

क्र.सं.	कोचिंग के प्रकार	कोचिंग संस्थानों के लिए कोचिंग शुल्क	छात्रों/अभ्यर्थियों के लिए वृत्तिका राशि
	I	II	III
1.	ग्रुप 'क' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा 20,000 रू0	बाहरी अभ्यर्थियों के लिए 1500 रु0 और स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए 750 रु0
2.	ग्रुप 'ख' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा 15,000 रू0	–– तदैव ––

क्र.सं.	कोचिंग के प्रकार	कोचिंग संस्थानों के लिए कोचिंग शुल्क	छात्रों / अभ्यर्थियों के लिए वृत्तिका राशि
	I	II	III
3.	ग्रुप 'ग' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा 10,000 रू0	–– तदैव ––
4.	तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा 20,000 रू0	–– तदैव ––
5.	निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए कोचिंग	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा 20,000 रू0	–– तदैव –
6.	तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के लिए सुधारात्मक कोचिंग / शिक्षण	तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को अतिरिक्त टयूशन कक्षाओं के लिए संस्थान द्वारा यथाप्रभारित	लागू नहीं
7.	रेलवे तथा पुलिस / सुरक्षा बलों में आरक्षी और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए कोचिंग (अधिकतम पाँच दिन की अवधि के लिए)	समिति द्वारा निर्धारित और संस्थान द्वारा यथाप्रस्तावित सामान्य दर पर	बाहरी अभ्यर्थियों के लिए 100 / – और स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए 50 / –

10.5 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में 20,000 छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 45 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2009–10 (31.12.2009 तक) के दौरान 18 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में 38 संस्थानों को 4,657 छात्रों को कोचिंग देने के लिए 7.17 करोड़ रूपए जारी किये गए थे।

अध्याय–11

प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना

11.1 प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना नवम्बर, 2007 में शुरू की गई थी जिसके तहत संस्थानों/संगठनों को अल्पसंख्यकों की समस्याओं/अपेक्षाओं से संबंधित उद्देश्यपरक अध्ययन करने के साथ–साथ योजना की समवर्ती निगरानी और सर्वेक्षण करने के लिए व्यावसायिक प्रभार प्रदान किया जाता है।

11.2 योजना के तहत अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंद्ध में जागरूकता लाने हेतु सूचनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए समाचार–पत्र, आकाशवाणी और टेलीविजन के माध्यम से मल्टीमीडिया अभियान का प्रावधान है।

11.3 योजना के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के मध्य 4 दिसम्बर, 2009 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के अनुसार राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन का कार्य 150 राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों की नियुक्ति के माध्यम से करेगा।

4 दिसम्बर, 2009 को श्री उपेन्द्र त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तथा श्री एन.सी. वासुदेवन, महा निदेशक, राष्ट्रीय अत्पादकता परिषद के बीच समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान – कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सलमान खुर्शीद, माननीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा की गई।

11.4 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को रेल मंत्रालय और डाक विभाग में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व संबंधी विशेष अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान से रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

11.5 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी मानवाधिकार सामाजिक मंच, नई दिल्ली को मेधावी अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के कार्यान्वयन संबंधी प्रभाव अध्ययन का कार्य सौपा गया था। रिपोर्ट का प्रारूप प्राप्त हो गया है, जिसकी समीक्षा की जा रही है।

मीडिया अभियान

11.6 डीएवीपी के सहयोग से एक वार्षिक मीडिया प्लान तैयार किया गया था तथा वर्ष 2009–10 के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा मल्टीमीडिया अभियान चलाया गया था। मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं, निःशुल्क कोचिंग तथा सामाजिक आमेलन विषय पर डी ए वी पी के माध्यम से वर्ष 2009–10 में (31.12.2009 तक) देश भर में अंग्रेजी में 147, हिन्दी में 447, उर्दू के राष्ट्रीय समाचारों में 261 और स्थानीय भाषा के सामाचार–पत्रों में 303 विज्ञापन प्रकाशित कराए गए। आकाशवाणी के राष्ट्रीय समाचारों, विविध भारती, एफएम और क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर हिन्दी और स्थानीय भाषा में रेडियो जिंगल्स प्रसारित कराए गए। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क (डीडी–1) और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से टेलीविजन कमर्शियल जिंगल्स भी प्रसारित कराए गए।

अध्याय–12

उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन

12.1 मंत्रालय को चालू वित्त वर्ष के लिए विभिन्न योजनागत स्कीमों के लिए 1740 करोड़ रू0 आबंटित किए गए हैं। इसमें से 161.50 करोड़ रू0 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। योजनावार आबंटन इस प्रकार हैं :–

क्रम सं.	योजना का नाम	उद्दिश्ट राशि (रु0 करोड़ में)
1.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	12.50 करोड़ रू0
2.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और सम्बद्ध योजना	1.20 करोड़ रू0
3.	प्रचार सहित विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन निगरानी और मूल्यांकन की योजना	0.30 करोड़ रू0
4.	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान	0.20 करोड़ रू0
5.	व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मैरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	10.00 करोड़ रू0
6.	अल्पसंख्यक बहुल 90 चुनिन्दा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	100.00 करोड़ रू0
7.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	20.00 करोड़ रू0
8.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	15.00 करोड़ रू0
9.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	1.50 करोड़ रू0
10.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	0.80 करोड़ रू0
	योग	**161.50 करोड़ रु0**

12.2 देश भर में 77 गैर–सरकारी संगठनों को कुल 10.55 करोड़ रु0 की वित्तीय सहायता में से मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में एक गैर–सरकारी संगठन को 10 लाख रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया।

12.3 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एंव वित्त निगम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यकों को ऋण की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एंव वित्त निगम की योजनाओं का संचालन अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम राज्यों को छोड़कर शेष पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से होता है। सावधि और माइक्रो ऋण योजना के तहत 31 दिसम्बर, 2009 तक पूरे देश में अल्पसंख्यकों को दिए गए 1308.70 करोड़ रू0 के ऋण में पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा 104.81 करोड़ रूपये (8%) रहा, जो 33032 लाभार्थियों के लिए था। वर्ष 2009–10 में देश में कुल 309.45 करोड़ रू0 के आबंटन में से 34.66 करोड़ रू0 (11.20%) का आबंटन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किया गया है तथा 31 दिसम्बर, 2009 तक 12.97 करोड़ रू0 की राशि जारी की गई है।

अध्याय–13

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान की योजना

13.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से करता है। ये एजेंसिया सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा पदनामित है जो लाभार्थियों की पहचान, ऋणों का सूत्रबद्ध और लाभार्थियों से वसूली का कार्य करती है। तथापि, अधिकांश राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना बहुत कमजोर है जिस कारण उनकी प्रदानगी प्रणाली भी कमजोर है। फलस्वरूप, एनएमडीएफसी के कार्य का विस्तार और कार्य निष्पादन में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक इन एजेंसियों की अवसंरचना में सुधार न लाया जाए।

13.2 मंत्रालय ने वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों में सुधार के लिए उन्हें सहायता अनुदान देने की योजना शुरू की थी। योजना के तहत 90% व्यय का वहन केन्द्र सरकार द्वारा और 10% व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना होता है।

अध्याय–14

वर्ष 2009–10 की नई योजनाएं

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना

14.1 यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित की गई। इस योजना के माध्यम से ऐसी महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें सशक्त किया जाएगा ताकि वे अपने घर और समुदाय की दहलीज से बाहर आ सके तथा सेवा, कौशल और अवसर प्राप्ति के संदर्भ में नेतृत्व की भूमिका अदा कर सके।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

14.2 इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को एम०फिल० तथा पी०एचडी० जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करने का है। इस योजना के तहत वे सभी विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल होंगे जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त हो तथा इसका कार्यान्वयन अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से किया जाएगा। ये अध्येतावृत्ति यू०जी०सी० अध्येतावृत्ति की तर्ज पर होगी तथा एम०फिल० तथा पी०एचडी० पाठ्यक्रमों में अनुसंधान करने वाले छात्रों को दी जाएगी। 30% अध्येतावृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटीकरण

14.3 वक्फ परिसंपत्ति पूरे देश भर में फैली है, किन्तु अधिकांश राज्यों में वक्फ परिसंपत्तियों का प्रभावी सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ योजनाओं के लिए पर्याप्त आय सुनिश्चित करने हेतु वक्फ परिसंपत्तियों को व्यापक रूप से विकसित करने की संभावनाएं है।

14.4 वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति ने अपने नवें प्रतिवेदन में राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्डों के कम्प्यूटरीकण की अनुशंसा की थी।

माननीय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद द्वारा राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना की शुरूआत तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृति योजना की शुरूआत

14.5 वक्फ भूमि के रिकार्डों के रख–रखाव को कारगर बनाने, सामाजिक लेखा परीक्षा और पारदर्शिता लाने तथा वक्फ बोर्डों के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण तथा वेबआधारित सिंगल सेन्ट्रलाज्ड एप्लीकेशन विकसित करने की दृष्टि से केन्द्रीय वित्तीय सहायता से राज्य वक्फ बोर्डों, जम्मू कश्मीर सहित, के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की अनुशंसा वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई थी। इस प्रस्ताव को 25 नवम्बर, 2009 को स्वीकृति मिली थी। वर्ष 2009–10 के बजट अनुमान में इस योजना के लिए 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

14.6 वक्फ परिसंपत्तियों के कम्प्यूटरीकरण और प्रबंधन की योजना के उद्देश्य व्यापक हैं, जो इस प्रकार हैं –

(i) परिसंपत्ति पंजीकरण प्रबंध

(ii) मुतावली रिटर्न्स मैनेजमेंट

(iii) परिसंपत्तियों को पट्टे पर दिए जाने संबंधी प्रबंध

(iv) वाद निस्तारण प्रबंध

(v) प्रलेख आदान–प्रदान प्रबंध

(vi) वक्फ परिसंपत्तियों की भौगोलिक सूचना प्रणाली संबंधी प्रबंध

(vii) मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, इमामों, मुआज्जिनों, विधवाओं, बालिका विवाहों, छात्रवृत्तियों, स्कूलों, अस्पतालों, औषधालयों, मुसाफिरखानों, कौशल विकास केन्द्रों आदि से संबंधित कोष प्रबंध

(viii) शहरी वक्फ परिसंपत्तियों के विकास के लिए ऋण प्रबंध

14.7 कम्प्यूटरीकरण की योजना एक समान रूप से सभी 29 राज्य वक्फ बोर्डों तथा जम्मू कश्मीर जैसे अन्य वक्फ बोर्ड के लिए लागू होगी जिसके लिए धन उपलब्ध होने की स्थिति में वित्तीय सहायता हेतु विशेष अनुरोध किया जाएगा। वर्ष 2010–11 और वर्ष 2011–2012 के दौरान दो वर्षों की अवधि के लिए परियोजना के तहत वक्फ बोर्डों द्वारा कुछ कम्प्यूटर कार्मिकों को भाड़े पर लेने तथा नई प्रणाली को स्थिर करने और वक्फ बोर्ड के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए न्यूनतम वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए धनराशि राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र अथवा उनके नामिति और राज्य वक्फ बोर्डों को सीधे जारी की जाएगी। उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबद्ध राज्य सरकारों के माध्यम से व्यय कर लिए जाने के बाद वक्फ बोर्डों द्वारा भेजी जाएगी।

अध्याय–15

आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक

15.1 राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप, सविधान के अनुच्छेद 350–ख के प्रावधानों के अनुसरण में भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कार्यालय का गठन जुलाई, 1957 में हुआ था। अनुच्छेद 350–ख के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वे भारत में संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करें और ऐसे अंतराल पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे जैसा की राष्ट्रपति निर्देश दें और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे और इन्हें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारों/प्रशासनों को भी भिजवाएंगे। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद में है, जिसके साथ तीन क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, बेलगांव और चैन्नई में है। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त, इन अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक उपबंधों और राष्ट्रीय स्तर पर तय सुरक्षापायों के क्रियान्वयन के संबंध में आयी शिकायतों के उन मामलों को निपटाता है और इन्हें राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के उच्चतम स्तर के राजनैतिक और प्रशासनिक समूहों की जानकारी में लाता है और उन पर सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है। अभी तक भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की 44 रिपोर्टों को संसद में पेश किया गया है।

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक रक्षोपाय

15.2 भारत के संविधान के अंतर्गत, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को कुछ रक्षोपाय प्रदान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा करने और उनकी भाषा, संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार तथा अपनी पंसद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने व उन्हें चलाने का अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए शासकीय मान्यता देने हेतु राष्ट्रपति निदेश दे सकते हैं जैसा कि वो निर्दिष्ट करें। अनुच्छेद 350, सरकार के किसी भी प्राधिकारी को अपनी शिकायत निवारण के लिए राज्यों/संघ में प्रयोग की जानी वाली किसी भी भाषा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 350–क में भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा को मातृ भाषा में देने के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद

350–ख में संविधान के तहत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान है।

15.3 भारत के भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 45वीं रिर्पोट प्रस्तुत कर दी है। दिनांक 07 जून, 2009 को आयुक्त श्री सुरेश ए. केसवानी के कार्यकाल की समाप्ति के बाद मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री उपेन्द्र त्रिपाठी इस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नॉडल अधिकारियों/शिक्षा सचिवों का सम्मेलन

15.4 भाषायी अल्पसंख्यकों के प्रति राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को सुग्राही बनाने के लिए नई दिल्ली में दिनांक 28.8.2009 को सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नॉडल अधिकारियों तथा शिक्षा सचिवों के सम्मेलन का पहली बार आयोजन किया गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध सांविधिक रक्षोपायों का व्यापक प्रचार–प्रसार करें तथा आवश्यक प्रशासनिक उपाए करें। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक ने भाषा और संस्कृति के परिरक्षण के लिए सरकारी प्रयासों पर जोर देने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम आरम्भ किया।

15.5 भाषायी अल्प्संख्यकों के लिए रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्ठ निष्पादन के लिए केरल राज्य सरकार को एक रनिंग शील्ड तथा प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया। विभिन्न स्तर पर प्रशासकों के मध्य जागरूकता लाने की दृष्टि से ऐसा प्रत्येक वर्ष किया जाएगा, अर्थात् प्रति वर्ष किसी राज्य सरकार को रनिंग शील्ड और प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

15.6 आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक ने 21.2.2009 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया। देश के विभिन्न भागों से अनेक भाषायी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में भाग लिया।

अध्याय–16

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

16.1 भारत सरकार ने जनवरी, 1978 में, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष आदेश के माध्यम से ''अल्पसंख्यक आयोग'' गठित किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया और इसे ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग'' का नाम दिया गया।

16.2 पहले सांविधिक आयोग का गठन 17 मई 1993 को किया गया था। भारत सरकार ने 23 अक्तूबर 1993 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत पाँच धार्मिक समुदायों अर्थात मुसलमानों, ईसाईओं, सिखों, बौद्धों तथा पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया है।

16.3 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और केन्द्र सरकार द्वारा ख्यातिप्राप्त और सामर्थ्यवान और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से नामित 5 सदस्य होंगे। परन्तु अध्यक्ष सहित सभी 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 4(1) के अनुसार अध्यक्ष सहित सभी सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

16.4 आयोग के मुख्य कार्य अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उपबंधित और केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विधियों में दिए गए रक्षोपायों के कार्यकरण को मानीटर करना और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच करना है। यह आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी करता है और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षापायों के प्रभावी कार्यान्वयन की अनुसंशा भी करता है।

16.5 वर्तमान आयोग की दिनांक 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार संरचना इस प्रकार है –

क्र.सं.	नाम और पद धारण	कार्यभार संभालने की तिथि	कार्यकाल समाप्ति की तिथि	समुदाय जिससे संबंधित हैं
1.	श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, अध्यक्ष	03.09.2007	02.09.2010	मुस्लिम
2.	डॉ. एच टी संगलियाना, उपाध्यक्ष	15.12.2009	14.12.2012	इसाई
3.	डॉ. (सुश्री) महरू धुनजीशा बेंगाली, सदस्य	11.4.2007	10.4.2010	पारसी
4.	श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल, सदस्य	06.3.2009	05.3.2012	सिख
5.	श्रीमती स्पालजेस ऐंग्मो, सदस्य	06.3.2009	05.3.2012	बौद्ध
6.	रिक्त			
7.	रिक्त			

16.6 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। इस अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और इसमें उल्लिखित केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ज्ञापन, इन सिफारिशों में से किसी सिफारिश को स्वीकार न किए जाने के कारणों सहित, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी होती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9 (3) के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सिफारिशों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संसद के दोनों सदनों को भेजा जाता है।

16.7 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वर्ष 1992–93 से वर्ष 2006–07 तक 14 वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की प्रथम तीन वार्षिक रिपोर्टों को इस मंत्रालय के गठन से पहले ही अनुवर्ती कार्रवाई ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों में रख दिया गया था। इस मंत्रालय के गठन के बाद की गई कार्रवाई ज्ञापन सहित 10 वार्षिक रिपोर्टों को उनमें की गई अनुशंसाओं के साथ वर्ष 2006–07 के दौरान संसद में रखा गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वर्ष 2006–07 और 2007–08 की वार्षिक रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है।

राज्य अल्पसंख्यक आयोग

16.8 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तामिलनाडू और पश्चिम बंगाल आदि 13 राज्य सरकारों ने सांविधिक आयोगों का गठन कर लिया है। मणिपुर और उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने असांविधिक आयोगों का गठन किया है।

अध्याय–17

वक्फ प्रशासन और केन्द्रीय वक्फ परिषद

17.1 यह मंत्रालय वक्फ अधिनियम, 1995 (पहले वक्फ अधिनियम, 1954) के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, जो 01 जनवरी, 1996 से लागू है। यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। अधिनियम के अंतर्गत जम्मू–कश्मीर को छोड़कर जिसका अपना अधिनियम है, 29 राज्यों ने वक्फ बोर्ड स्थापित कर लिए हैं। राज्य वक्फ बोर्डों की सूची **अनुलग्नक–VII** के रूप में संलग्न है।

केन्द्रीय वक्फ परिषद

17.2 देश में वक्फ परिसंपत्तियों के समुचित प्रशासन और राज्य वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली से जुडे मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने के प्रयोजन से वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 8–क (अब वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–9 की उपधारा–1) के तहत दिसम्बर, 1964 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन स्थापित केन्द्रीय वक्फ परिषद एक सांविधिक निकाय है। इसलिए यह परिषद देश में वक्फ के उद्देश्यों को ठीक ढंग से समझने और इसके हितों को बढावा देने हेतु आम मुददों को उठा रहा है। केन्द्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री केन्द्रीय वक्फ परिषद के पदेन अध्यक्ष है।

17.3 परिषद अपने उद्देश्यों के अनुसार मुददों को उठाने के साथ–साथ निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से समाज की विकास प्रक्रिया में भाग लेता आ रहा है :

(i) शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास संबंधी योजना खाली पड़ी वक्फ भूमि को अतिक्रमणों से बचाने तथा इसके विकास के लिए अधिक से अधिक आय प्राप्त करने, ताकि वक्फ के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सके, को ध्यान में रखते हुए, परिषद इस योजना को 1974–75 से चला रही है और केन्द्र सरकार इसके लिए वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न वक्फ संस्थानों को वक्फ भूमि पर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य परियोजनाएं यथा वाणिज्यिक परिसर, मैरिज हॉल, अस्पताल, शीतसंग्रहागार आदि शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। योजना के तहत भारत सरकार ने मंत्रालय के गठन के समय से कुल 33.16 करोड़

रूपए राशि का सहायता अनुदान जारी किया है। परिषद के पास उपर्युक्त 1.02 करोड़ रूपए की शेष राशि थी जिसे रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पूरा–पूरा उपयोग में ले लिया गया।

केन्द्रीय वक्फ परिषद से प्राप्त ऋण सहायता से निर्मित
जामिया अरबिया कसरगोड (केरल) अस्पताल भवन

(ii) **लघु परियोजनाएः** परिषद द्वारा वक्फ संस्थानों को संवितरित राशि का पुनर्भुगतान 2 वर्ष के स्थगन के बाद 20 अर्धवार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान किया जाना होता है। ऋण प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा परिषद को वापस चुकाई गई ऋण राशि से परिषद के रिवाल्विंग फंड का निर्माण होता है। इस योजना के तहत परिषद ने 1986–87 से दिसम्बर, 2009 तक 90 परियोजानाओं के लिए 491.89 करोड़ रूपए की राशि का ऋण दिया है जिनमें 66 परियोजनाए पूर्ण हो चुकी हैं और 24 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

(iii) **शैक्षिक योजनाएं :** परिषद द्वारा प्राप्त सहायता–अनुदान ऋण प्राप्तकर्ता वक्फों को ब्याजमुक्त ऋण के रूप में शहरी वक्फ परिसंपत्तियों के विकास के लिए जारी किया जाता है, जबकि परिषद योजना के तहत कार्यरत कार्मिकों पर होने वाले समस्त व्यय तथा कागज, डाक खर्च आदि जैसे अन्य व्ययों को वहन करता है। परिषद द्वारा प्रदान की जा रही इस सेवा हेतु ऋण प्राप्तकर्ता संस्थानों के समक्ष दो शर्तें रखी गई हैं – (i) वे

परिषद की शैक्षिक निधि के लिए बकाया ऋणों पर 6% संदान करेंगे तथा (ii) ऋण का पुनर्भुगतान होने के बाद वे अपनी बढ़ी हुई आय का 40% मुस्लिमों की शिक्षा विशेषकर तकनीकी शिक्षा पर व्यय करेंगे।

17.4 शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए ऋण प्राप्तकर्ता वक्फों से शेष ऋण पर प्राप्त 6% संदान तथा शैक्षिक निधि से रिवाल्विंग फंड को बैंक जमा पर अर्जित ब्याज का उपयोग निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए किया जाता है :–

(i) सम्बद्ध राज्यों में तकनीकी/व्यावसायिक/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की शिक्षा पा रहे छात्रों तथा विद्यालय के छात्रों, मदरसा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य वक्फ बोर्डों को तदनुरूप अनुदान;

(ii) मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु अनुदान;

(iv) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता;

(v) पुस्तकालयों को बुक बैंक के विकास के लिए वित्तीय सहायता।

अध्याय–18

दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955

18.1 यह अधिनियम दरगाह और दरगाह ख्वाजा साहब मोईनुद्दीन चिश्ती को प्राप्त धर्मार्थ दान के उचित प्रशासन के प्रावधान से संबंधित है। इस केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत दरगाह के स्थायी निधि के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन का काम केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि समिति को सौंपा गया है जिसे दरगाह समिति के रूप में जाना जाता है। उक्त अधिनियम और उसके उपनियम वेबसाइट www.gharibnawaz.in पर उपलब्ध हैं।

दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955

18.2 राजस्थान के अजमेर शहर में ख्वाज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक विश्व प्रसिद्ध वक्फ है। दरगाह का प्रशासन दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत है। दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन की शक्ति दरगाह समिति में निहित है। निम्नलिखित सदस्यों सहित नई दरगाह समिति का गठन 24 अगस्त, 2007 को किया गया था :–

1.	जनाब प्रो0 सोहेल अहमद खान,	अध्यक्ष
2.	जनाब प्रो0 (डॉ0) इब्राहिम,	उपाध्यक्ष
3.	जनाब हाफिज वकील अहमद साहेब,	सदस्य
4.	जनाब मोहम्मद इलयास कादरी,	सदस्य
5.	जनाब नवाब मोहम्मद अब्दुल अली,	सदस्य
6.	जनाब ए. एच. खान चौधरी,	सदस्य
7.	जनाब मोहम्मद सुहेल मोहीउद्दीन तिरमीजी,	सदस्य
8.	जनाब बदरूद्दीन घुलाम मोहीउद्दीन शेख,	सदस्य
9.	जनाब घोले इस्माइल मुआलिम,	सदस्य

दरगाह समिति के कार्य

18.3 प्रशासकीय कार्य

- दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन।
- दरगाह शरीफ की चार दीवारी के भीतर के भवनों तथा सभी मकानों, दुकानों की उचित देखभाल तथा उन्हें अच्छी हालत में रखना।

* खादिमों के विशेषाधिकारों को निर्धारित करना तथा यदि समिति इसे आवश्यक मानती है तो उन्हें उनकी ओर से लाईसेंस प्रदान कर दरगाह में उनकी उपस्थिति नियमित करना।

* सलाहकार समिति की शक्तियों और कर्त्तव्यों को निर्धारित करना।

* दरगाह के साथ मिलकर सज्जदनशीन द्वारा प्रयोग की जानी वाली शक्तियों और कार्यप्रणाली का निर्धारण।

* दरगाह के कर्मचारियों की नियुक्ति, निलंबन तथा बर्खास्त करना।

18.4 वित्तीय कार्य

* दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान की समस्त राशि और अन्य आय प्राप्त करना।

* यह देखना कि धर्मार्थ प्राप्त दान की राशि दानदाताओं की इच्छा के अनुरूप खर्च की जाती है।

* दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान की आय तथवा राजस्व की ओर से देय या उस पर प्रभारित सभी अन्य भुगतान करना और वेतन भत्ते तथा अनुलाभ का भुगतान करना।

18.5 उर्स तथा धर्म सघों का प्रबंधन :

जून, 2009 का वार्षिक उर्स और दिसम्बर, 2009 का लघु उर्स मुहर्रम (जिसमें लगभग 7 लाख तीर्थ यात्रियों ने भाग लिया) का सफलतापूर्वक प्रबंध किया गया। दरगाह समिति, राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन, अजमेर द्वारा अवसंरचनात्मक प्रबंध किया गया था। इसके अतिरिक्त विभिन्न धर्म संघों और 'बड़े सरकार' के उर्स का भी प्रबंध किया गया जिसमें तीर्थ यात्रिओं को सभी सुविधाएं प्रदान की गई थी।

18.6 ज़ायरीन (तीर्थ यात्रिओं) को सुविधाएं

वार्षिक उर्स के दौरान पवित्र दरगाह पर आने वाले लाखों तीर्थ यात्रियों के ठहरने की सुविधा के प्रावधान संबंधी योजना का कार्यान्वयन दरगाह समिति द्वारा शहरी विकास (जे एन एन यू आर एम) मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार के सक्रिय सहयोग से स्थानीय प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है। इस सुविधा को पहले 'विश्राम स्थली' कहा जाता था जिसे अब 'गरीब नवाज मेहमानखाना' का नाम दिया गया है। अवसंरचना दरगाह ख्वाजा साहब आने वाले तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के आश्य से हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने तीर्थ यात्रियों के लिए अपने स्टेट पैवेलियन ब्लॉक विकसित करने के प्रति रूचि दिखायी है। परियोजना के तहत एक लाख तीर्थ यात्रियों के ठहरने और 6 हजार बसों/वाहनों को पार्क करने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के लिए अनुमानित पूंजीगत

परिव्यय लगभग 136 करोड़ रु0 है जिसमें से 10 करोड़ रु0 राशि से अवसंरचना/भवनों का कार्य पूरा किया जा चुका है। इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास भी किए गए हैं–

(i) तीर्थ यात्रियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को इच्छुक गैर–सरकारी संगठनों के साथ मिलकर यूनानी और होमियोपैथिक औषधालयों को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं।

(ii) तीर्थ यात्रियों/आम जनता के लिए ईदगाह स्थल में दोगुना विस्तार किया गया है।

(iii) तीर्थ यात्रियों के लिए स्नानागार खंड के निर्माण के लिए दरगाह शरीफ के आस पास उपयुक्त भुमि/भवन की खरीद की दिशा में प्रयास किए गए हैं।

अध्याय–19

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

19.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की स्थापना, अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों में आर्थिक तथा विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 सितम्बर, 1994 को की गई थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह निगम दोगुनी गरीबी रेखा से नीचे की पारिवारिक आय वाले अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र लाभग्राहियों को स्वरोजगार क्रियाकलापों के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है।

19.2 लाभग्राहियों तक पहुँच के लिए एनएमडीएफसी के दो चैनल हैं अर्थात् (1) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से और (2) गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से। वैयक्तिक लाभग्राही को एससीए कार्यक्रमों के तहत 5.00 लाख रू0 तक की लागत की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके लिए 3% की ब्याज दर पर एससीए को निधि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि लाभार्थियों को 6% की दर से और ऋण दिया जा सके। निगम स्वयं के लिए तथा मजदूरी रोजगार के लिए लक्ष्य समूहों की क्षमता निर्माण हेतु एससीए के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण और शैक्षिक ऋण की योजना को भी कार्यान्वित कर रहा है।

19.3 एनजीओ कार्यक्रम के अंतर्गत 25,000 रू0 तक के माइक्रो ऋण, एनजीओ के माध्यम से अल्पसंख्यक स्व–सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को दिए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए एनजीओ को 1% की दर से निधि उपलब्ध कराई जाती है, जिसे 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से आगे ऋण के रूप में दिया जाता हैं। ऋण देने के कार्यकलापों के अलावा, एनएमडीएफसी, कौशल उन्नयन और विपणन सहायता हेतु प्रशिक्षण में लक्ष्य समूहों को सहायता प्रदान करती है। एनजीओ कार्यक्रम के अंतर्गत स्व–सहायता समूहों के उन्नयन और स्थायित्व के लिए ब्याज रहित ऋण (अनुदान के रूप में समायोजित) का भी प्रावधान है।

19.4 एनएमडीएफसी द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से शैक्षिक ऋण योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत एनएमडीएफसी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा जारी रखने के लिए योग्य (तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त) अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को 3% वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर 2,50,000 रू0 उपलब्ध कराता है।

19.5 अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए एनएमडीएफसी के पास 1 हजार करोड़ रु0 की प्राधिकृत अंशपूंजी है, जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 650 करोड़ रू0 है (65%) और राज्य सरकारों का हिस्सा 260 करोड रु0 (26%) जबकि शेष 90 करोड़ रु0 (9%) अल्पसंख्यकों में रूचि रखने वाले व्यक्तियों/संस्थानों द्वारा अंश दान दिया जाएगा। भारत सरकार ने अभी तक एनएमडीएफसी की इक्विटी में 645.36 करोड़ रु0 (99.29%) का अंशदान दिया है, जबकि 136.63 करोड़ रु0 (52.55%) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिया गया है। अल्पसंख्यकों में रूचि रखने वाले संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा 55 हजार रु0 दिया गया है।

उपलब्धियां

19.6 एससीए कार्यक्रम के तहत दिनांक 31.12.2009 तक एनएमडीएफसी ने 25 राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों में 3,11,278 लाभार्थियों को 1207.38 करोड़ रू0 की वित्तीय सहायता दी है। वर्ष 2009–10 में 31.12.2009 तक 20,272 लाभार्थियों को 91.21 करोड़ रू0 की वित्तीय सहायता दी गई है।

19.7 माइक्रो वित्त प्रबंध, एनएमडीएफसी द्वारा 1998–99 से कार्यान्वित किया जा रहा है। आरम्भ में इसे एनजीओ के माध्यम से कार्यान्वित किया गया और बाद में इसके कार्यान्वयन में एससीए को शामिल किया गया। दिनांक 31.12.2009 तक 1,76,903 लाभार्थियों को माइक्रो वित्त योजना के अंतर्गत कुल 101.32 करोड़ रू0 संवितरित किए जा चुके हैं। चालू वित्त वर्ष (2009–10) में दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 तक 33,580 लाभार्थियों के लिए एनजीओ/एससीए को 26.65 करोड़ रू0 का माइक्रो ऋण संवितरित किया जा चुका है।

19.8 अपने गठन से लेकर 31 दिसम्बर, 2009 तक निगम द्वारा उक्त दोनों कार्यक्रमों के तहत 4,88,181 लाभार्थियों को 1308.70 करोड़ रू0 की राशि संवितरित की गई है। चालू वित्त वर्ष में 31.12.2009 तक 53852 लाभार्थियों की सहायता के लिए 117.87 करोड़ रु0 की समेकित राशि वितरित की गई है।

एनएमडीएफसी की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहायता अनुदान

19.9 वर्ष 2007–08 के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य चैलाइजिंग एजेंसियों को अपनी अवसंरचना सुदृढ करने के लिए सहायता अनुदान देने की एक योजना शुरू की गई है। ये सहायता जागरूकता अभियानों, वितरण प्रणाली में सुधार, मानव शक्ति को प्रशिक्षण, ऋण वसूली आदि के लिए प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत खर्च का 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और राज्य सरकारों को 10 प्रतिशत का अंशदान करना होता है।

अध्याय–20

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

20.1 मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना वर्ष 1989 में, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक स्वैच्छिक, गैर–राजनैतिक, गैर लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत करके की गई थी।

20.2 इस प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों और सामान्यतः कमजोर वर्गों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना, बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से उनके लिए विशेष आवासीय स्कूलों की स्थापना करना तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना और शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए अन्य प्रयासों को प्रोत्साहित करना है।

आम सभा और शासी निकाय

20.3 प्रतिष्ठान की आम सभा में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 6 पदेन सदस्य और 9 नामित सदस्य होते हैं। नामित सदस्यों को प्रतिष्ठान के अध्यक्ष द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित किया जाता है। अल्पसंख्यक कार्य मामलों के केन्द्रीय मंत्री इस प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष है।

योजनाएं

20.4 इस प्रतिष्ठान की योजनाएं मुख्यतः दो प्रकार की हैं अर्थात् छात्राओं की शिक्षा पर बल देते हुए स्कूलों/हॉस्टलों का निर्माण एंव विस्तार, तकनीकी/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान, और मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति। इस प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न स्कीमें निम्नलिखित है :–

(क) स्कूलों/आवासीय स्कूलों/कालिजों की स्थापना और विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता।

(ख) प्रयोगशाला के उपकरण और फर्नीचर आदि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

(ग) व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थानों की स्थापना और उनके सशक्तीकरण के लिए वित्तीय सहायता।

(घ) हॉस्टलों के भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।

(ड.) मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

(च) मौलाना अबुल कलाम आजाद साक्षरता पुरस्कार।

संचित निधि

20.5 प्रतिष्ठान अपनी संचित निधि पर मिले ब्याज से योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, जो इसकी आय का एक मात्र स्रोत है। संचित निधि प्रतिष्ठान को योजनागत सहायता के भाग के रूप में प्रदान की गई है। यह संचित निधि जो वर्ष 2006–07 में 100 करोड़ रू0 थी वह अब 425 करोड़ रु0 है।

20.6 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्रतिष्ठान की संचित निधि को बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रु0 के कुल अनुमोदित योजना परिव्यय में से 225 करोड़ रु0 पहले ही जारी कर दिए गए हैं। शेष 275 करोड़ रु0 को चालू योजना अवधि के अगले 2 वर्षों में जारी कर दिया जाएगा।

20.7 इस प्रतिष्ठान ने, शासी निकाय के अनुमोदन से अपनी संचित निधि में स्वैच्छिक अंशदान करने के लिए प्रमुख औद्योगिक घरानों, स्वैच्छिक एजेंसियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से भी संपर्क किया है।

उपलब्धि

20.8 अपने आरम्भ होने के समय से और 31 दिसम्बर, 2009 तक, प्रतिष्ठान ने स्कूलों/कालेजों/लड़कियों के छात्रावासों/पोलिटेक्निकों/आईटीआई के निर्माण और विस्तार के लिए तथा उपकरण, मशीनरी और फर्नीचर की खरीद के लिए देश भर में 970 गैर सरकारी संगठनों को 127.87 करोड़ रू0 मंजूर किए हैं, और 26907 मेधावी छात्राओं को 30.12 करोड़ रु0 की छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। राज्य–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–VIII** और **IX** में दिए गए हैं।

वर्ष 2009–10 की उपलब्धि

20.9 वर्ष 2009–10 (31 दिसम्बर, 2009 तक) के दौरान मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने देश भर में 77 गैर–सरकारी संगठनों को 10.55 करोड़ रु0 की राशि का सहायता अनुदान मंजूर किया है। वर्ष 2009–10 के दौरान कुल 15 हजार मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्तियां वितरित की जाएंगी।

मूल्यांकन अध्ययन

20.10 लक्षित वर्ग पर योजनाओं के प्रभाव के आकलन की दृष्टि से मूल्यांकन और परिसंपत्ति जांच संबंधी अध्ययन प्रगति पर है। अध्ययन भारतीय समाज–विज्ञान संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

अध्याय–21

जेन्डर विशिष्ट मुद्दे और जेन्डर बजटिंग

21.1 माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में (एआईआर 1997 उच्चतम न्यायालय 3011) के मामलें में अपने निर्णय के अंतर्गत कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न विरोधी नीति बनाने संबंधी दिशानिर्देश तय किए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्य स्थल के सभी प्रभारी व्यक्तियों और नियोक्ताओं द्वारा बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक और निजी संगठनों में यौन उत्पीड़न को रोकने संबंधी उचित उपाय करेंगे तथा मंत्रालयों/विभाग/संगठन में कार्यस्थल पर किसी महिला से प्राप्त यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत की जांच हेतु कदम उठाए जाएंगे।

21.2 माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय में दिनांक 31.8.2009 को एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है जिसकी संरचना इस प्रकार है –

1.	सुश्री शमीमा सिद्दकी, उप सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	सुश्री फरहा नकवी,	सदस्य
3.	सुश्री प्रीति कुमारी, सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	सदस्य
4.	सुश्री यासमीन सुलताना, वरिष्ठ अनुसंधान अन्वेषक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	सदस्य

छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्राओं के लिए कम से कम 30% निर्धारित किया जाना

21.3 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 3 विशेष छात्रवृत्ति योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है, यथा मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना। इन तीनों योजनाओं के साथ निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना के तहत कुल छात्रवृत्तियों में से 30% छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक छात्रों के लिए निर्धारित हैं। मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2008–09 में स्वीकृत छात्रवृत्तियों में से 32.01% छात्रवृत्तियां

छात्राओं को प्रदान की गई; मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2008–09 में स्वीकृत छात्रवृत्तियों में से 50.89% छात्रवृत्तियां छात्राओं को प्रदान की गई तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत वर्ष 2008 में स्वीकृत छात्रवृत्तियों में से 55% छात्रवृत्तियाँ छात्राओं को प्रदान की गई। वर्ष 2009–10 में 31.12. 2009 तक छात्राओं की प्रतिशतता इस प्रकार थी :–

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	–	48.24%
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	–	56.55%
मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	–	31.96%

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की योजनाओं में जेन्डर मुद्दे

21.3 एनएमडीएफसी महिलाओं की ऋण संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान देता है। यह निगम अल्पसंख्यक समुदायों की निर्धन महिलाओं के लिए माइक्रो वित्त योजना चला रहा है। निगम के माइक्रो वित्त योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को गैर–सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है। एनएमडीएफसी ने गठन के समय से 31 दिसम्बर, 2009 तक 1,76,903 लाभार्थियों को 101.32 करोड़ रू0 का माइक्रो ऋण उपलब्ध कराया है। लगभग 85% लाभार्थी महिलाएं हैं।

महिला समृद्धि योजना

21.4 एनएमडीएफसी ने महिला समृद्धि योजना भी लागू की है, जिसके माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद माइक्रो ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत महिलाओं को छह माह का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद आय सृजन संबंधी कार्य शुरू करने के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 25,000 रू0 तक का माइक्रो ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

अध्याय–22

सूचना का अधिकार अधिनियम

22.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ख) के प्रावधानों के अनुसरण में इस मंत्रालय ने सर्वसाधारण के मार्गदर्शन और सूचना के लिए एक पुस्तिका प्रकाशित की है। यह मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। इस पुस्तिका में मंत्रालय के संगठनात्मक ढांचे, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यकलाप और कर्त्तव्य, मंत्रालय में उपलब्ध अभिलेखों और प्रलेखों से संबंधित सूचना उपलब्ध है। पुस्तिका में मंत्रालय तथा इसके विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित सूचना भी उपलब्ध है।

22.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने छह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और उप सचिव श्री गोपाल दास को मंत्रालय से संबंधित सभी मामलों के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के साथ नॉडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। तीन अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी नामित किया गया है। वर्ष 2009–10 में 31.12.2009 तक के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 163 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनका उत्तर दे दिया गया था। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के विरूद्ध सात अपीलें प्राप्त हुई थी जिन्हें अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निस्तारित कर दिया गया था।

अध्याय–23

विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ वर्ष के दौरान लिए गए नीतिगत निर्णय और की गई कार्रवाई

23.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन 29 जनवरी, 2006 को अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाना सुनिश्चित करने तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थ समग्र नीति एवं नियोजन की तैयारी, समन्वय, मूल्यांकन और विनियामक ढांचे की समीक्षा तथा विकास कार्यक्रम की तैयारी कार्य को सुगम बनाने के लिए अस्तित्व में आया। मंत्रालय एक छोटा संगठन है जिसमें स्वीकृत अधिकारियों और स्टाफ की संख्या केवल 93 है, जिसमें 1 सचिव, 1 अपर सचिव –सह–वित्त सलाहकार (अतिरक्ति प्रभार) तथा 3 संयुक्त सचिव हैं। यह मंत्रालय विशेषकर अधिकारी उन्मुख है तथा मध्यम स्तर के अधिकांश अधिकारी डेस्क अधिकारी पैटर्न पर कार्य करते हैं।

23.2 मंत्रालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल स्वीकृत 93 पदों में से (जिनमें से अधिकांश संगठित सेवा से भरे हुए है) 66 पद भरे हुए हैं। मंत्रालय के गठन से अब तक सीधे तौर पर केवल 3 चपरासियों की ही भर्ती की गई है तथा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त एक सहायक निदेशक को मंत्रालय में आमेलित किया गया है। शेष पद अल्प कालीन अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भरे गए हैं। इसलिए विकलांग व्यक्तियों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सका है। तथापि, भविष्य में भर्ती करते समय विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने संबधी प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा।

अध्याय–24

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा संबंधी पैरा

24.1 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2006–07 के विनियोजन लेखों पर वर्ष 2007 की रिपोर्ट संख्या 13 में पैरा संख्या 7.15 का उल्लेख किया था जो "व्यय/संशोधित अनुमानों के अवास्तविक आकलन" से संबंधित है। आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय मंत्रालय/विभागों ने संसद को योजना/क्रियाकलापों के विभिन्न प्रयोजन से बडी संख्या में अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी किन्तु मंत्रालय अंततः केवल समस्त अनुपूरक अनुदान अथवा उसके किसी भाग को पूर्णतः उपयोग में लेने में समर्थ न रहने के साथ–साथ कुछ मामलों में बजटीय प्रावधानों को भी व्यय नहीं कर सका।

24.2 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां मुख्यतः "अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध योजना" और "तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित योजना" नामक दो योजनाओं के तहत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान से संबंधित थी। मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर इस प्रकार है –

(i) अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध योजना – वर्ष 2006–07 के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने के समय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अस्तित्व में नहीं था। इस योजना के लिए प्रावधान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मांग अनुदानों में किया गया था, क्योंकि यह विषय उस समय उसी मंत्रालय द्वारा ही देखा जाता था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के गठन के बाद धनराशि को तकनीकी अनुपूरक के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुदानों को स्थानांतरित किया जाना था। मिश्रित योजना के लिए किए गए प्रावधान में से धनराशि स्थानांतरित की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों आदि को इस मंत्रालय को अक्तूबर, 2006 में सौपा जा सका था जिसके लिए मंत्रालय के पास इन आवेदनों की समीक्षा करने और धनराशि जारी करने के लिए समय अपर्याप्त था।

ऐसी स्थिति अब उत्पन्न नहीं होनी है क्योंकि समुचित शीर्ष के तहत मंत्रालय के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं तथा कोई तकनीकी अनुपूरक परिकल्पित नहीं है।

(ii) व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति – इस योजना का मूल्यांकन व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 06.12.2006 को किया गया था। तथापि, केन्द्र प्रायोजित योजना होने के कारण इसे पूरे योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करनी थी। यह स्वीकृति 20.12.2006 को मांगी गई थी, किन्तु 6 माह से अधिक समय तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। आखिरकार इस मुददे को बिना अनुमोदन के मंत्रिमंडल तक ले जाना पड़ा था। इस प्रकार वर्ष 2006–07 में कोई व्यय नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेख किया गया था कि नये मंत्रालय में कार्मिकों की संख्या लगभग उसी स्तर पर है जिस स्तर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में थी और जो नये मंत्रालय को आबंटित अतिरिक्त जवाबदेहियों के अनुरूप नहीं है।

अनुलग्नक–I

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में स्वीकृत स्टाफ संख्या तथा रिक्त पदों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण (31.12.2009 के अनुसार)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	सचिव	01	01	शून्य
2.	संयुक्त सचिव	03	02	01
3.	निदेशक/उप सचिव	07	06	01
4.	अवर सचिव	10	07	03
5.	सहायक निदेशक	03	03	शून्य
6.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	01	01	शून्य
7.	सहायक निदेशक (उर्दू)	01	शून्य	01
8.	अनुसंधान अधिकारी	01	01	शून्य
9.	अनुभाग अधिकारी	08	04	04
10.	प्रधान निजी सचिव	01	01	शून्य
11.	सहायक	10	09	01
12.	वरिष्ठ अनुसंधान अन्वेषक	04	03	01
13.	वरिष्ठ अन्वेषक	04	01	03
14.	लेखाकार	01	01	शून्य
15.	निजी सचिव	03	03	शून्य
16.	आशुलिपिक ग्रेड 'ग'	07	07	शून्य
17.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	01	01	शून्य
18.	अनुवादक (उर्दू)	01	शून्य	01
19.	आशुलिपिक ग्रेड 'घ'	08	02	06
20.	प्रवर श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक	01	01	शून्य
21.	टाइपिस्ट (उर्दू)	01	शून्य	01
22.	स्टाफ कार ड्राइवर	02	02	शून्य
23.	चपरासी	14	10	04
	योग :	**93**	**66**	**27**

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

अनुलग्नक–II

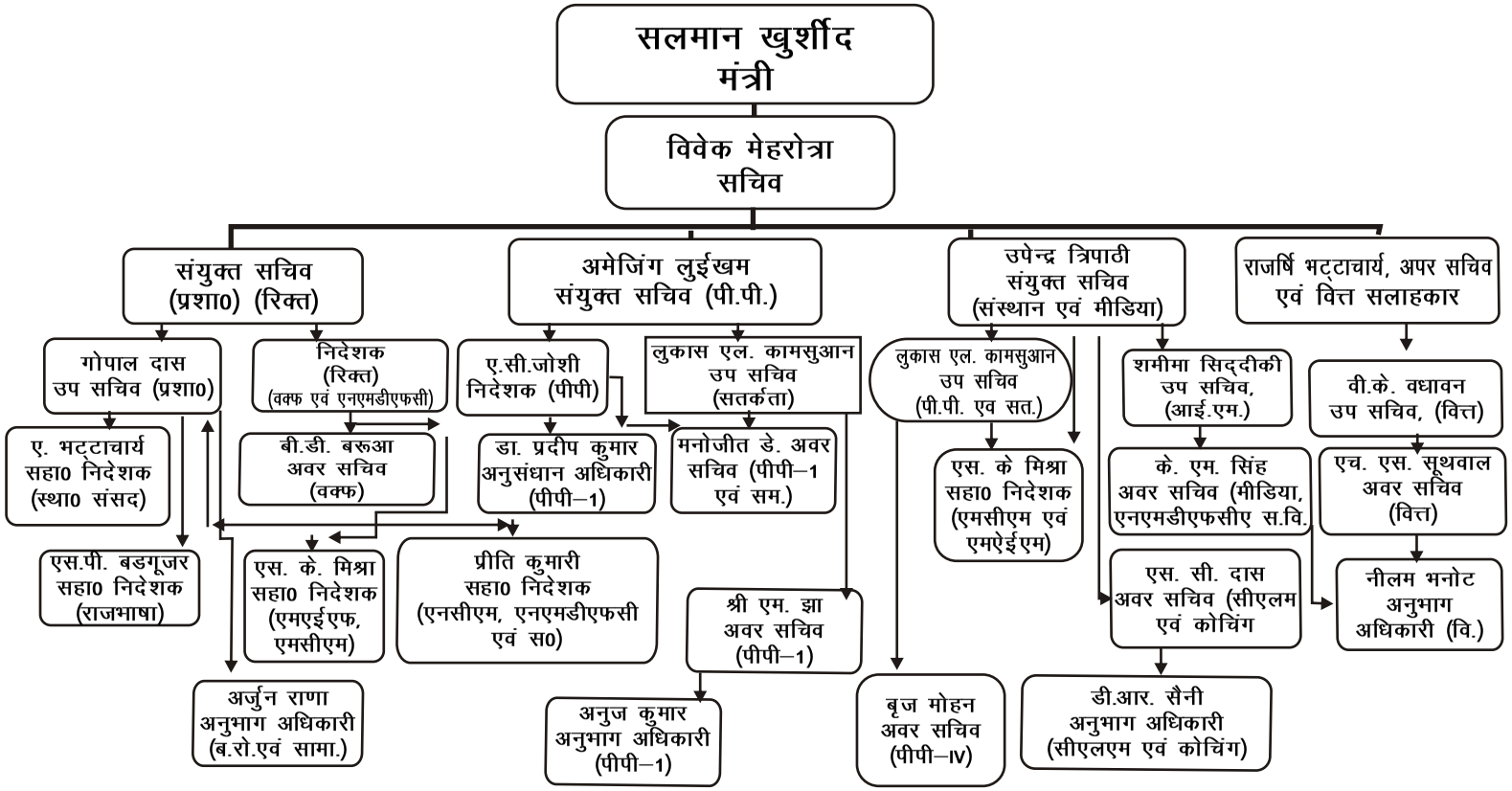

एनएमडीएफसी : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

पी.पी : योजना और कार्यक्रम

एमएईएफ : मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

ब. रो. : बजट एवं रोकड़

सामा. : सामान्य

सीएलएम : भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का कार्यलय

वि. : विविध

सत. : सतर्कता

अनुलग्नक–III

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) परिव्यय, वर्ष 2009–10 में बजट आकलन, संशोधित आकलन और वास्तविक व्यय (31.12.2009 तक) की योजनागत स्कीम/कार्यक्रम–वार ब्यौरा

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	ग्यारहवीं योजना (परिव्यय)	बजट आकलन 2009–10	संशोधित आकलन 2009–10	वास्तविक व्यय 2009–10 (31.12.2009 तक)
क.	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं**				
1.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के लिए सहायता अनुदान	500.00	115.00	115.00	115.00
2.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	45.00	12.00	12.00	7.17
3.	एनएमडीएफसी की इक्विटी में योगदान	500.00	125.00	125.00	125.00
4.	अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और उनके विकास से जुड़ी योजनाओं के मूल्यांकन की योजना	35.00	13.00	13.00	6.96
5.	एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता–अनुदान	20.00	2.00	2.00	0.00
	नई योजनाएं				
6.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	–	8.00	8.00	शून्य
7.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	–	15.00	15.00	शून्य

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	ग्यारहवीं योजना (परिव्यय)	बजट आकलन 2009–10	संशोधित आकलन 2009–10	वास्तविक व्यय 2009–10 (31.12.2009 तक)
8.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	–	10.00	10.00	शून्य
	उप–योग (केन्द्रीय योजनाएं)	**1100.00**	**300.00**	**300.00**	**254.13**
ख.	**केन्द्र प्रायोजित योजनाएं**				
1.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	600.00	100.00	100.00	84.65
2.	अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	2750.00	989.50	989.50	513.36
3.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	1400.00	200.00	200.00	128.94
4.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1150.00	150.00	150.00	99.42
5.	* सचिवालय	0.00	0.50	0.50	0.25
	उप–योग (सीएसएस)	**5900.00**	**1440.00**	**1440.00**	**826.62**
	सकल योग (क+ख)	**7000.00**	**1740.00**	**1740.00**	**1080.75**

* केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में से प्रावधान किया गया है।

अनुलग्नक–IV(क)

अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सूची

श्रेणी 'क'			
उन जिलों की सूची जो सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा दोनों मानदंडों की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं			
क्र.सं.	**उप–समूह क्र.सं.**	**राज्य**	**जिला**
1.	1	अरूणाचल प्रदेश	ईस्ट कामेंग
2.	2	अरूणाचल प्रदेश	लोवर सुबंसिरी
3.	3	अरूणाचल प्रदेश	चांगलांग
4.	4	अरूणाचल प्रदेश	तिरप
5.	5	असम	कोकराझार
6.	6	असम	धुबरी
7.	7	असम	गोलपारा
8.	8	असम	बोगांईगांव
9.	9	असम	बारपेटा
10.	10	असम	दारंग
11.	11	असम	मारीगांव
12.	12	असम	नागांव
13.	13	असम	कछार
14.	14	असम	करीमगंज
15.	15	असम	हैलाकांडी
16.	16	असम	कामरूप
17.	17	बिहार	अररिया
18.	18	बिहार	किशनगंज
19.	19	बिहार	पुर्णिया
20.	20	बिहार	कटिहार
21.	21	बिहार	सीतामढ़ी
22.	22	बिहार	पश्चिम चम्पारन

क्र.सं.	उप–समूह क्र.सं.	राज्य	जिला
23.	23	बिहार	दरभंगा
24.	24	झारखंड	साहिबगंज
25.	25	झारखंड	पकौर
26.	26	महाराष्ट्र	परभनी
27.	27	मणिपुर	थौबल
28.	28	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स
29.	29	उड़ीसा	गजपती
30.	30	उत्तर प्रदेश	बुलन्दशहर
31.	31	उत्तर प्रदेश	बदायूं
32.	32	उत्तर प्रदेश	बराबंकी
33.	33	उत्तर प्रदेश	खीरी
34.	34	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर
35.	35	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद
36.	36	उत्तर प्रदेश	रामपुर
37.	37	उत्तर प्रदेश	ज्योतिबा फूले नगर
38.	38	उत्तर प्रदेश	बरेली
39.	39	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत
40.	40	उत्तर प्रदेश	बहराइच
41.	41	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
42.	42	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
43.	43	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर
44.	44	उत्तर प्रदेश	बिजनौर
45.	45	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर
46.	46	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर
47.	47	पश्चिम बंगाल	मालदा
48.	48	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद
49.	49	पश्चिम बंगाल	बीरभूम
50.	50	पश्चिम बंगाल	नादिया
51.	51	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24–परगना
52.	52	पश्चिम बंगाल	बर्धमान
53	53	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार

अनुलग्नक–IV(ख)

अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सूची

श्रेणी 'ख'			
उप–श्रेणी 'ख 1'			
उन जिलों की सूची जो सामाजिक–आर्थिक मानदंड की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं			
क्र.सं.	**उप–समूह क्र.सं.**	**राज्य**	**जिला**
54.	1	अरूणाचल प्रदेश	तावांग
55.	2	अरूणाचल प्रदेश	वेस्ट कामेंग
56.	3	अरूणाचल प्रदेश	पापम पारे
57.	4	दिल्ली	नॉर्थ ईस्ट
58.	5	हरियाणा	गुड़गांव
59.	6	हरियाणा	सिरसा
60.	7	कर्नाटक	गुलबर्गा
61.	8	कर्नाटक	बीदर
62.	9	मध्य प्रदेश	भोपाल
63.	10	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
64.	11	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर
65.	12	उत्तर प्रदेश	मेरठ
66.	13	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर
67.	14	उत्तर प्रदेश	बागपत
68.	15	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
69.	16	उत्तरांचल	उधम सिंह नगर
70.	17	उत्तरांचल	हरिद्वार
71.	18	पश्चिम बंगाल	हावड़ा
72.	19	पश्चिम बंगाल	उत्तर 24 परगना
73.	20	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

अनुलग्नक–IV(ग)

अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सूची

श्रेणी 'ख' 2			
उप–श्रेणी 'ख 2			
उन जिलों की सूची जो आधारभूत सुविधा की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं			
क्र.सं.	**उप–समूह क्र.सं.**	**राज्य**	**जिला**
74.	1	अण्डमान	निकोबार
75.	2	असम	नॉर्थ कछार हिल्स
76.	3	जम्मू व कश्मीर	लेह (लद्दाख)
77.	4	झारखंड	रांची
78.	5	झारखंड	गुमला
79.	6	केरल	वेयानाद
80.	7	महाराष्ट्र	बुलदाना
81.	8	महाराष्ट्र	वाशिम
82.	9	महाराष्ट्र	हिंगोली
83.	10	मणिपुर	सेनापति
84.	11	मणिपुर	तमेंगलांग
85.	12	मणिपुर	चूड़चांदपुर
86.	13	मणिपुर	उखरूल
87.	14	मणिपुर	चंदेल
88.	15	मिजोरम	लांगटलाई
89.	16	मिजोरम	ममित
90.	17	सिक्किम	नॉर्थ

अनुलग्नक–V

मंत्रालय गठित होने के समय से 31.12.2009 तक बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत जारी धनराशि

(लाख रूपये में)

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत जारी धनराशि						
क्र. सं.	राज्य / जिला	स्वीकृत (केन्द्रीय अंश)	सिद्धांततः स्वीकृत (केन्द्रीय अंश)	योग (केन्द्रीय अंश)	जारी धनराशि	जारी करने की तारीख
		1	2	1+2=3		
क)	**उत्तर प्रदेश**				125.58	12/10/2009(आई टी सेल के लिए)
1	खीरी	2660.03	950.00	3610.03	1329.01	31/12/08
	खीरी *	1485.45	70.00	1555.45	742.73	24/09/2009
2	बाराबंकी	1679.29	157.00	1836.29	1627.14	31/12/08 और 16/12/09
	बाराबंकी *	1737.09	504.44	2241.53	868.55	16/12/09
3	बरेली	1177.57	127.00	1304.57	588.78	31/12/08
	बरेली *	768.23	1915.61	2683.84	384.12	24/09/09
4	बागपत	507.38	132.90	640.28	406.67	31/12/08 और 30/12/09
5	बिजनौर	3164.88	171.00	3335.88	1840.26	31/12/08 और 24/12/09
6	मुजफ्फरनगर	1743.46	491.69	2235.15	871.74	31/12/08
7	जे0पी0 नगर	1859.39	0.00	1859.39	1810.72	31/12/08 और 31/12/09
8	सिद्धार्थ नगर	439.50	0.00	439.50	219.75	31/12/08
	सिद्धार्थ नगर'	2140.83	659.00	2799.83	1070.42	23/09/2009
9	शाहजहांपुर	2015.00	250.00	2265.00	1007.50	2/12/2009
10	बुलन्दशहर	1475.00	250.00	1725.00	737.50	2/12/2009
11	रामपुर	2525.00	250.00	2775.00	1262.50	2/12/2009
12	सहारनपुर	2781.77	250.00	3031.77	1390.89	2/12/2009
13	बलरामपुर	2857.88	250.00	3107.88	1428.94	2/12/2009
14	गाजियाबाद	1474.56	323.80	1798.36	737.29	7/1/2009
15	बहराइच	2085.42	327.50	2412.92	1042.71	7/1/2009
16	बदायूं	4252.84	948.54	5201.38	2126.43	7/6/2009
17	मुरादाबाद	3418.11	450.26	3868.37	1709.07	7/1/2009
18	लखनऊ	1698.71	315.11	2013.82	849.36	18/09/09
19	पीलीभीत	3439.91	1075.70	4515.61	1719.96	18/09/09
20	शरावस्ती	1529.58	394.93	1924.51	764.80	30/10/09
21	मेरठ	1206.97	244.00	1450.97	603.49	30/10/09
	योग – 'क'	**50123.85**	**10508.48**	**60632.33**	**27265.91**	
ख)	**पश्चिम बंगाल**				**23.28**	**12/2/2009(आई टी सेल के लिए)**
1	मालदा	2100.00	0.00	2100.00	1050.00	12/12/2008
2	बीरभूम	1464.20	199.50	1663.70	732.10	12/12/2008
	बीरभूम'	2430.62	0.00	2430.62	1215.31	24/12./09
3	बर्द्धमान	2014.00	12.00	2026.00	1007.00	12/12/2008
	बर्द्धमान'	1748.25	0.00	1748.25	874.13	24/12/09
4	मुर्शीदाबाद	1387.50	2270.70	3658.20	693.75	12/12/2008
	मुर्शीदाबाद'	3531.25	2504.00	6035.25	1765.63	30/12/09
5	नदिया	1419.82	297.75	1717.57	709.91	12/12/2008

6	हावडा	269.65	0.00	269.65	134.83	12/12/2008
	हावडा'	396.50	0.00	396.50	198.25	30/12/09
7	उत्तर दिनाजपुर	1821.75	0.00	1821.75	910.88	18/09/09
8	दक्षिण 24– परागना	3147.00	0.00	3147.00	1573.50	18/09/09
8	दक्षिण 24– परागना'	1930.00	1644.60	3574.60	964.99	21/12/09
9	कूच बिहार	773.00	0.00	773.00	386.50	18/09/09
10	नार्थ 24 –परगना	2310.80	0.00	2310.80	1155.40	18/09/09
11	कोलकाता	449.50	494.10	943.60	224.75	16/12/09
12	दक्षिण दिनाजपुर	391.65	0.00	391.65	195.83	16/12/09
	योग – 'ख'	**27585.49**	**7422.65**	**35008.14**	**13816.04**	
ग)	**हरियाणा**					
1	मेवात	1200.00	0.00	1200.00	281.56	10/10/2008
2	मेवात'	1512.67	0.00	1512.67	669.22	31/12/08
3	सिरसा	900.90	450.00	1350.90	900.90	31/12/08 और 30/10/09
	योग – 'ग'	**3613.57**	**450.00**	**4063.57**	**1851.68**	
घ)	**असम**				**12.90**	**12/4/2009(आई टी सेल के लिए)**
1	बेरपेटा	6320.33	0.00	6320.33	3160.17	26/12/08
2	कामरूप	1039.50	925.10	1964.60	519.75	26/12/08
3	दारंग	1093.45	5.95	1099.40	546.73	26/12/08
4	बोगिंया गांव	845.47	0.00	845.47	355.27	17/06/09
5	गोलपारा	2655.51	101.13	2756.64	1327.76	16/12/09
6	धूबरी	3110.88	287.24	3398.12	1555.44	20/08/09
7	मॉरीगांव	1799.38	1.35	1800.73	899.69	20/08/09
8	नागांव	1670.13	445.00	2115.13	835.07	20/08/09
9	करीमगंज	2777.90	0.00	2777.90	1388.95	20/08/09
10	कछार	519.75	0.00	519.75	259.88	20/08/09
11	हैलाकांडी	2202.71	0.00	2202.71	1101.36	20/08/09
	योग – 'घ'	**24035.01**	**1765.77**	**25800.78**	**11962.97**	
ड.)	**मणिपुर**					
1	सेनापति	1037.39	180.00	1217.39	1037.39	31/12/08 और 21/12/09
1 क	सेनापति'	830.00	0.00	830.00	415.00	30/10/09
2	उखरूल	686.46	967.50	1653.96	686.46	31/12/08 और 30/12/09
2 क	उखरूल'	333.00	0.00	333.00	166.50	15/12/09
3	चूरूचंदपुर	1492.58	45.00	1537.58	746.29	31/12/08
4	थौबल	630.00	0.00	630.00	315.00	31/12/08
5	चंडेल	1518.75	900.00	2418.75	759.38	31/12/08
6	तमेंगलोंग	658.35	0.00	658.35	329.18	31/12/08
	योग – 'ड.'	**7186.53**	**2092.50**	**9279.03**	**4455.20**	
च)	**बिहार**					
1	कटिहार	1042.39	-	1042.39	521.21	2/12/2009
2	अररिया	1108.17	226.43	1334.60	554.09	2/12/2009
	अररिया'	4366.94	0.00	4366.94	2183.45	21/12/09
3	दरभंगा	1199.81	-	1199.81	599.91	2/12/2009
4	किशनगंज	3168.49	0.00	3168.49	1584.25	25/06/09
	किशनगंज '	1912.88	0.00	1912.88	956.42	21/12/09
5	पूर्णिया	3185.80	251.25	3437.05	1592.90	25/06/09
6	सीतामढी	600.00	0.00	600.00	300.00	25/06/09
7	पश्चिम चंपारन	1618.01	202.40	1820.41	809.00	21/12/09
	योग – 'च.'	**18202.49**	**680.08**	**18882.57**	**9101.23**	

छ)	**मेघालय**					
1	पश्चिम गारो हिल्स	2157.67	308.76	2466.43	1078.84	9/4/2009
ज)	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**				4.02	12/8/2009
1	निकोबार	229.95	37.50	267.45	105.12	12/7/2009
	योग – 'ज'	**229.95**	**37.50**	**267.45**	**109.14**	
झ)	**झारखंड**					
1	पकोर	2605.32	196.98	2802.30	1302.66	6/5/2009
2	साहिबगंज	1982.46	300.00	2282.46	991.23	6/5/2009
	साहिबगंज '	2474.75	111.15	2585.90	1237.38	21/12/09
3	गुमला	1689.21	240.00	1929.21	844.61	21/12/09
	योग – 'झ'	**8751.74**	**848.13**	**9599.87**	**4375.88**	
ञ)	**उड़ीसा**					
1	गाजापति	563.18	0.00	563.18	281.60	23/09/09
	गाजापति'	1506.75	0.00	1506.75	753.38	19/11/09
	योग– 'ञ'	**2069.93**	**0.00**	**2069.93**	**1034.98**	
ट)	**केरल**					
1	वेयनाद	153.00	227.50	380.50	76.50	12/1/2009
ठ)	कर्नाटक					
1	गुलबर्गा	299.78	0.00	299.78	149.89	24/07/09
	गुलबर्गा'	300.00	0.00	300.00	150.00	21/12/09
2	बिदार	524.36	0.00	524.36	262.19	12/8/2009
	योग– 'ठ'	**1124.14**	**0.00**	**1124.14**	**562.08**	
ड)	**महाराष्ट्र**					
1	परभनी	1177.50	0	1177.50	588.75	18/11/09
2	वसीम	525.00	0.00	525.00	262.50	18/11/09
3	बुलढाना	1498.50	0.00	1498.50	749.25	18/11/09
	योग– 'ड'	**3201.00**	**0.00**	**3201.00**	**1600.50**	
ढ)	**मिजोरम**					
1	लवंगटली	62.37	40.00	102.37	31.19	14/12/09
2	मामीत	337.82	40.00	377.82	168.91	14/12/09
	योग– 'ढ'	**400.19**	**80.00**	**480.19**	**200.10**	
ण)	**उत्तराखंड**					
1	हरद्वार	300.00	0.00	300.00	150.00	31/07/09
2	उघम सिंह नगर	372.00	0.00	372.00	186.00	31/07/09
	योग– 'ण'	**672.00**	**0.00**	**672.00**	**336.00**	
त)	**जम्मू और कश्मीर**					
1	लेह (लद्दाख)	1186.79	374.44	1561.23	593.37	12/12/2009
76	**कुल योग**	**150693.35**	**24795.81**	**175489.16**	**78420.42**	

***** प्रथम संशोधित योजना

अनुलग्नक–VI

छात्रवृत्ति कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं का तुलनात्मक विवरण

क्रम सं.		मैट्रिक–पूर्व	मैट्रिकोत्तर	मेरिट–सह–साधन
1	विस्तार	I-X	XI-XII आईटीआई, आईटीसी (निजी आईटीआई) बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एमफील, पीएचडी, एमसीएम, पीजी डिप्लोमा के तहत शामिल न किए गए पाठ्यक्रम	
2	वार्षिक आय सीमा	1 लाख रू0	2 लाख रू0	2.5 लाख रू0
3	11वीं पंचवर्षीय योजना वास्तविक लक्ष्य (छात्रवृत्तियों की सं.)	25 लाख रू0	15 लाख रू0	0.70 लाख रू0
4	वर्ष 2009–10 का वास्तविक लक्ष्य (छात्रवृत्तियों की सं.)	15 लाख रू0	3 लाख रू0	0.42 लाख रू0
5	बालिकाओं के लिए निर्धारण	30%	30%	30%
6	वित्तीय आबंटन 2009–10	200 करोड़ रू0	150 करोड़ रू0	100 करोड़ रू0
7	11वीं पंचवर्षीय योजना का वित्तीय आवंटन	1400 करोड़	1150 करोड़	600 करोड़
8	अंक पात्रता	>50%	>50%	>50%
9	प्रशासनिक व्यय	1%	2%	3%
10	केन्द्र और राज्य के बीच वित्तीय भागीदारी का अनुपात	75:25	100% केन्द्रीय अंश	100% केन्द्रीय अंश
11	योजना के आरम्भ का वर्ष	2008–09	2007–08	2007–08

अनुलग्नक–VI जारी

छात्रवृत्ति योजनाएं एक नजर में

योजना (लड़कों और लडकियों दोनों के लिए – 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित)	पात्रता			प्रवेश शुल्क			शिक्षण शुल्क		अनुरक्षण भत्ता	
	कक्षा	अंको का प्रतिशत	वार्षिक आय	कक्षा	छात्रावासी	दिन के छात्र	छात्रावासी	दिन के छात्र	छात्रावासी	दिन के छात्र
अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	I-X	50	1 लाख	I-V	शून्य		शून्य		शून्य	शून्य
				VI-X	500 रु0 प्रति वर्ष (वास्तविक पर आधारित)		350 रु0 प्रति माह (वास्तविक पर आधारित)		600 रु0 प्रति माह (वास्तविक पर आधारित)	100 रु0 प्रति माह
अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	XI-पीएचडी	50	2 लाख	XI-XII (व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित	वास्तविक किन्तु अधिकतम सीमा 7,000 रु0 वार्षिक				235 रु0 प्रति माह	140 रु0 प्रति माह
				स्नातक और स्नातकोत्तर	वास्तविक किन्तु अधिकतम सीमा 3,000 रु0 वार्षिक				335 रु0 प्रति माह	185 रु0 प्रति माह
				एमफिल और पीएच. डी	शून्य				510 रु0 प्रति माह	330 रु0 प्रति माह
अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम	50	2.50 लाख	स्नातक और स्नातकोत्तर	30,000 रू.*		25,000 रू.*		1000 रु0 प्रति माह	500 रु0 प्रति माह

*सूचीबद्ध संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत पूरे भारत में 70 संस्थान सूचीबद्ध हैं।

अनुलग्नक–VII

राज्य वक्फ बोर्डों की सूची

क्र.सं.	राज्य
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2.	आन्ध्र प्रदेश
3.	असम
4.	बिहार : शिया वक्फ बोर्ड
5.	बिहार : सुन्नी वक्फ बोर्ड
6.	छत्तीसगढ
7.	चंडीगढ
8.	दादर एवं नगर हवेली
9.	दिल्ली
10.	गुजरात
11.	हिमाचल प्रदेश
12.	हरियाणा
13.	कर्नाटक
14.	केरल
15.	लक्षद्वीप
16.	मध्य प्रदेश
17.	महाराष्ट्र
18.	मणिपुर
19.	मेघालय
20.	उड़ीसा
21.	पुडूचेरी
22.	पंजाब
23.	राजस्थान
24.	तमिलनाडू
25.	त्रिपुरा
26.	उत्तर प्रदेश : शिया वक्फ बोर्ड
27.	उत्तर प्रदेश : सुन्नी वक्फ बोर्ड
28.	उत्तराखंड
29.	पश्चिम बंगाल
30.	जम्मू और कश्मीर (वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत शामिल नही)

अनुलग्नक–VIII

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

दिनांक 31.12.2009 तक स्वीकृत सहायता अनुदान का राज्य–वार सारांश

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत राशि (लाख रु0 में)	गैर–सरकारी संगठनों की संख्या
1	अंडमान	35	3
2	आंध्र प्रदेश	1021.3	62
3	असम	220	14
4	बिहार	517.02	33
5	दिल्ली	174.55	15
6	गोवा	53	3
7	गुजरात	844.12	57
8	हिमाचल प्रदेश	1	1
9	हरियाणा	197.6	16
10	जम्मू और कश्मीर	216.42	14
11	झारखंड	93	6
12	कर्नाटक	1078.17	71
13	केरल	886	46
14	मध्य प्रदेश	399.78	37
15	महाराष्ट्र	1829.84	138
16	मेघालय	15	1
17	नागालेंड	13.5	1
18	मणिपुर	125	9
19	उड़ीसा	37.62	7
20	पंजाब	61.67	6
21	राजस्थान	272.5	18
22	तमिलनाडू	401.28	26
23	उत्तरांचल	70	6
24	उत्तर प्रदेश	3841.86	353
25	पश्चिम बंगाल	381.4	27
	योग	**12786.63**	**970**

अनुलग्नक–IX

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

31.12.2009 तक मेधावी छात्राओं को स्वीकृत की गई राज्य–वार छात्रवृत्तियाँ दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07		2007–08		2008–09		योग	
		छात्रवृतियों की सं.	राशि (लाख रू॰)	छात्रवृतियों की सं.	राशि (लाख रू॰)	छात्रवृतियों की सं.	राशि (लाख रू॰)	छात्रवृतियों की सं.	राशि (लाख रू॰)	छात्रवृतियों की सं.	राशि (लाख रू॰)	छात्रवृतियों की सं.	राशि (लाख रू॰)	छात्रवृतियों की सं.	राशि (लाख रू॰)
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	4	40000	0	0	0	0	0	0	4	40000
2	आन्ध्र प्रदेश	53	530000	110	1100000	145	1450000	111	1110000	223	2676000	828	9936000	1470	16802000
3	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4	असम	2	20000	81	810000	131	1310000	115	1150000	128	1536000	419	5028000	876	9854000
5	बिहार	2	20000	178	1780000	221	2210000	342	3420000	342	4104000	680	8160000	1765	19694000
6	छत्तीसगढ	8	80000	9	90000	12	120000	2	20000	2	24000	0	0	33	334000
7	चंडीगढ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12000	2	24000	3	36000
8	दिल्ली	7	70000	50	500000	48	480000	26	260000	51	612000	72	864000	254	2786000
9	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	दमन और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	36000	3	36000
11	गोवा	0	0	8	80000	6	60000	0	0	0	0	0	0	14	140000
12	गुजरात	0	0	505	5050000	77	77000	391	3910000	147	1764000	623	7476000	1743	18277000
13	हरियाणा	8	80000	5	50000	0	0	4	40000	2	24000	7	84000	26	278000
14	हिमाचल प्रदेश	4	40000	0	0	0	0	4	40000	0	0	0	0	8	80000
15	जम्मू और कश्मीर	0	0	319	3190000	34	340000	21	210000	55	660000	21	252000	450	4652000
16	झारखंड	2	20000	40	400000	62	620000	65	650000	119	1428000	670	8040000	958	11158000
17	कर्नाटक	31	310000	137	1370000	838	8380000	122	1220000	127	1524000	355	4260000	1610	17064000
18	केरल	80	800000	150	1500000	159	1590000	229	2290000	462	5544000	2884	34608000	3964	46332000
19	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

जारी....

अनुलग्नक–IX (जारी)

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

31.12.2009 तक मेधावी छात्राओं को स्वीकृत की गई राज्य–वार छात्रवृत्तियाँ दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07		2007–08		2008–09		योग	
		छात्रवृतियों की सं.	राशि (लाख रू.)	छात्रवृतियों की सं.	राशि (लाख रू.)	छात्रवृतियों की सं.	राशि (लाख रू.)	छात्रवृतियों की सं.	राशि (लाख रू.)	छात्रवृतियों की सं.	राशि (लाख रू.)	छात्रवृतियों की सं.	राशि (लाख रू.)	छात्रवृतियों की सं.	राशि (लाख रू.)
20	मध्य प्रदेश	17	170000	70	700000	64	640000	134	1340000	123	1476000	371	4452000	779	8778000
21	महाराष्ट्र	53	530000	147	1470000	406	4060000	165	1650000	336	4032000	1390	16680000	2497	28422000
22	मणिपुर	11	110000	11	110000	12	120000	1	10000	2	24000	19	228000	56	602000
23	मेघालय	0	0	0	0	2	20000	2	20000	1	12000	3	36000	8	88000
24	मिजोरम	0	0	2	20000	13	130000	0	0	0	0	0	0	15	150000
25	नागालेंड	8	80000	0	0	0	0	11	110000	0	0	0	0	19	190000
26	उड़ीसा	12	120000	30	300000	13	130000	12	120000	24	288000	49	588000	140	1546000
27	पुडूचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12000	1	12000
28	पंजाब	4	40000	14	140000	15	150000	0	0	13	156000	8	96000	54	582000
29	राजस्थान	2	20000	41	410000	76	760000	135	1350000	162	1944000	408	4896000	824	9380000
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडू	34	340000	120	1200000	91	910000	21	210000	122	1464000	990	11880000	1378	16004000
32	त्रिपुरा	0	0	0	0	3	30000	3	30000	2	24000	1	12000	9	96000
33	उत्तर प्रदेश	174	1740000	452	4520000	727	7270000	1598	15980000	1016	12192000	839	10068000	4806	51770000
34	उत्तराखंड	6	60000	11	110000	14	140000	7	70000	6	72000	35	420000	79	872000
35	पश्चिम बंगाल	116	1160000	291	2910000	398	3980000	325	3250000	545	6540000	1386	16632000	3061	34472000
	कुल	**634**	**6340000**	**2781**	**27810000**	**3571**	**35710000**	**3846**	**38460000**	**4011**	**48132000**	**12064**	**144768000**	**26907**	**301220000**

CONTENTS

CHAPTER NOs	CHAPTER TITLES	PAGE NOs
1	Introduction	1-4
2	Highlights	5-6
3	Prime Minister's New 15-Point Programme for the Welfare of Minorities	7-9
4	Report of the High Level Committee on Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India (Sachar Comittee) and follow-up action	10-13
5	Identification of Minority Concentration Districts (MCDs)	14-15
6	Scheme of Multi-Sectoral Development Programme (MSDP)	16-19
7	Pre-Matric Scholarship Scheme	20
8	Post-Matric Scholarship Scheme	21
9	Merit-cum-means based Scholarship Scheme	22-23
10	Scheme of Free Coaching & Allied Assistance	24-25
11	Research /Studies, monitoring and evaluation of development schemes including publicity	26-27
12	Implementation of Minorities Welfare Programmes/Schemes in North-Eastern States and Sikkim	28-29
13	Grant-in-Aid Scheme to State Channelizing Agencies of NMDFC	30
14	New Schemes of 2009-10	31-33
15	Commissioner for Linguistic Minorities	34-35
16	National Commission for Minorities	36-38
17	Waqf Administration and Central Waqf Council	39-41
18	The Durgah Khawaja Saheb Act, 1955	42-44
19	National Minorities Development and Finance Corporation	45-46
20	Maulana Azad Education Foundation	47-48
21	Gender Specific Issues and Gender Budgeting	49-50
22	Right to Information Act, 2005	51
23	Policy decisions and activities undertaken for the benefit of persons with disabilities	52
24	Comptroller and Auditor General Audit Paras	53-54
	ANNEXURES	55-72

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1.1 The Ministry of Minority Affairs was created on 29th January, 2006 to ensure a more focused approach towards issues relating to the minorities and to facilitate the formulation of overall policy and planning, coordination, evaluation and review of the regulatory framework and development programmes for the benefit of the minority communities.

1.2 The Ministry is headed by the Minister of State (Independent Charge). The Secretary of the Ministry is assisted by one Additional Secretary & Financial Adviser (additional charge) and three Joint Secretaries. The Ministry has a sanctioned strength of 93 Officers/Staff. A statement indicating the sanctioned strength and the number of posts filled and vacant in the Ministry is at **Annex-I**. The Organizational Chart of the Ministry is given at **Annex-II**.

ALLOCATION OF BUSINESS

1.3 Subjects allocated to this Ministry as per Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 are:-

(i) Overall policy, planning, coordination, evaluation and review of the regulatory and development programmes of the minority communities.

(ii) All matters relating to minority communities except matters relating to law and order.

(iii) Policy initiatives for protection of minorities and their security in consultation with other Central Government Ministries and State Government.

(iv) Matters relating to Linguistic Minorities and of the Office of the Commissioner for Linguistic Minorities.

(v) Matters relating to National Commission for Minorities Act.

(vi) Work relating to the Evacuee Waqf properties under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) (since repealed).

(vii) Representation of the Anglo-Indian community.

(viii) Protection and preservation of non Muslim shrines in Pakistan and Muslim shrines in India in terms of the Pant-Mirza Agreement of 1955, in consultation with the Ministry of External Affairs.

(ix) Questions relating to the minority communities in neighboring countries, in consultation with the Ministry of External Affairs.

(x). Charities and charitable institutions, charitable and religious endowments pertaining to subjects dealt with in the Department.

(xi) Matters pertaining to the socio-economic, cultural and educational status of minorities, minority organizations, including the Maulana Azad Education Foundation.

(xii) The Waqf Act, 1995 (43 of 1995) and Central Waqf Council.

(xiii) The Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955).

(xiv) Funding of programmes and projects for the welfare of minorities, including the National Minorities Development and Finance Corporation.

(xv) Employment opportunities for minorities in the Central and State public sector undertakings, as also in the private sector.

(xvi) Formulation of measures relating to the protection of minorities and their security in consultation with other concerned Central Ministries and State Governments.

(xvii) National Commission for Socially and Economically Backward Sections among Religious and Linguistic Minorities.

(xviii) Prime Minister's New 15-Point Programme for the Welfare of Minorities.

(xix) Any other issue pertaining to the minority communities.

CONSTITUTIONAL/STATUTORY/AUTONOMOUS BODIES

1.4 The Ministry has the following constitutional/statutory/autonomous bodies etc:-

i) Commissioner for Linguistic Minorities (CLM).

ii) National Commission for Minorities (NCM).

iii) Central Waqf Council (CWC).

iv) National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC).

v) Maulana Azad Education Foundation (MAEF).

vi) Durgah Khawaja Saheb, Ajmer

ADMINISTRATION OF ACTS

1.5 The Ministry is responsible for the administration and implementation of the following Acts:-

i) Durgah Khawaja Saheb Act, 1955.

ii) National Commission for Minorities Act, 1992.

iii) Waqf Act, 1995.

USE OF OFFICIAL LANGUAGE

1.6 The Ministry issued all important orders/notifications bilingually. The Ministry observed the Hindi fortnight from the 1st to 15th September, 2009. Several competitions were organized during the fortnight and the prizes were also distributed.

VIGILANCE UNIT

1.7 Shri Ameising Luikham, Joint Secretary has been appointed as part-time Chief Vigilance Officer (CVO). He is assisted by a Deputy Secretary and an Under Secretary, who are discharging these functions in addition to their other duties. The Ministry observed the Vigilance Awareness Week from 3rd November to 7th November, 2009.

NATIONAL INTEGRATION WEEK

1.8 The Ministry observed the Quami Ekta Week (National Integration Week) from 19th to 25th November, 2009 to foster the spirit of patriotism, communal harmony and integration.

E-GOVERNANCE

1.9 The web-site of the Ministry is on URL www.minorityaffairs.gov.in. Basic information about the activities of the Ministry and its schemes/programmes, the Prime Minister's New 15-Point Programme for the Welfare of Minorities, report of the High Level Committee on the Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India and the follow-up action taken thereon, report of the National Commission for Religious and Linguistic Minorities, linked Organizations, tender notices, employment advertisements, press releases, progress reports and statistics are available on the web-site.

RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

1.10 The Ministry of Minority Affairs has designated six Officers as Central Public Information Officers (CPIO) for all matters concerning this Ministry. Joint Secretaries concerned have been designated as the Appellate Authorities in respect of the work allocated to them.

BUDGET

1.11 An outlay of Rs. 7000 crore was allocated to this Ministry for the various schemes/programmes in the Eleventh Five Year Plan (2007-12). Plan budget provision of Rs 1740 crore was made in the financial year 2009-10. This has been retained at Rs.1740 crore in the Revised Estimates for 2009-10. A non-plan provision of Rs 16.50 crore was made in the Budget Estimates for the year 2009-10, which was subsequently reduced to Rs 15.50 crore in the Revised Estimates 2009-10. A statement showing the plan scheme/programme-wise Eleventh Plan outlay, Budget Estimates, Revised Estimates and the actual expenditure during the year 2009-10 (up to 31st December, 2009) is at **Annex-III**.

CHAPTER 2

HIGHLIGHTS

2.1 The Ministry completed four years on 29.1.2010.

2.2 The following new schemes were launched/approved during the financial year 2009-2010.

i) Maulana Azad National Fellowship for Minority Students

ii) Computerization of Records of State Waqf Boards

iii) Scheme for Leadership Development of Minority Women

2.3 A sub-scheme of National Level Monitors for monitoring the schemes/programmes of this Ministry was also launched on 04.12.2009 under the plan scheme of Research/Studies, Monitoring & Evaluation of development schemes for minorities.

2.4 Annual Plan (2009-10) Allocation and Expenditure: Out of the Annual Plan allocation of Rs. 1740 crore, (RE Rs. 1740 crore), Rs 1080.75 crore (62.10% of Plan allocation) was spent upto 31st December, 2009.

2.5 The Ministry of Minority Affairs has crossed the figure of 20 lakh scholarships for minority students under the three scholarship programmes since inception, as indicated in the following table.

Statement Showing Distribution of Scholarships among Minority Students During 2007-08, 2008-09 and 2009-10 (Up to 31.12.2009)

Schemes	2007-08	2008-09	2009-10(upto 31.12.2009)
	Achievement (students in lakh)	Achievement (students in lakh)	Achievement (students in lakh)
Pre-matric	-	5.13	12.19
Post- matric	0.25	1.70	2.64
Merit–cum-means	0.017	0.26	0.32
Total	0.267	7.09	15.15

2.6 In compliance with the recommendations of the High Level Committee on Social, Economic and Educational status of the Muslim Community of India and the Joint Parliamentary Committee relating to amendment to the Waqf Act, 1995, a proposal for the comprehensive amendment of the Act is under active consideration.

2.7 The corpus of Maulana Azad Education Fund (MAEF) has since been enhanced from Rs. 310 crore to Rs.425 crore during 2009-2010.

2.8 The authorized share capital of National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) has been increased to Rs.1000 crore during 2009-2010.

2.9 Report of the National Commission for Religious and Linguistic Minorities (NCRLM) was laid in both the Houses of Parliament on 18th December, 2009. The National Commission for Religious and Linguistic Minorities (NCRLM) headed by Justice Shri Ranganath Mishra was set up by the Government of India in October, 2004 to suggest, inter-alia, criteria for identification of socially and economically backward sections among religious and linguistic minorities and to recommend measures for their welfare, including reservation in education and government employment. The Commission submitted its report in May, 2007 which is under examination.

2.10 Secretary (Minority Affairs) inaugurated the national level conference of all nodal officers for Linguistic Minorities from State Governments/UT Administrations, NGOs etc. on 28.8.2009 which was organized by the Commissioner for Linguistic Minorities. In order to sensitize the States/UTs towards the safeguards of 23 crore linguistic minorities in the country, the States/UTS were graded. Kerala was adjudged to be the best for which a running shield was presented to them during the conference.

CHAPTER 3

PRIME MINISTER'S NEW 15 POINT PROGRAMME FOR THE WELFARE OF MINORITIES

3.1 The Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities was announced in June, 2006. The programme launched in May, 1983 has been recast. It provides programme specific interventions, with definite goals which are to be achieved in a specific time frame. The objectives of the programme are: (a) Enhancing opportunities for education; (b) Ensuring an equitable share for minorities in economic activities and employment, through existing and new schemes, enhanced credit support for self-employment, and recruitment to State and Central Government jobs; (c) Improving the conditions of living of minorities by ensuring an appropriate share for them in infrastructure development schemes; and (d) Prevention and control of communal disharmony and violence.

3.2 An important aim of the new programme is to ensure that the benefits of various government schemes for the underprivileged reach the disadvantaged sections of the minority communities. In order to ensure that the benefits of these schemes flow equitably to the minorities, the new programme envisages location of a certain proportion of development projects in minority concentration areas. It also provides that, wherever possible, 15% of targets and outlays under various schemes should be earmarked for the minorities.

3.3 The target group of the programme consists of the eligible sections among the minorities notified under Section 2 (c) of the National Commission for Minorities Act, 1992, viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis). In States, where one of the minority communities notified under Section 2 (c) of the National Commission for Minorities Act, 1992 is, in a majority, the earmarking of physical/financial targets under different schemes will be only for the other notified minorities. These states are Jammu & Kashmir, Punjab, Meghalaya, Mizoram and Nagaland. Lakshadweep is the only Union Territory in this group.

3.4 The progress of implementation of the programme is monitored by each of the Ministries/Departments concerned on a monthly basis. At the Central level, Ministry of Minority Affairs reviews the overall progress on a quarterly basis with the Nodal officers of other Ministries. The progress is reviewed once in six months by the Committee of Secretaries and thereafter a report is submitted to the Union Cabinet. The Cabinet has already reviewed the progress for the period ending 31.03.2007, 31.03.2008, 30.09.2008 and 31.03.2009. As envisaged in the guidelines, the States/UTs are required to constitute State Level Committees to monitor the progress. Similar mechanism has also been envisaged at district level.

SECRETARY, MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS ADDRESSING THE MEETING WITH THE PRINCIPAL SECRETARIES/SECRETARIES OF STATES/UTS DEALING WITH MINORITIES WELFARE ON 14th JULY, 2009

3.5 List of schemes included in the New 15 Point Programme, which are amenable to earmarking, is as under:-

* Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme by providing services through Anganwadi Centres {Ministry of Women & Child Development}
* Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) and Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Scheme (KGBVS) {Ministry of Human Resources Development}

* Swarna-jayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) {Ministry of Rural Development}
* Swarna Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY) {Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation}
* Industrial Training Institutes (ITIs) {Ministry of Labour & Employment}
* Bank credit under priority sector lending {Department of Financial Services}
* Indira Awaas Yojana (IAY) {Ministry of Rural Development}
* Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP) and Basic Services to Urban Poor (BSUP) under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) {Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation}.

3.6 The monitoring mechanism for implementation of Prime Minister's New 15 Point Programme is being strengthened. In 2009, the Government approved inclusion of two Members of Parliament from Lok Sabha and one Member of Parliament from Rajya Sabha, two Members of the Legislative Assembly to be nominated by the State Government in the State Level Committee for implementation of the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities. However, one of the Members included in the State Level Committee from Lok Sabha and Legislative Assembly should have been elected from any of the minority concentration districts in those states which have Minority Concentration Districts (MCDs). In respect of District Level Committee for implementation of the Prime Minister's New 15 Point Programme, besides one Member of Parliament from Rajya Sabha representing the State to be nominated by the Central Government, all Members of Parliament and all Members of Legislative Assembly representing the district would be included in the District committee.

3.7 Three new schemes have been included in the Programme in 2009-10 viz. (a) National Rural Drinking Water Programme (NRDWP); (b) Urban Infrastructure and Governance (UIG); and (c) Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT) of the Ministry of Urban Development.

CHAPTER 4

REPORT OF THE HIGH LEVEL COMMITTEE ON SOCIAL, ECONOMIC AND EDUCATIONAL STATUS OF THE MUSLIM COMMUNITY OF INDIA (SACHAR COMITTEE) AND FOLLOW-UP ACTION

The Government took decisions on the recommendations of High Level Committee on Social, Economic and Educational status of the Muslim Community of India, pertaining to various Ministries/Departments. The decisions of the Government on the follow-up action on the major recommendations of the Sachar Committee and the Ministry-wise status of implementation are as under:-

(i) All public sector banks have been directed to open more branches in districts having a substantial minority population. In 2007-08, 523 branches were opened in such districts. In 2008-09, 537 new branches were opened. The target for 2009-10 is 500 and up to the end of third quarter, 502 new branches have been opened (Department of Financial Services).

(ii) RBI revised its Master Circular on 5th July, 2007 on priority sector lending for improving credit facilities to minority communities. Over Rs. 82000 crore were provided to minorities under priority sector lending during 2008-09. (Department of Financial Services).

(iii) District Consultative Committees (DCCs) of lead banks have been directed to regularly monitor disposal and rejection of loan applications for minorities. (Department of Financial Services).

(iv) A multi-pronged strategy to address the educational backwardness of the Muslim community, as brought out by the Sachar Committee, has been adopted, as follows (Ministry of Human Resource Development):

a) The Madarsa Modernization Programme has been revised to make it more attractive by providing better salary to teachers, increased assistance for books, teaching aids and computers, and introduction of vocational subjects, etc. This is now known as Scheme for Providing Quality Education in Madarsas and has been launched with allocation of Rs. 325 crore during the Eleventh Five-Year Plan.

b) A new centrally sponsored scheme of financial assistance for Infrastructure Development of Privately Managed Elementary/ Secondary / Senior Secondary schools set up for minorities has been launched with allocation of Rs. 125 crores for the Eleventh Five-Year Plan.

c) National Council of Educational Research and Training (NCERT) has prepared text books for all classes in the light of the National Curriculum Framework-2005.

d) Thirty five universities have started centers for studying social exclusion and inclusive policy for minorities and Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

e) Under the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) Scheme, criteria of educational backward blocks has been revised with effect from 1st April 2008 to cover blocks with less than 30% rural female literacy and in urban areas with less than national average of female literacy (53.67%: Census 2001).

f) Universalization of access to quality education at secondary stage called Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RSMA) has been approved with focus on educationally backward minorities.

g) Jan Shikshan Sansthans (JSSs) are envisaged in the revised schemes.

h) Provision of more girls' hostels in colleges and universities in minority concentration districts/blocks is proposed under the existing University Grants Commission scheme.

(v) An expert group constituted to study and recommend the structure and functions of an Equal Opportunity Commission submitted its report on 13th March, 2008. This has been processed, along with the report of the expert group on diversity index. (Ministry of Minority Affairs)

(vi) A National Data Bank to compile data on the various socio-economic and basic amenities parameters for socio-religious communities has been set up in the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

(vii) An autonomous Assessment & Monitoring Authority (AMA), to analyse data collected for taking appropriate and corrective policy decisions, has been set up in the Planning Commission.

(viii) A training module has been developed by the Indian Institute of Public Administration, for sensitization of government officials. The module has been sent to the Central/State Training Institutes for implementation. Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) has prepared a module for sensitization of organized civil services and it has been incorporated in their training programme (Department of Personnel and Training).

(ix) Under Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT), additional central assistance of Rs. 1602.20 crore has been sanctioned for 69 towns having substantial minority population, out of which Rs. 659.37 crore was released in 2008-09 (Ministry of Urban Development).

(x) A Bill has been passed by the Parliament for providing social security to workers in the un-organized sector, which inter-alia, includes home-based workers (Ministry of Labour and Employment).

(xi) A High Level Committee, set up to review the Delimitation Act, has considered the concerns expressed in the Sachar Committee report and submitted its report (Ministry of Home Affairs).

(xii) Guidelines on Communal Harmony have been issued (Ministry of Home Affairs).

(xiii) Dissemination of information regarding health and family welfare schemes is being undertaken in regional languages in minority concentration areas (Ministry of Health and Family Welfare).

(xiv) State Governments and Union Territory Administrations have been advised by Department of Personnel & Training for posting of Muslim police personnel in thanas and Muslim health personnel and teachers in Muslim concentration areas.

(xv) State governments have been advised by Ministry of Panchayati Raj and Ministry of Urban Development, to improve representation of minorities in local bodies.

(xvi) The recommendations of the Joint Parliamentary Committee (JPC) on Waqf have been received. These have been processed as per approved modalities (Ministry of Minority Affairs).

(xvii) The Government has accorded in principle approval for restructuring of National Minorities Development and Finance Corporation (Ministry of Minority Affairs).

(xviii) An Inter-ministerial Task Force constituted to devise an appropriate strategy and action plan for developing 338 identified towns, having substantial minority population, rapidly in a holistic manner submitted its report on 8th November, 2007. The concerned Ministries/Departments have been advised to give priority in the implementation of their schemes in 338 towns (Ministry of Minority Affairs).

(xix) Three scholarship schemes for minority communities viz., Pre-matric, Post-matric and Merit-cum-means were launched and 7.09 lakh scholarships were awarded to students belonging to minority communities in 2008-09 and 15.15 lakh scholarships upto 31st December, 2009 in 2009-10 (Ministry of Minority Affairs).

(xx) The corpus of Maulana Azad Education Foundation, which stood at Rs. 100 crores, was doubled to Rs. 200 crores in December, 2006. The corpus was increased by Rs. 50 crores in 2007-08 and by Rs. 60 crore in 2008-09. It has been further increased by Rs. 115 crore during 2009-10 and now stands at Rs. 425.00 crore (Ministry of Minority Affairs).

(xxi) A revised free Coaching and Allied scheme was launched and 5522 candidates belonging to minority communities were provided assistance in 2008-09 and 4657 candidates upto 31st December, 2009 in 2009-10 (Ministry of Minority Affairs).

(xxii) A Multi-sectoral Development Programme was launched in identified minority concentration districts in 2008-09. Plans of 76 minority concentration districts in Haryana, Uttar Pradesh, West Bengal, Assam, Manipur, Bihar, Meghalaya, Jharkhand, Andaman & Nicobar Islands, Orissa, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Uttrakhand, Mizoram & Jammu & Kashmir have been approved and Rs. 784 crore released upto 31st December, 2009 since inception (Ministry of Minority Affairs).

CHAPTER 5

IDENTIFICATION OF MINORITY CONCENTRATION DISTRICTS (MCDs)

5.1 In 1987, a list of 41 minority concentration districts was drawn up based on a single criterion of minority population of 20 percent or more in a district as per 1971 Census for enabling focused attention of government programmes and schemes on these districts.

5.2 In order to ensure that the benefits of schemes and programmes of government reach the relatively disadvantaged segments of society, it was decided to identify districts on the basis of minority population of Census 2001 and backwardness parameters. A fresh exercise was, therefore, carried out based on population figures and the following backwardness parameters of 2001 Census:

Religion-specific socio-economic indicators at the district level:

(i) literacy rate;

(ii) female literacy rate;

(iii) work participation rate; and

(iv) female work participation rate.

Basic amenities indicators at the district level :

(i) percentage of households with pucca walls;

(ii) percentage of households with safe drinking water;

(iii) percentage of households with electricity; and

(iv) Percentage of households with water closet latrines.

5.3 Although female literacy and work participation are included in the overall literacy and work participation rates, these are important enough to be considered separately as they constitute independent indicators of the level of development, especially gender equity.

5.4 The process of identification of minority concentration districts has been carried out as follows:-

(i) (a) Districts with a 'substantial minority population' of at least 25% of the total population were identified in 29 States/UTs.

(b) Districts having a large absolute minority population exceeding 5 lakh and the percentage of minority population exceeding 20% but less than 25% were identified in 29 States/UTs.

(c) In the six States/UTs, where a minority community is in majority, districts having 15% of minority population, other than that of the minority community in a majority in that State/UT were identified.

(ii) Thereafter, the position of these districts in terms of "backwardness" was evaluated against the two sets of socio-economic and basic amenities indicators. 90 Minority Concentration Districts (MCDs) having a substantial minority population, which are relatively backward and falling behind the national average in terms of socio-economic and basic amenities indicators, have been identified in 2007 based on population figures and the backwardness parameters of 2001 Census. Out of the 90 minority concentration districts, 53 districts have been classified in category 'A'. Category 'A' districts fall behind in both socio-economic and basic amenities parameters. The remaining 37 districts fall under category 'B' of which 20 districts fall behind in socio-economic parameters and 17 districts in basic amenities parameters. These have been classified as sub-category 'B1' and 'B2' respectively. The lists of these districts are in **Annex –IV (A), (B) & (C)**.

5.5 A baseline survey was assigned to the Indian Council of Social Science Research (ICSSR), New Delhi to identify the 'development deficit' of these districts. The survey has been carried out by the research institutes affiliated to ICSSR, New Delhi.

CHAPTER 6

SCHEME OF MULTI-SECTORAL DEVELOPMENT PROGRAMME (MSDP)

6.1 The programme aims at improving the socio-economic and basic amenities parameters for improving the quality of life of the people and reducing imbalances in the MCDs during the Eleventh Five Year Plan period. Identified 'development deficits' would be addressed through a district specific plan for provision of better infrastructure for school and secondary education, sanitation, pucca housing, drinking water and electricity supply, besides beneficiary oriented schemes for creating income generating activities. Absolutely critical infrastructure linkages like connecting roads, basic health infrastructure, ICDS centers, skill development and marketing facilities required for improving living conditions and income generating activities and catalyzing the growth process would also be eligible for inclusion in the plan. The focus of this programme will be on rural and semi-rural areas of the identified 90 minority concentration districts.

6.2 The programme will be implemented by the line departments/agencies assigned projects by the Department in the State/UT dealing with minority affairs/welfare. Panchayati Raj Institutions/urban local bodies would be involved in the implementation of the MsD Plan wherever the mechanism is established. The State may, however, decide to execute the project through any qualified, reputed, experienced agency, including renowned and widely accepted NGOs, justification for which should be mentioned in the proposal.

6.3 Creation of new posts under this programme is strictly prohibited. It would be the responsibility of the State Government/UT administration to ensure that staff required for operationalisation of assets proposed to be created under this programme is already available or will be provided by them.

6.4 There would be no change in guidelines of any existing Centrally Sponsored Scheme under implementation in the said district for which the scheme of MSDP will provide additional funds. As far as possible, the focus of the programme will be on providing appropriate social and economic infrastructure rather than targeting individual beneficiaries. In case schemes for individual benefits are taken up under the programme,

there will be no divergence from existing norms for selection of beneficiaries from the list of BPL families in the district, so that benefits from the additional funds flow to all BPL families and not selectively to families of minority communities. The multi-sectoral district development plans of a district have to be prepared in such a manner that these districts are saturated with schemes included in the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities within Eleventh Five Year Plan period.

SCHOOL CHILDREN OF A PRIMARY SCHOOL CONSTRUCTED UNDER MULTI-SECTORAL DEVELOPMENT PROGRAMME, SENAPATI DISTRICT, MANIPUR

6.5 A baseline survey was assigned to the Indian Council of Social Science Research (ICSSR), New Delhi to identify the 'development deficits' of these districts. The survey has been carried out by the research institutes affiliated with the ICSSR. The multi-sectoral district development plans of a district have to be prepared in such a manner that these districts are saturated with schemes included in the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities within the Eleventh Five Year Plan period.

6.6 Financial assistance will be sanctioned to the State Government/UT administration concerned on 100% grant basis in suitable installments linked with the satisfactory progress made as per approved Multi-sectoral Development Plan. Funds under the programme would be released to the States/UTs only against the approved district development plans. Once the proposal is approved for support by the Ministry of Minority Affairs, the first installment is released. The release is subject to a commitment from the State

Government/UT administration that they will do the following:-

(a) Constitute the State Level Committee for implementation of the 15 Point Programme for the Welfare of Minorities, if not already done.

(b) Constitute the District Level Committee for implementation of the 15 Point Programme for the Welfare of Minorities, if not already done.

(c) Notify a department in the State/UT to deal with clear responsibilities for schemes of minority welfare.

(d) Set up a cell in that department exclusively to look after the implementation, monitoring, reporting and evaluation of this programme. This cell will be IT enabled.

(e) Ensure that the funds provided for the MCDs are additional resources for these districts and do not substitute State Government funds already flowing to the districts. To prevent diversion of funds from MCDs, the flow of funds to the district concerned in the previous year will be taken as a benchmark.

(f) Agree to provide the State share in such central schemes/ programmes, which are being topped up, to saturate the requirement in the district.

(g) Agree to operate and maintain the physical assets created under this programme.

MEETING WITH THE MEMBERS OF PARLIAMENT BELONGING TO MINORITY CONCENTRATION DISTRICTS. FROM LEFT: MS(DR.) SYEDA SAIYIDAIN HAMEED, MEMBER, PLANNING COMMISSION; SHRI HARISH RAWAT, HON'BLE MOS MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT; SHRI SALMAN KHURSHID, HON'BLE MOS(I/C) MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS AND SHRI VIVEK MEHROTRA, SECRETARY, MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

Monitoring Mechanism

6.7 The State Level Committee and the District Level Committee constituted for implementation of the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities under the chairmanship of the Chief Secretary and the Deputy Commissioner/Collector respectively shall serve as Committees for this programme. The District Committee shall prepare the development plan for MCD. Both the District and State Level Committees shall ensure that there is no duplication of schemes, funds are not diverted, the level of funding is not less than that of the previous year, and funds under this programme are adequate for monitoring and implementation of the plan.

6.8 A 'MsDP Empowered Committee' in the Ministry of Minority Affairs appraises, recommends and approves the projects in the district plans. The Empowered Committee also serves as the Oversight Committee at the Centre and shall monitor the implementation of the programme. The State Level Committee constituted for implementation of the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities headed by the Chief Secretary shall also serve as the Oversight Committee at the State/UT to monitor the implementation of the programme.

Status of Implementation

6.9 The Multi-sectoral Development Programme was launched in 2008-09. Plans of 47 minority concentration districts were approved in 2008-2009 and an amount of Rs 270.85 crore was released during that year. During the current financial year 2009-10, the district plans of 29 MCDs have been approved and an amount of Rs 513 crore was released upto 31st December, 2009. Thus, plans of 76 MCDs have been approved and Rs. 784 crore has been released upto 31st December, 2009 since inception. The details are at **Annex-V**.

CHAPTER 7

PRE-MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME

7.1 The Pre-Matric Scholarship Scheme for Students belonging to the Minority Communities was approved on 30th January, 2008. This scheme was launched on 1st April, 2008 as a Centrally Sponsored Scheme (CSS) on 75:25 fund sharing ratio between the Centre and States and is implemented through the State Governments/Union Territory Administrations. Students with not less than 50% marks in the previous final examination, whose parents'/guardian's annual income does not exceed Rs. 1.00 lakh, are eligible for award of the pre-matric scholarship.

7.2 An outlay of Rs. 1400 crores has been provided in the Eleventh Five Year Plan to award 25 lakh scholarships during the plan period (2007-12). 30% of scholarships have been earmarked for girl students. An amount of Rs. 128.94 crore was released and 12.19 lakh scholarships were awarded during the year 2009-10 up to 31.12.09. Of this 48.24% scholarships were for girl students.

7.3 The achievement of 12.19 lakh scholarships upto the end of December, 2009 is significantly higher than the annual achievement of 5.13 lakh scholarships during 2008-09.

7.4 A comparative statement of various parameters under the three scholarship schemes of Ministry of Minority Affairs is at **Annex VI**.

CHAPTER 8

POST-MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME

8.1 The scheme of Post-Matric Scholarship for Students belonging to the Minority Communities was launched in November, 2007 as a Centrally Sponsored scheme (CSS) with 100% central funding and is implemented through the State Governments/Union Territory Administrations. Scholarship is awarded for studies in India in a Government higher secondary school/college including residential Government higher secondary school/college and eligible private institutes selected and notified in a transparent manner by the State Government/Union Territory Administration concerned. Students with not less than 50% in the previous year's final examination, whose parents'/guardian's annual income does not exceed Rs. 2 lakh are eligible for award of the scholarship. 30% of scholarships are earmarked for girl students. In case sufficient numbers of girl students are not available, it will be given to eligible boy students.

8.2 An outlay of Rs. 1150 crore has been provided for the 11th Five Year Plan period. An amount of Rs. 99.42 crore was released to award 2.64 lakh scholarships during the year 2009-10 (upto 31.12.2009), of which 56.55% were for girl students.

8.3 The achievement of 2.64 lakh scholarships upto December 2009 is significantly higher than the annual achievement of 1.70 lakh scholarships during the year 2008-09.

CHAPTER 9

MERIT-CUM- MEANS BASED SCHOLARSHIP SCHEME

9.1 The Central Government introduced the scheme of Merit-cum- Means based scholarship to the students belonging to minority communities from the year 2007-08. The objective of the scheme is to provide financial assistance to the poor and meritorious students belonging to minority communities to enable them to pursue professional and technical courses.

9.2 This is a Centrally Sponsored Scheme with 100% central funding and is being implemented through the State Government/UT Administration. Every year, upto 20000 fresh scholarships, in addition to the renewals, are distributed among the students of minority communities throughout the country. Distribution of scholarships among States/UTs is based on State/UT-wise population of the minority communities notified under section 2(c) of the National Commission for Minorities Act, 1992.

9.3 One of the popular feature of this scheme is entitlement of full re-imbursement of course fees for 70 Listed Institutions like Indian Institutes of Technology, Indian Institutes of Management, All India Institute of Medical Sciences, National Institutes of Information and Technology listed under this scheme. Students studying in non-listed institutions are also given reimbursement of fees upto the extent of Rs.20,000/- per annum. In addition, maintenance allowance of Rs.10,000/- and Rs.5000/- per annum is given to hostellers and day scholars respectively.

9.4 In order to be eligible, a student should have secured at least 50% marks and the annual income of the family from all sources should not exceed Rs.2.50 lakh. 30% scholarships are reserved for girls of each minority community and are transferable to male students of that community in case of non-availability of female candidates.

9.5 The funds allocated for the 11th Five Year Plan period for the implementation of this scheme are Rs.600 crore.

9.6 The achievements so far in actual terms, both physical and financial, since the inception of this scholarship scheme are as under:-

Year	Target	No. of Scholarships sanctioned	Amount (Rs. In crore)
2007-08	20,000	17,258	40.80
2008-09	35,000	26,195	64.73
2009-10 (upto 31.12.2009)	42,000	31911	84.65
Total	97, 000	75,364	190.18

9.7 This is the third year of implementation of this scheme. During this year the coverage of this scholarship is in 31 States/UTs whereas in the preceding two years the coverage was in 28 and 29 States/UTs respectively.

CHAPTER 10

SCHEME OF FREE COACHING & ALLIED ASSISTANCE

10.1 The Free Coaching & Allied Scheme for candidates belonging to minority communities, transferred from the Ministry of Social Justice and Empowerment, was revised and launched in July, 2007. The scheme was further modified w.e.f. 16.10.2008. It is a Central Sector Scheme, with 100% central funding, to be implemented by the Ministry through coaching institutes recommended by the State Governments/Union Territory Administrations/Public Sector institutions.

10.2 The objective of the scheme is to enhance the skills and knowledge of students and candidates from the minority communities to secure employment in Government Sector/ Public Sector Undertakings and jobs in the private sector, and admission in reputed institutions in technical and professional courses of under-graduate and post-graduate levels and remedial coaching in such institutions to complete the courses successfully.

Eligibility for candidates and students

10.3 Candidates/students should belong to a minority community. The annual income of parents/guardians from all sources should not exceed Rs.2.50 lakh. Candidates/students should have the requisite educational qualifications and performance for the coaching course.

10.4 Types of coaching and financial assistance provided

Sl. No.	Type of coaching	Coaching fee for coaching institute	Amount of stipend for candidate/ student
	I	II	III
1.	Group A Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of Rs. 20,000/-	Rs.1500 /-for outstation candidates, Rs.750/-for local candidates

Sl. No.	Type of coaching	Coaching fee for coaching institute	Amount of stipend for candidate/ student
	I	II	III
2.	Group 'B' Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of Rs. 15,000/-.	-do-
3.	Group 'C' Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of Rs. 10,000/-.	-do-
4.	Entrance examination for technical/ professional courses	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of Rs. 20,000/-	-do-
5.	Coaching for jobs in private sectors	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of Rs. 20,000/-.	-do-
6.	Remedial coaching/tuition for the students pursuing technical /professional courses.	As charged by the institutes where the student is admitted to pursue technical/professional course, for the extra tuition classes.	Not applicable
7.	Coaching for recruitment of constables and equivalent in police/security forces and railways. (For a period not exceeding five days)	At nominal rates, as proposed by the institute and fixed by the committee.	Rs.100 /-for outstation candidates, Rs. 50/-for local candidates.

10.5 An outlay of Rs.45 crore has been provided in the Eleventh Five Year Plan (2007-12) to cover 20,000 students. During the year 2009-10 (upto 31.12.2009), an amount of Rs.7.17 crore was released to 38 institutes in 18 States/UTs benefitting 4657 students.

CHAPTER 11

RESEARCH/STUDIES, MONITORING AND EVALUATION OF DEVELOPMENT SCHEMES INCLUDING PUBLICITY

11.1 The Central sector scheme of research/studies, monitoring and evaluation of development schemes including publicity, launched in November, 2007 provides for professional charges to institutions/organizations to undertake purposeful studies on the problems and requirement of minorities including surveys and concurrent monitoring of the schemes.

11.2 The scheme also provides for a multi-media campaign using the print, broadcast and electronic media as well as outdoor publicity for dissemination of information to generate awareness relating to various schemes and programmes for the welfare of minorities.

11.3 Under the scheme, a Memorandum of Understanding (MOU) between Ministry of Minority Affairs and National Productivity Council (NPC), an autonomous organization under Ministry of Commerce & Industry, was signed on 4th December, 2009. As per MOU, NPC would undertake monitoring/ evaluation of various schemes/programmes of this Ministry by appointing 150 National Level Monitors.

EXCHANGE OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN SHRI UPENDRA TRIPATHY, JOINT SECRETARY, MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS AND SHRI N.C. VASUDEVAN, DIRECTOR GENERAL, NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL ON 4TH DECEMBER, 2009 - THE FUNCTION WAS PRESIDED OVER BY SHRI SALMAN KHURSHID, HON'BLE MINISTER OF STATE (I/C) MINORITY AFFAIRS.

11.4 Indian Institute of Public Administration (IIPA) has been assigned special study on representation of minorities in Ministry of Railways and Department of Posts. Report from IIPA is still awaited.

11.5 Manavadhikar Samajik Manch (a Society under the Societies Registration Act of 1860), New Delhi was assigned an impact study on implementation of the Maulana Azad National Scholarship Scheme for meritorious girl students belonging to minorities. The draft report is received and is being examined .

MEDIA CAMPAIGN

11.6 With the help of DAVP, an annual media plan was prepared and a multi –media campaign carried out by the Ministry of Minority Affairs during 2009-10. Print advertisements on social inclusion, free coaching and scholarship schemes of the Ministry were published through DAVP, in 147 English, 447 Hindi, 261 Urdu and 303 vernacular language news papers all over the country in 2009-10 (upto 31.12.2009). Radio jingles were also broadcast in Hindi and in vernacular languages on All India Radio in the national news, Vividh Bharati, FM and regional news channels. Besides, television commercial jingles were telecast on Doordarshan National Network (DD-I) and Regional Kendras of Doordarshan.

CHAPTER 12

IMPLEMENTATION OF MINORITIES WELFARE PROGRAMMES /SCHEMES IN NORTH EASTERN STATES AND SIKKIM

12.1 The Ministry has been allotted an outlay of Rs.1740 crore for various plan schemes for the current financial year. Of this, an amount of Rs.161.50 crore has been earmarked for the North-Eastern States. The scheme-wise allocation is given below:-

SL. No.	Name of the Scheme	Amount Earmarked (Rs. in crore)
1.	National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC)	Rs. 12.50 crore
2.	Free coaching and allied scheme for minorities	Rs. 1.20 crore
3.	Research/studies, monitoring & evaluation of development schemes for minorities including publicity	Rs. 0.30 crore
4.	Grant-in-aid to State Channelizing Agencies(SCA)	Rs. 0.20 crore
5.	Merit-cum means scholarship for professional and technical courses	Rs. 10.00 crore
6.	Multi-sectoral development programme in 90 selected minority concentration districts	Rs. 100.00 crore
7.	Pre-matric scholarships for minorities	Rs. 20.00 crore
8.	Post-matric scholarships for minorities	Rs.15.00 crore
9.	Maulana Azad National Fellowship for Minority Students	Rs. 1.50 crore
10.	Scheme for Leadership Development for Minority Women	Rs. 0.80 crore
	Total	**Rs.161.50 crore**

12.2 Out of a total financial assistance of Rs. 10.55 crore to 77 Non- Governmental Organisations (NGO) throughout the country, the Maulana Azad Education Foundation has sanctioned grant of Rs 10 lakh to one NGO in North Eastern States.

12.3 National Minorities Development Finance Corporation (NMDFC) gives special focus to availability of credit to the minorities residing in North Eastern Region. NMDFC schemes are operational in the North Eastern States through State Channelising Agencies (SCA) with the exception of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Sikkim. Under Term Loan & Micro Credit schemes, out of Rs. 1308.70 crore provided to the minorities all over the country till 31/12/2009, the share of North Eastern States was Rs. 104.81 crore (8.00%) for 33,032 beneficiaries. In 2009-10, out of the total allocation of Rs. 309.45 crore in the country, an allocation of Rs. 34.66 crore (11.20%) has been made for the North Eastern region and up to 31st December 2009, an amount of Rs. 12.97 crore has been released.

CHAPTER 13

GRANT–IN-AID SCHEME TO STATE CHANNELISING AGENCIES OF NATIONAL MINORITIES DEVELOPMENT & FINANCE CORPORATION

13.1 The National Minorities Development & Finance Corporation implements its schemes through the State Channelising Agencies (SCAs). These are agencies so designated by the concerned State Governments which identify the beneficiaries, channelise the lendings and also make recoveries from the beneficiaries. However, most of the State Channelising Agencies have a very weak infrastructure leading to a weak delivery system. Consequently, the performance and the ambit of coverage of NMDFC may not improve unless the infrastructure of these agencies is improved.

13.2 The Ministry launched a scheme of Grants-in-Aid for improvement of the infrastructure of the SCAs during 2007-08. Under the scheme, 90% of the expenditure is to be borne by the Central Government and the State Government make matching contribution of 10%.

CHAPTER 14

NEW SCHEMES OF 2009-10

Scheme for Leadership Development of Minority Women

14.1 This scheme has been transferred from Ministry of Women & Child Development to Ministry of Minority Affairs. Through this scheme, women would be provided leadership training so that they are empowered and emboldened to move out of the confines of their homes and community and begin to assume leadership roles in accessing services, skills and opportunities.

Maulana Azad National Fellowship for Minority Students

14.2 The objective of the scheme is to provide Fellowship in the form of financial assistance to students from the minority community pursuing higher studies such as M.Phil and Ph.D. The scheme will cover all Universities, institutions, recognized by University Grants Commission (UGC) under Section 2(f) and Section 3 of the UGC Act and will be implemented by the Ministry of Minority Affairs for minority community students through University Grant Commission. These Fellowships will be on the pattern of UGC Fellowship, awarded to research students pursuing M. Phil and Ph.D courses. 30% of the fellowships are earmarked for female scholars.

Scheme for Computerization of the Records of State Waqf Boards

14.3 The Waqf properties are spread out all over the country but effective survey of waqf properties have not been done in most States. There is scope for large scale development of waqf properties to ensure substantial income for the welfare schemes of the community.

14.4 The Joint Parliamentary Committee on Waqf in its 9th Report recommended computerization of the records of State Waqf Boards.

LAUNCHING OF THE SCHEME ON COMPUTERISATION OF RECORDS OF STATE WAKF BOARDS AND LAUNCHING OF THE SCHEME OF MAULANA AZAD NATIONAL FELLOWSHIP FOR STUDENTS FROM MINORITY COMMUNITIES BY HON'BLE MINISTER, SHRI SALMAN KHURSHID

14.5 In order to streamline record keeping of waqf lands, introduce transparency and social audit, and to computerize the various functions/processes of the Waqf Boards and to develop a single web based centralized application, computerization of the records of State Waqf Boards with the help of Central financial assistance to the these Boards, including that of J&K was recommended by Joint Parliamentary Committee on Waqf. The proposal was approved on 25th November, 2009. A provision of Rs 10 crore has been made for this scheme in BE 2009-10.

14.6 The broad objectives of the scheme for computerization and management of Waqf properties are as follows:

* Properties Registration Management.
* Muttawalli Returns Management.
* Leasing of Properties Management.
* Litigations Tracking Management.

* Documents Archiving & Retrieval Management.
* GIS of Waqf Properties.
* Funds Management to Mosques, Durgah, Kabristan, Imams, Muazzins, widows, girls marriages, scholarships, schools, hospitals, Dispensaries, Musafirkhanas, skill Development Centres etc.
* Loans Management for development of urban waqf properties.

14.7 The scheme of computerization is to be applicable uniformly across all the 29 State Waqf Boards and any other Waqf Board like Jammu & Kashmir, making a special request for funding subject to availability of funds. The project also encompasses a handholding support period of 2 years during 2010-11 and 2011-12 with minimal financial support to hire some computer personnel by the State Waqf Boards to stabilize the new system and train Waqf Board officials. Funds will be released to NIC or their nominee and to the State Waqf Boards directly for effective implementation. Utilization Certificates will be routed by the Waqf Boards through State Governments concerned after due expenditure.

CHAPTER 15

COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES

15.1 The Office of the Commissioner for Linguistic Minorities (CLM) was created in July 1957, in pursuance of the provision of Article 350-B of the Constitution, which came into existence as a result of the Constitution (7th Amendment) Act, 1956 consequent upon the recommendation of the States Reorganization Commission. As per Article 350-B, it shall be the duty of the Commissioner for Linguistic Minorities to investigate all matters relating to the safeguards provided for the Linguistic Minorities in India under the Constitution and report to the President upon those matters at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament and sent to the Government/Administrations of the States/UTs concerned. The Commissioner for Linguistic Minorities has its headquarter at Allahabad with three Zonal Offices at Belgaum, Chennai and Kolkata. The CLM takes up all the matters pertaining to the grievances arising out of non-implementation of the Constitutional provisions and Nationally Agreed Scheme of Safeguards provided to linguistic minorities at the highest political and administrative levels of the State Governments and Union Territory Administrations and recommends remedial action. So far, 44 Reports of the CLM have been laid in Parliament.

Constitutional Safeguards for Linguistic Minorities:

15.2 Under the Constitution of India, certain safeguards have been granted to the linguistic minorities. Articles 29 and 30 of the Constitution seek to protect the interests of minorities and recognize their right to conserve their language, script or culture and establish and administer educational institutions of their choice. Article 347 makes provision for Presidential direction for official recognition of any language spoken by a section of the population of a State throughout that State or any part thereof for such purpose as the President may specify. Article 350 gives the right to submit representation for redressal of grievances to any authority in the Government in any of the languages used in the States /Union. Article 350-A provides for instruction in the mother-tongue at the primary

stage of education to children belonging to linguistic minorities. Article 350-B provides for a Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under the Constitution.

15.3. The Commissioner for Linguistic Minorities in India has submitted 45th Report to the Ministry of Minority Affairs. After the end of tenure of Shri Suresh A. Keswani as Commissioner for Linguistic Minorities on June 7, 2009, Shri Upendra Tripathy, Joint Secretary in the Ministry is holding the additional charge of the post.

Conference of Nodal Officers and Education Secretaries of States/UTs

15.4 For the first time, a Conference of Nodal Officers and Education Secretaries of all the States & Union Territories was organized at New Delhi on 28.8.2009, to sensitize the State Government & UTs Administrations towards linguistic minorities. Ministry of Minority Affairs advised the State Governments/Union Territories to give wide publicity to the constitutional safeguards provided to linguistic minorities and to take necessary administrative measures. The State Governments and UT Administrations were urged to accord priority to the implementation of the Scheme of Safeguard for linguistic minorities. Commissioner for Linguistic Minorities launched a 10 point programme to lend fresh impetus to Governmental efforts towards the preservation of the language & culture of linguistic minorities.

15.5 A running shield & certificate for the first time was presented to the State Govt. of Kerala for best performance in the implementation of the scheme of safeguards for linguistic minorities. This will be a recurring theme every year in order to sensitize and create awareness among administrators at various levels.

15.6 The Commissioner for Linguistic Minorities observed the International Mother Language Day on 21/2/2009. Representatives of several linguistic minorities from various parts of the country attended the national level seminar.

CHAPTER 16

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES

16.1 In January, 1978, the Government of India vide an executive order, set up a "Minorities Commission" to safeguard the interests of the minorities. With the enactment of the National Commission for Minorities Act, 1992, the Minorities Commission became a statutory body and was renamed as the "National Commission for Minorities".

16.2 The first statutory commission was constituted on 17th May, 1993. The Government of India vide Notification dated 23rd October,1993 notified five religious communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) as minority communities under section 2 (c) of the NCM Act,1992.

16.3 In terms of Section 3 (2) of NCM Act, 1992, the Commission shall consist of a Chairperson, a Vice Chairperson and five members to be nominated by the Central Government from amongst persons of eminence, ability and integrity provided that five members including the Chairperson shall be from amongst the minority communities. In accordance with Section 4 (1) of the NCM Act, 1992, each member including the Chairperson shall hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

16.4 The main functions of the Commission are to evaluate the progress of the development of minorities, monitor the working of the safeguards provided in the Constitution and in the laws enacted by the Central Government/State Governments for the protection of the interests of the minorities and look into specific complaints regarding deprivation of the rights of minorities. It also causes studies, research and analysis to be undertaken on the issues relating to the socio-economic and educational development of minorities and make recommendations for the effective implementation of the safeguards for the protection of the interests of minorities.

16.5 The composition of the present Commission as on 31/12/2009 is as follows:

Sl. No.	Name and Post Holding	Date of assumption of Office	Date of expiry of term	Community
1.	Shri Mohamed Shafi Qureshi, Chairman	03.09.2007	02.09.2010	Muslim
2.	Dr. H.T. Sangliana, Vice Chairman	15.12.2009	14.12.2012	Christian
3.	Dr.(Miss.) Mehroo Dhunjisha Bengalee, Member	11.04.2007	10.04.2010	Parsi
4.	Shri Harvendra Singh Hanspal, Member	06.03.2009	05.03.2012	Sikh
5.	Smt. Spalzes Angmo, Member	06.03.2009	05.03.2012	Buddhist
6.	Vacant			
7.	Vacant			

16.6 The National Commission for Minorities, in accordance with section 12 of the National Commission for Minorities Act, 1992, prepares and submits its Annual Report to the Ministry. In accordance with Section 13 of the NCM Act, 1992, the annual report of the Commission, together with an Action Taken Memorandum on the recommendations contained therein, in so far as they relate to the Central Government, and the reasons for non-acceptance, if any, of any such recommendation, is to be laid before each House of Parliament. Recommendations pertaining to various State Governments/Union Territory Administrations are forwarded to them for taking necessary action in accordance with section 9(3) of the NCM Act, 1992.

16.7 The National Commission for Minorities has submitted fourteen Annual Reports for the years 1992-93 to 2006-07. The first three Annual Reports of the National Commission for Minorities, along with the Action Taken Memoranda, were laid in both the Houses of Parliament before this Ministry was created. After the creation of this Ministry, ten Annual Reports along with Action Taken Memoranda on recommendations contained therein, were tabled in Parliament during year 2006-07. Action is under progress to table the Annual Reports of the NCM for the years 2006-2007 and 2007-08.

State Commission for Minorities

16.8 Thirteen State Governments namely Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhatisgarh, Govt. of NCT of Delhi, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal have set up statutory commissions for minorities. Manipur and Uttarakhand have set up non-statutory commissions.

CHAPTER 17

WAQF ADMINISTRATION AND CENTRAL WAQF COUNCIL

17.1 Ministry of Minority Affairs is responsible for the implementation of the Waqf Act, 1995, (erstwhile Waqf Act, 1954) which came in to force on 1st January, 1996. The Act extends to whole of India except to the State of Jammu and Kashmir. Twenty nine States have constituted Waqf Boards under this Act, excluding J&K, which has its own Act. List of State Waqf Boards is at **Annex-VII**.

Central Waqf Council

17.2 The Central Waqf Council, a statutory body under the aegis of the Ministry of Minority Affairs (Government of India), was established in December, 1964 under the provision of Section 8-A of Waqf Act, 1954(now read as sub-section 1 of section 9 of the Waqf Act, 1995) for the purpose of advising the Government of India on matters pertaining to working of the State Waqf Boards and proper administration of the Waqfs in the country. Therefore, it has been taking up the issue of common concern to promote the interest of Waqf in the country for better realization of its objectives. The Union Minister of Minority Affairs is the ex-officio Chairperson of the Central Waqf Council.

17.3 Apart from taking up the issues as per the objectives of the Council, it has also been participating in the development process of the society by way of implementing the following schemes:

(i) Scheme for Development of Urban Waqf Properties: With a view to protect vacant Waqf lands from encroachers, and to augment the resources of the Waqfs for enlarging the welfare activities, Central Waqf Council has been implementing a non-plan scheme, as captioned above with yearly grants-in-aid from the Central Government since 1974-75. Under the scheme, loan is extended to various Waqf institutions in the country for taking up economically viable buildings on the Waqf land like commercial complexes, marriage halls, hospitals, cold storages etc. Under the scheme, the Govt. of India has

released a total grants-in-aid amounting to Rs. 33.16 crore since inception. A sum of Rs. 1.02 crore was unutilized balance with the Council, which has been fully utilized during the period under report.

**HOSPITAL BUILDING OF JAMIYA SAIDYA ARABIYA KASARGOD (KERALA)
CONSTRUCTED WITH THE LOAN ASSISTANCE FROM CENTRAL WAKF COUNCIL**

(ii) Minor Projects: The loan amount disbursed by the Council to the Waqf institutions is repayable in 20 half yearly installments with a moratorium of two years. The amount thus repaid forms a revolving fund of the Council, which is again utilized for the minor projects on the Waqf land. Under this scheme, the Council had advanced loan amounting to Rs. 491.89 crore to 90 projects from 1986-87 up to December, 2009 out of which 66 projects have so far been completed and work on 24 projects were in progress.

(iii) Educational Schemes : The grants-in-aid received by the Central Waqf Council is released to the Waqf in the form of interest free loans for the development of Urban Waqf properties, while the Council bears the entire expenditure on the staff working in the scheme as well as other expenses on paper, postage etc. Against this service rendered by the Council, it puts two

conditions on the loanee Waqf institutions i.e. (a) they would pay 6% donation on the outstanding loan to the Education Fund of the Council for its schemes meant for educational uplift of the poor Muslims; and (b) after the repayment of the loan, they would spend 40% of their enhanced income on the education of the Muslims particularly on technical education.

17.4 The 6% donation received from loanee Waqfs on the outstanding loan for the development of urban Waqf properties, as well as the interest accrued from revolving fund on education of the Council is utilized for implementing the following programmes :

i) Matching grant to the State Waqf Boards for providing scholarships to the school students, madrasa students and to the students pursuing technical/professional/ diploma courses in their respective States.

ii) Grant for the establishment of I.T.I.s in the Muslims concentrated areas.

iii) Financial assistance to voluntary organizations for vocational training centres.

iv) Financial assistance to libraries for developing book banks.

CHAPTER 18

THE DURGAH KHWAJA SAHEB ACT, 1955

18.1 It is an Act to make provision for the proper administration of Durgah and Endowment of the Durgah Khwaja Moinuddin Chishty (R.A.). Under this Central Act the administration, control and management of the Durgah Endowment has been vested in a representative Committee known as the Durgah Committee appointed by the Central Government. The said Act and Bye Laws are available on the website: w.w.w.gharibnawaz.in

Administration of Durgah Khawaja Sahab Act, 1955

18.2 The Durgah of Khwaja Moin-ud-din Chishti at Ajmer in Rajasthan is a waqf of international fame. The Durgah is being administered under the Durgah Khwaja Saheb Act, 1955. The administration, control and management of the Durgah Endowment vests in the Durgah Committee. A Committee of the Durgah was constituted on 24th August,2007 with the following members in the Committee.

1.	Janab Prof. Sohail Ahmad Khan	President
2.	Janab Prof. (Dr.) Ibraheem	Vice President
3.	Janab Hafiz Vakil Ahmed Sahab	Member
4.	Janab Mohammed Ilyas Qadri	Member
5.	Janab Nawab Mohammed Abdul Ali	Member
6.	Janab A.H. Khan Choudhury	Member
7.	Janab Mohammed Suhel Mohiyuddin Tirmizi	Member
8.	Janab Badruddin Ghulam Mohiyuddin Sheikh	Member
9.	Janab Ghole Ismail Muallim	Member

Functions of the Durgah Committee

18.3 Administrative Functions :

- To administer, control and manage the Durgah Endowment.
- To keep the buildings within the boundaries of the Durgah Sharif and all buildings, houses and shops comprised in the Durgah Endowment in proper order and in a state of good repair.
- To determine the privileges of the Khadims and to regulate their presence in the Durgah by grant of licenses, if the Committee thinks it necessary.
- To determine the powers and duties of the Advisory Committee.
- To determine the functions and powers, if any, which the Sajjadanashin may exercise in relation to the Durgah.
- To appoint, suspend or dismiss servants of the Durgah Endowment.

18.4 Financial Functions :

- To receive all the money and other income of the Durgah Endowment.
- To see that the Endowment funds are spent in the manner desired by the donors.
- To pay salaries, allowances and perquisites and make all other payments due, out of, or charged on, the revenues or income of the Durgah Endowment.

18.5 Management of Urs/ Congregations:

Annual Urs June 2009 and Mini Urs (Muharram) December 2009 (in which around 7 lakh pilgrims participated) were arranged successfully. Infrastructural arrangements were made by the Durgah Committee, Government of Rajasthan and district administration, Ajmer. Apart from this, Urs of "Bade Sarkar" was also held with all amenities to the pilgrims.

18.6 Amenities to the Zaireen (Pilgrims) :

With the help of Government of India, Ministry of Urban Development (JNNURM) and active involvement of Government of Rajasthan through local administration, the Durgah Committee is implementing a scheme of providing lodging facilities for lakhs of pilgrims who visit the holy Durgah during the annual Urs. The facility was earlier named as "Vishram Sthali" and has been renamed as "Gharib Nawaz Mehmankhana". The infrastructure is meant to provide facilities /amenities to the zaireen of Durgah Khwaja Sahab. Various State

Governments have also evinced interest in developing their State Pavilion Blocks for the pilgrims. The project envisages lodging arrangements for around one lakh pilgrims and parking facility for 6000 buses / vehicles. The estimated capital outlay for this project is around Rs. 136 crore of which the infrastructure / buildings for Rs. 10 crore have already been completed.

i. Efforts to strengthen further the unani and homeopathic dispensaries are on with other NGO's who are interested to extend the medical facilities to the zaireen.

ii. Space at Eidgah has been doubled for the zaireen / general public.

iii. Efforts are on for purchase of suitable land / building in the vicinity of Durgah Sharif for construction of sanitation blocks for zaireen.

CHAPTER 19

NATIONAL MINORITIES DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION (NMDFC)

19.1 The National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) was incorporated on 30th September 1994, with the objective to promote economic and developmental activities for backward sections among minorities. To achieve its objective, NMDFC is providing concessional finance for self-employment activities to eligible beneficiaries belonging to minority communities having family income below double the poverty line.

19.2 NMDFC has two channels to reach the ultimate beneficiaries (i) through the State Channelising Agencies (SCAs) nominated by the respective State/UT Government and (ii) through Non Governmental Organizations (NGOs). Under SCA programme, projects costing up to Rs. 5.00 lakhs to the individual beneficiaries are financed. Funds for this purpose are made available to the SCAs at interest rate of 3% for further loaning to the beneficiaries at 6%. The Corporation is also implementing schemes of Vocational Training & Educational Loan through the SCAs for capacity building of the target groups for self as well as wage employment.

19.3 Under NGO programme, micro-credit up to Rs. 25,000 is being given to each of the members of the Minority Self Help Groups (SHGs) through the NGOs. Funds for this purpose are made available to the NGOs at 1 % for further loaning at an interest rate of 5% per annum. In addition to loaning activity, NMDFC assists the targeted group in training for skill upgradation and marketing assistance. Under NGOs programme, there is also a provision of interest free loan (adjustable as grant) for promotion and stabilization of SHGs.

19.4 NMDFC is implementing the Educational Loan Scheme through the State Channelizing Agencies. Under this scheme, NMDFC provides Rs. 2,50,000 to the eligible (those who have secured admission in technical and professional courses) candidates belonging to minority communities at a concessional interest rate of 3% p.a. for pursuing professional and technical education.

19.5 To implement its programmes, NMDFC has authorized share capital of Rs. 1000 crores out of which, the share of Govt. of India is Rs. 650.00 crores (65%) and the share of

State Govts. is Rs. 260 crores (26%) while the remaining Rs. 90 crores (9%) is to be contributed by institutions/individuals having interest in minorities. Govt. of India has so far contributed Rs. 645.36 crores (99.29%) in the equity of NMDFC, while Rs. 136.63 crores (52.55%) has been contributed by the various State Governments/UTs. An amount of Rs. 55,000 has been contributed by institutions/individuals having interest in minorities.

Achievements

19.6 Under SCA programme since inception till 31st December, 2009. NMDFC has given Term Loan assistance to 3,11,278 beneficiaries spread over twenty five States and three Union Territories with an amount of Rs. 1207.38 crore. In 2009-10 (up to 31st December, 2009) an amount of Rs. 91.21 crore has been disbursed to 20,272 beneficiaries.

19.7 Micro Financing is being implemented by NMDFC since 1998-99 initially through NGOs. Later, SCAs were also involved in implementation. Since inception till 31st December 2009, disbursement to the tune of Rs. 101.32 crore has been made under the micro financing scheme for 1,76,903 beneficiaries. In the current financial year (2009-10) up to 31st December, 2009, micro-credit loan of Rs. 26.65 crore has been disbursed to NGOs/SCAs for 33580 beneficiaries.

19.8 Till 31st December 2009, since inception NMDFC has disbursed a consolidated amount of Rs. 1308.70 crore benefiting 4,88,181 beneficiaries under the above two programmes. During the current financial year till 31st December, 2009 a consolidated amount of Rs. 117.87 crores has been disbursed for assisting 53,852 beneficiaries.

Grants-in-aid to strengthen the infrastructure of State Channelising Agencies of NMDFC

19.9 A scheme for giving grants-in-aid to State Channelising Agencies for strengthening of their infrastructure had been launched by the Ministry of Minority Affairs during 2007-08. Assistance is being provided for awareness campaigns, improvement in delivery systems, training of manpower, debt recovery etc. Under the scheme, 90% of the expenditure is borne by the Central Government and the State Governments have to make contribution of 10%.

CHAPTER 20

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

20.1 The Maulana Azad Education Foundation (MAEF) was established in 1989 as a voluntary, non-political, non-profit making society registered under the Societies Registration Act, 1860.

20.2 The main objectives of MAEF are to formulate and implement educational schemes and plans for the benefit of the educationally backward minorities in particular and weaker sections in general, to facilitate establishment of residential schools, especially for girls, in order to provide modern education to them and to promote research and encourage other efforts for the benefit of educationally backward minorities.

General Body and Governing Body

20.3 The General Body of the Foundation has 15 members - six ex-officio members and nine nominated members. The latter are nominated by the President of the Foundation for a period of three years. Union Minister for Minority Affairs is the ex-officio President of the Foundation.

Schemes

20.4 The schemes of the Foundation are mainly of two types, viz; Grants-in-aid to NGOs for construction and expansion of schools / hostels, technical / vocational training centres with emphasis on girl students and scholarships to meritorious girl students. The various schemes run by the Foundation are as under:

(a) Financial assistance to establish/expand schools/residential schools/colleges;

(b) Financial assistance for purchase of laboratory equipment and furniture etc;

(c) Financial assistance for setting up/strengthening vocational/technical training centre/institutes;

(d) Financial assistance for construction of hostel buildings;

(e) Maulana Azad National Scholarships for meritorious girl students;

(f) Maulana Abdul Kalam Azad Literacy Awards.

Corpus Fund

20.5 The Foundation is implementing its schemes out of the interest earned on its corpus fund, which is its main source of income. The corpus fund has been provided by the Government to the Foundation as part of plan assistance. The corpus fund, which stood at Rs.100 crore in the year 2006-07 now stands at Rs. 425 crore.

20.6. Out of a total approved plan outlay of Rs.500 crore to augment the corpus fund of the MAEF during the 11th Plan period, Rs.225 crore have already been released. The balance of Rs. 275 crore will be released in next two years of the current plan period.

20.7 The Foundation has also, with the approval of its Governing Body, approached major industrial houses, voluntary agencies and public sector companies soliciting voluntary contribution towards its corpus fund.

Achievement

20.8 Since its inception and up to 31st December, 2009, the MAEF has sanctioned Rs.127.87 crore to 970 NGOs throughout the country for construction / expansion of schools / colleges / girls hostels / polytechnics / ITI and purchase of equipment / machinery / furniture and has distributed scholarships to 26907 girl students amounting to Rs.30.12 crore. State-wise details are at **Annex VIII** and **IX**.

Achievement in 2009-10

20.9 In 2009-10 upto 31st December, 2009, the MAEF has sanctioned grants-in-aid to 77 NGOs amounting to Rs. 10.55 crore throughout the country. During 2009-10, scholarships to 15,000 meritorious girl students will be distributed.

Evaluation Study.

20.10 An evaluation cum asset verification study is under progress in order to assess the impact of the schemes on the target group. The study is being carried out by the Indian Social Institute.

CHAPTER 21

GENDER SPECIFIC ISSUES AND GENDER BUDGETING

21.1 Hon'ble Supreme Court in its judgments in the case of Vishaka Vs. State of Rajasthan (AIR 1997 SUPREME COURT 3011) laid down certain guidelines for instituting an anti-sexual harassment policy at the work place. Hon'ble Supreme Court stated that all employers and persons in charge of work place whether in public or in private sector, should take appropriate steps to prevent sexual harassment and without prejudice to the generality of this obligation, the organizations, be it public or private, should take certain steps to prevent and enquire any complaint based on sexual harassment received from the women workforce in the Ministry/Department/Organization.

21.2 In pursuance of the directions given by Hon'ble Supreme Court, an Internal Complaint Committee has been set up in the Ministry on 31.8.2009 with following composition :

1.	Ms. Shamima Siddiqui, Deputy Secretary, M/o MA	Chairperson
2.	Ms Farah Naqvi,	Member
3.	Ms. Priti Kumari, Asstt. Director, M/o MA	Member
4.	Ms. Yasmin Sultana, Sr. Research Investigator, M/o MA	Member

At least 30% earmarking for girl students under scholarship schemes

21.3 Three exclusive scholarship schemes for students belonging to the minority communities have been approved viz. a merit-cum- means based scholarship scheme, a post-matric scholarship scheme and a pre-matric scholarship scheme. All three schemes as well as the 'Free Coaching & Allied Scheme' provide for earmarking 30% of the available scholarships for girl students from the minority communities. Under the merit-cum-means based scholarship scheme, 32.01% of the scholarships sanctioned in the year 2008-09 were awarded to girl students; under pre-matric scholarship scheme, 50.89% of scholarships sanctioned for 2008-09 were awarded to girl students and 55% of

scholarships sanctioned in 2008-09 were awarded to girl students under post-matric scholarship scheme. In 2009-10 (upto 31st December, 2009), the percentage for girl students was as follows :

Pre-Matric Scholarship Scheme	-	48.24%
Post Matric Scholarship scheme	-	56.55%
Merit-cum-Means based scholarship scheme	-	31.96%

Gender Issues under NMDFC Programme:

21.4 NMDFC provides special focus to the credit needs of women. It has been operating the micro financing scheme mainly focusing on economically poor minority women. The micro-financing scheme of NMDFC mainly aims at empowerment of women by meeting their credit needs in an informal manner through NGOs/SHGs. Since inception, NMDFC has helped 1,76,903 beneficiaries with micro credit of Rs. 101.32 crore upto 31st December, 2009. Around 85% of the beneficiaries are women.

Mahila Samridhi Yojna

21.5 NMDFC has introduced the scheme of Mahila Samridhi Yojna which links micro credit to the women after training. Under this scheme, women are provided skill development training for duration of six months followed by requisite micro credit up to Rs. 25000 with an interest rate of 4% p.a. for starting their income generation-activities.

CHAPTER 22

RIGHT TO INFORMATION ACT

22.1 In accordance with the provisions of section 4(1) (b) of the Right to information Act, 2005 this Ministry has brought out a handbook for information and guidance of the general public. This is available at the Ministry's website www.minorityaffairs.gov.in. This provides information about the Ministry's organizational set-up, functions and duties of its officers and employees, records and documents available in the Ministry, etc. This also provides information about the schemes, projects and programmes being implemented by the Ministry and its various organizations.

22.2 The Ministry of Minority Affairs has designated six CPIOs and Shri Gopal Dass, Deputy Secretary as its Central Public Information Officer as well as nodal officer for all matters concerning the Ministry. Three officers have been designated as the Appellate Authorities. In 2009-10, upto 31st December, 2009, 163 applications under the RTI Act were received and these were replied. Seven appeals received against the information furnished by the CPIO were disposed of by the Appellate Authorities.

CHAPTER 23

POLICY DECISIONS AND ACTIVITIES UNDERTAKEN DURING THE YEAR FOR THE BENEFIT OF THE PERSONS WITH DISABILITIES

23.1 The Ministry of Minority Affairs came in to existence on 29th January, 2006 to ensure more focused approach towards the issues relating to the minorities and to facilitate the formulation of overall policy and planning, coordination, evaluation and review of regulatory framework and development programmes for the benefit of the minority communities. The Ministry has a small set up consisting of sanctioned strength of only ninety three officers and staff with one Secretary, one Additional Secretary-cum-Financial Advisor (additional charge) and three Joint Secretaries. The Ministry essentially is officer oriented and most of the middle level officers work on Desk Officers' pattern.

23.2 Out of 93 sanctioned strength of officers/staff (most of which are filled from organized services) 66 posts have been filled up in the Ministry. Since inception of the Ministry only 3 posts of Peon have been filled up from open market and one post of Assistant Director has been filled by absorption of the officer on deputation. Rest of the posts have been filled up through short-term deputation. The benefits of reservation, therefore, could not be given to the persons with disabilities so far. Provisions regarding reservation for persons with disabilities will, however, be complied with for recruitment in future.

CHAPTER 24

COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL AUDIT PARAS

24.1 The Comptroller and Auditor General vide their report no. 13 of 2007 on appropriation accounts 2006-07, had pointed out at para 7.15 about "unrealistic estimation of expenditure /revised estimates". Further it has been pointed out that while obtaining supplementary grants, the Ministry/Departments reported to Parliament large amounts of additional requirements for different purposes under the scheme/activities, but they were finally unable to spend not only the entire supplementary grants or parts thereof but also the budget provision in certain cases.

24.2 Broadly the observations made in the C&AG report was regarding unnecessary supplementary grant under two schemes namely, "Coaching & Allied Scheme for Minorities" and "Merit-cum-means based Scholarship for Professional and Technical Courses". The replies given by the Ministry are as under :

(i) Coaching and Allied Scheme for Minorities - The Ministry of Minority Affairs was not in existence when the budget proposals for 2006-07 were finalized. Provision for this scheme was made in the Demands for Grants of the M/o Social Justice and Empowerment which handled the subject then. After the Ministry of Minority Affairs was created, the funds had to be transferred to the grants of the Ministry of Minority Affairs through a technical supplementary. Funds were transferred out of the provision for a composite scheme. The applications etc., which were received by the Ministry of Social Justice and Empowerment, which had initially launched the scheme, were handed over to this Ministry only in the month of October 2006 leaving this Ministry without reasonable time to process these and release the funds.

This situation is unlikely to arise again as now the provisions are being made for the Ministry under the appropriate head and no technical supplementary is envisaged.

(ii) Merit- cum- means based Scholarship for Professional and Technical Courses - The scheme was appraised by the Expenditure Finance Committee (EFC) on

6th December, 2006. However, being a Centrally Sponsored Scheme, this required approval of the full Planning Commission. This was sought on 20th December, 2006 and it was not received for more than six months. Ultimately the matter had to be taken to the Cabinet without such approval. Hence no expenditure could be incurred in 2006-07. Further, it was also mentioned that manpower of the new Ministry remained almost at the same level as was in the Ministry of Social Justice and Empowerment and not commensurate with the additional responsibilities allocated to the new Ministry.

STATEMENT SHOWING THE SANCTIONED STRENGTH AND VACANT POSTS IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (AS ON 31/12/2009)

Sl. No.	Name of Post	Sanctioned Strength	Number of Posts filled	Number of Posts vacant
01	Secretary	01	01	Nil
02	Joint Secretary	03	02	01
03	Director/Deputy Secretary	07	06	01
04	Under Secretary	10	07	03
05	Assistant Directors	03	03	Nil
06	Assistant Director(Official Language)	01	01	Nil
07	Assistant Director(Urdu)	01	Nil	01
08	Research Officer	01	01	Nil
09	Section Officer	08	04	04
10	Principal Private Secretary	01	01	Nil
11	Assistant	10	09	01
12	Senior Research Investigator	04	03	01
13	Senior Investigator	04	01	03
14	Accountant	01	01	Nil
15	Private Secretaries	03	03	Nil
16	Steno Grade “C”	07	07	Nil
17	Senior Hindi Translator	01	01	Nil
18	Translator (Urdu)	01	Nil	01
19	Steno Grade “D”	08	02	06
20	UDC/LDC	01	01	Nil
21	Typist (Urdu)	01	Nil	01
22	Staff Car Driver	02	02	Nil
23	Peons	14	10	04
	Total	**93**	**66**	**27**

ANNEX-II

ORGANIZATIONAL CHART OF MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

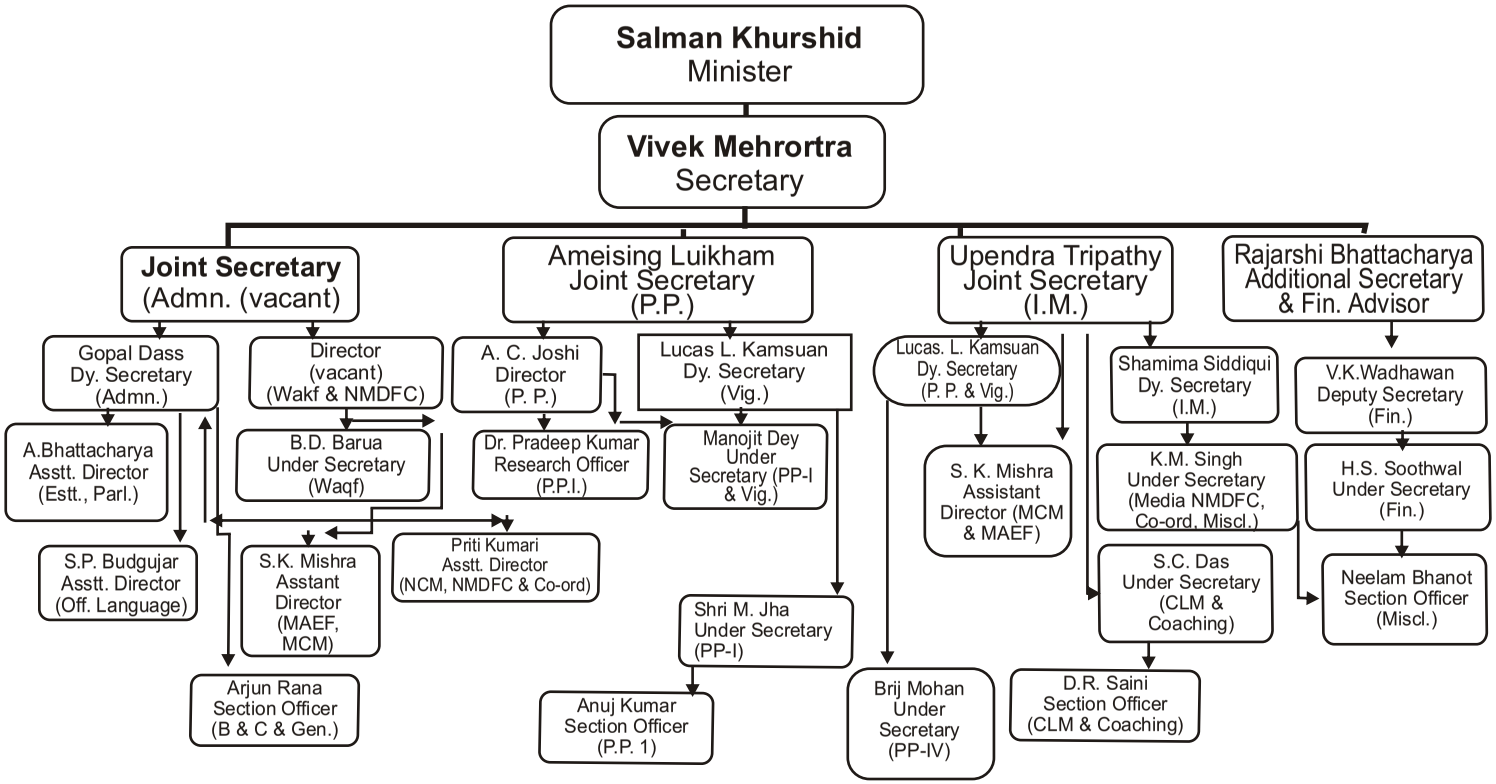

Admn.	: Administration,
B & C	: Budget and Cash
Coord.	: Coordination
CLM	: Commissioner for Linguisttic Minorities
Estt.	: Establishment
Fin.	: Finance
Parl.	: Parliament

Gen.	: General
I.M.	: Institution & Media
NCM	: National Commission for Minorities
P.P.	: Planning & Programme
MCM	: Merit-Cum-Means Scholarships
MAEF	: Maulana Azad Education Foundation
Vig.	: Vigilance
Miscl.	: Miscellaneous

ANNEX-III

STATEMENT SHOWING PLAN SCHEME/PROGRAMME – WISE ELEVENTH FIVE YEAR PLAN (2007-12) OUTLAY, BUDGET ESTIMATES, REVISED ESTIMATES AND ACTUAL EXPENDITURE DURING 2009-2010 (UPTO 31ST DECEMBER, 2009)

(Rs. in crore)

Sl. No.	Name of the Scheme/Programe	Eleventh Plan (Outlay)	Budget Estimates 2009-10	Revised Estimates 2009-10	Actual Expenditure 2009-10 (up to 31/12/2009)
A.	Central Sector Schemes				
1.	Grant-in-aid to Maulana Azad Education Foundation	500.00	115.00	115.00	115.00
2.	Free Coaching & Allied Scheme for Minorities	45.00	12.00	12.00	7.17
3.	Contribution to the Equity of NMDFC	500.00	125.00	125.00	125.00
4.	Research/Studies, monitoring & evaluation of development schemes for Minorities including publicity	35.00	13.00	13.00	6.96
5.	Grants-in-aid to State Channelising Agencies (SCAs) engaged for implementation of NMDFC programme	20.00	2.00	2.00	0.00
	NEW SCHEMES				
6.	Scheme for Leadership Development of Minority Women	—	8.00	8.00	Nil

Sl. No.	Name of the Scheme/Programe	Eleventh Plan (Outlay)	Budget Estimates 2009-10	Revised Estimates 2009-10	Actual Expenditure 2009-10 (up to 31/12/2009)
7.	Maulana Azad National Fellowship for Minority Students	—	15.00	15.00	Nil
8.	Computerization of Records of the State Waqf Boards	—	10.00	10.00	Nil
	Sub-Total (CS)	**1100.00**	**300.00**	**300.00**	**254.13**
B.	**Centrally Sponsored Schemes**				
1.	Merit-cum-Means scholarship for professional and technical courses for undergraduates and post-graduates	600.00	100.00	100.00	84.65
2.	Multi-sectoral Development Programme for Minorities in minority concentration districts.	2750.00	989.50	989.50	513.36
3.	Pre-matric Scholarships for Minorities	1400.00	200.00	200.00	128.94
4.	Post-matric Scholarship for Minorities	1150.00	150.00	150.00	99.42
5.	*Secretariat-Plan	0.00	0.50	0.50	0.25
	Sub-total (CSS)	**5900.00**	**1440.00**	**1440.00**	**826.62**
	Grand Total (A+B)	**7000.00**	**1740.00**	**1740.00**	**1080.75**

***Provision has been made from CSS.**

ANNEX-IV(A)

LIST OF MINORITY CONCENTRATION DISTRICTS

CATEGORY - 'A'			
List of districts which have both socio-economic and basic amenities parameters below the national average			
Sl. No.	Sub-group Sl. No.	States	Districts
1	1	Arunachal Pradesh	East Kameng
2	2	Arunachal Pradesh	Lower Subansiri
3	3	Arunachal Pradesh	Changlang
4	4	Arunachal Pradesh	Tirap
5	5	Assam	Kokrajhar
6	6	Assam	Dhubri
7	7	Assam	Goalpara
8	8	Assam	Bongaigaon
9	9	Assam	Barpeta
10	10	Assam	Darrang
11	11	Assam	Marigaon
12	12	Assam	Nagaon
13	13	Assam	Cachar
14	14	Assam	Karimganj
15	15	Assam	Hailakandi
16	16	Assam	Kamrup
17	17	Bihar	Araria
18	18	Bihar	Kishanganj
19	19	Bihar	Purnia
20	20	Bihar	Katihar
21	21	Bihar	Sitamarhi
22	22	Bihar	Pashchim Champaran
23	23	Bihar	Darbhanga
24	24	Jharkhand	Sahibganj
25	25	Jharkhand	Pakaur

Sl. No.	Sub-group Sl. No.	States	Districts
26	26	Maharashtra	Parbhani
27	27	Manipur	Thoubal
28	28	Meghalaya	West Garo Hills
29	29	Orissa	Gajapati
30	30	Uttar Pradesh	Bulandshahar
31	31	Uttar Pradesh	Budaun
32	32	Uttar Pradesh	Barabanki
33	33	Uttar Pradesh	Kheri
34	34	Uttar Pradesh	Shahjahanpur
35	35	Uttar Pradesh	Moradabad
36	36	Uttar Pradesh	Rampur
37	37	Uttar Pradesh	Jyotiba Phule Nagar
38	38	Uttar Pradesh	Bareilly
39	39	Uttar Pradesh	Pilibhit
40	40	Uttar Pradesh	Bahraich
41	41	Uttar Pradesh	Shrawasti
42	42	Uttar Pradesh	Balrampur
43	43	Uttar Pradesh	Siddharthnagar
44	44	Uttar Pradesh	Bijnor
45	45	West Bengal	Uttar Dinajpur
46	46	West Bengal	Dakshin Dinajpur
47	47	West Bengal	Maldah
48	48	West Bengal	Murshidabad
49	49	West Bengal	Birbhum
50	50	West Bengal	Nadia
51	51	West Bengal	South 24-Parganas
52	52	West Bengal	Barddhaman
53	53	West Bengal	Koch Bihar

ANNEX-IV(B)

CATEGORY 'B'			
Sub-category 'B 1'			
List of districts which have socio-economic parameters below the national average			
Sl. No.	Sub-group Sl. No.	States	Districts
54	1	Arunachal Pradesh	Tawang
55	2	Arunachal Pradesh	West Kameng
56	3	Arunachal Pradesh	Papum Pare
57	4	Delhi	North East
58	5	Haryana	Gurgaon
59	6	Haryana	Sirsa
60	7	Karnataka	Gulbarga
61	8	Karnataka	Bidar
62	9	Madhya Pradesh	Bhopal
63	10	Uttar Pradesh	Lucknow
64	11	Uttar Pradesh	Saharanpur
65	12	Uttar Pradesh	Meerut
66	13	Uttar Pradesh	Muzaffarnagar
67	14	Uttar Pradesh	Baghpat
68	15	Uttar Pradesh	Ghaziabad
69	16	Uttaranchal	Udham Singh Nagar
70	17	Uttaranchal	Hardwar
71	18	West Bengal	Haora
72	19	West Bengal	North 24Parganas
73	20	West Bengal	Kolkata

ANNEX-IV(C)

Sub-category 'B 2'			
List of districts which have basic amenities parameters below the national average			
Sl. No.	Sub-group Sl. No.	States	Districts
74	1	Andamans	Nicobars
75	2	Assam	North Cachar Hills
76	3	Jammu & Kashmir	Leh (Ladakh)
77	4	Jharkhand	Ranchi
78	5	Jharkhand	Gumla
79	6	Kerala	Wayanad
80	7	Maharashtra	Buldana
81	8	Maharashtra	Washim
82	9	Maharashtra	Hingoli
83	10	Manipur	Senapati
84	11	Manipur	Tamenglong
85	12	Manipur	Churachandpur
86	13	Manipur	Ukhrul
87	14	Manipur	Chandel
88	15	Mizoram	Lawngtlai
89	16	Mizoram	Mamit
90	17	Sikkim	North

ANNEX-V

AMOUNT RELEASED UNDER MULTI-SECTORAL DEVELOPMENT PROGRAMME SINCE INCEPTION (UPTO 31ST DECEMBER, 2009)

Amount released under MsDP						
S.N.	State/District	Approved (Central Share)	In-Principle (Central Share)	Total (Central Share)	Amount released	Date of release
		1	2	1+2=3		
			In Rs. Lakh			
A	**Uttar Pradesh**				125.58	12-10-2009 (for IT Cell)
1	Kheri	2660.03	950.00	3610.03	1329.01	31/12/08
	Kheri*	1485.45	70.00	1555.45	742.73	24/09/2009
2	Barabanki	1679.29	157.00	1836.29	1627.14	31/12/08 & 16/12/09
	Barabanki*	1737.09	504.44	2241.53	868.55	16/12/09
3	Bareilly	1177.57	127.00	1304.57	588.78	31/12/08
	Bareilly*	768.23	1915.61	2683.84	384.12	24/09/09
4	Baghpat	507.38	132.90	640.28	406.67	31/12/08 & 30/12/09
5	Bijnor	3164.88	171.00	3335.88	1840.26	31/12/08 & 24/12/09
6	Muzaffarnagar	1743.46	491.69	2235.15	871.74	31/12/08
7	J.P. Nagar	1859.39	0.00	1859.39	1810.72	31/12/08 & 31/12/09
8	Siddarth Nagar	439.50	0.00	439.50	219.75	31/12/08
	Siddarth Nagar*	2140.83	659.00	2799.83	1070.42	23/09/2009
9	Shajahanpur	2015.00	250.00	2265.00	1007.50	02-12-2009
10	Bulandshahr	1475.00	250.00	1725.00	737.50	02-12-2009
11	Rampur	2525.00	250.00	2775.00	1262.50	02-12-2009
12	Saharanpur	2781.77	250.00	3031.77	1390.89	02-12-2009
13	Balrampur	2857.88	250.00	3107.88	1428.94	02-12-2009

14	Ghaziabad	1474.56	323.80	1798.36	737.29	07-01-2009
15	Bahraich	2085.42	327.50	2412.92	1042.71	07-01-2009
16	Budaun	4252.84	948.54	5201.38	2126.43	07-06-2009
17	Moradabad	3418.11	450.26	3868.37	1709.07	07-01-2009
18	Lucknow	1698.71	315.11	2013.82	849.36	18/09/09
19	Pilibhit	3439.91	1075.70	4515.61	1719.96	18/09/09
20	Shrawasti	1529.58	394.93	1924.51	764.80	30/10/09
21	Meerut	1206.97	244.00	1450.97	603.49	30/10/09
	Total of A	**50123.85**	**10508.48**	**60632.33**	**27265.91**	
B	**West Bengal**				23.28	12-02-2009 (for IT Cell)
1	Malda	2100.00	0.00	2100.00	1050.00	12-12-2008
2	Birbhum	1464.20	199.50	1663.70	732.10	12-12-2008
	Birbhum*	2430.62	0.00	2430.62	1215.31	24/12./09
3	Burdwan	2014.00	12.00	2026.00	1007.00	12-12-2008
	Burdwan*	1748.25	0.00	1748.25	874.13	24/12/09
4	Murshidabad	1387.50	2270.70	3658.20	693.75	12-12-2008
	Murshidabad*	3531.25	2504.00	6035.25	1765.63	30/12/09
5	Nadia	1419.82	297.75	1717.57	709.91	12-12-2008
6	Howrah	269.65	0.00	269.65	134.83	12-12-2008
	Howrah*	396.50	0.00	396.50	198.25	30/12/09
7	Uttar Dinajpur	1821.75	0.00	1821.75	910.88	18/09/09
8	South 24 pgs	3147.00	0.00	3147.00	1573.50	18/09/09
	South 24 pgs*	1930.00	1644.60	3574.60	964.99	21/12/09
9	Cooch Bihar	773.00	0.00	773.00	386.50	18/09/09
10	Nortth 24 pgs	2310.80	0.00	2310.80	1155.40	18/09/09
11	Kolkata	449.50	494.10	943.60	224.75	16/12/09
12	Dakshin Dinajpur	391.65	0.00	391.65	195.83	16/12/09
	Total of B	**27585.49**	**7422.65**	**35008.14**	**13816.04**	
C	**Haryana**					
1	Mewat	1200.00	0.00	1200.00	281.56	10-10-2008
2	Mewat*	1512.67	0.00	1512.67	669.22	31/12/08
3	Sirsa	900.90	450.00	1350.90	900.90	31/12/08 & 30/10/09
	Total of C	**3613.57**	**450.00**	**4063.57**	**1851.68**	

D	**Assam**				12.90	12-04-2009 (for IT Cell)
1	Berpeta	6320.33	0.00	6320.33	3160.17	26/12/08
2	Kamrup	1039.50	925.10	1964.60	519.75	26/12/08
3	Darrang	1093.45	5.95	1099.40	546.73	26/12/08
4	Bongaigaon	845.47	0.00	845.47	355.27	17/06/09
5	Goalpara	2655.51	101.13	2756.64	1327.76	16/12/09
6	Dhubri	3110.88	287.24	3398.12	1555.44	20/08/09
7	Marigaon	1799.38	1.35	1800.73	899.69	20/08/09
8	Nagaon	1670.13	445.00	2115.13	835.07	20/08/09
9	Karimganj	2777.90	0.00	2777.90	1388.95	20/08/09
10	Cachar	519.75	0.00	519.75	259.88	20/08/09
11	Hailakandi	2202.71	0.00	2202.71	1101.36	20/08/09
	Total of D	**24035.01**	**1765.77**	**25800.78**	**11962.97**	
E	**Manipur**					
1	Senapati	1037.39	180.00	1217.39	1037.39	31/12/08 & 21/12/09
1A	Senapati*	830.00	0.00	830.00	415.00	30/10/09
2	Ukhrul	686.46	967.50	1653.96	686.46	31/12/08 & 30/12/09
2A	Ukhrul*	333.00	0.00	333.00	166.50	15/12/09
3	Churachandpur	1492.58	45.00	1537.58	746.29	31/12/08
4	Thoubal	630.00	0.00	630.00	315.00	31/12/08
5	Chandel	1518.75	900.00	2418.75	759.38	31/12/08
6	Tamenglong	658.35	0.00	658.35	329.18	31/12/08
	Total of E	**7186.53**	**2092.50**	**9279.03**	**4455.20**	
F	**Bihar**					
1	Katihar	1042.39	-	1042.39	521.21	02-12-2009
2	Araria	1108.17	226.43	1334.60	554.09	02-12-2009
	Araria*	4366.94	0.00	4366.94	2183.45	21/12/09
3	Darbhanga	1199.81	-	1199.81	599.91	02-12-2009
4	Kishanganj	3168.49	0.00	3168.49	1584.25	25/06/09
	Kishanganj*	1912.88	0.00	1912.88	956.42	21/12/09
5	Purnia	3185.80	251.25	3437.05	1592.90	25/06/09
6	Sitamarhi	600.00	0.00	600.00	300.00	25/06/09
7	West Champaran	1618.01	202.40	1820.41	809.00	21/12/09
	Total of F	**18202.49**	**680.08**	**18882.57**	**9101.23**	

G	**Meghalaya**					
1	West Garo Hills	2157.67	308.76	2466.43	1078.84	09-04-2009
H	**A&N Island**				4.02	12-08-2009
1	Nicobar	229.95	37.50	267.45	105.12	12-07-2009
	Total of H	**229.95**	**37.50**	**267.45**	**109.14**	
I	**Jharkhand**					
1	Pakur	2605.32	196.98	2802.30	1302.66	06-05-2009
2	Shahibganj	1982.46	300.00	2282.46	991.23	06-05-2009
	Shahibganj*	2474.75	111.15	2585.90	1237.38	21/12/09
3	Gumla	1689.21	240.00	1929.21	844.61	21/12/09
	Total of I	**8751.74**	**848.13**	**9599.87**	**4375.88**	
J	**Orissa**					
1	Gajapati	563.18	0.00	563.18	281.60	23/09/09
	Gajapati*	1506.75	0.00	1506.75	753.38	19/11/09
	Total of J	**2069.93**	**0.00**	**2069.93**	**1034.98**	
K	**Kerala**					
1	Wayanad	153.00	227.50	380.50	76.50	12-01-2009
L	**Karnataka**					
1	Gulbarga	299.78	0.00	299.78	149.89	24/07/09
	Gulbarga*	300.00	0.00	300.00	150.00	21/12/09
2	Bidar	524.36	0.00	524.36	262.19	12-08-2009
	Total of L	**1124.14**	**0.00**	**1124.14**	**562.08**	
M	**Maharastra**					
1	Parbhani	1177.50	0	1177.50	588.75	18/11/09
2	Washim	525.00	0.00	525.00	262.50	18/11/09
3	Buldana	1498.50	0.00	1498.50	749.25	18/11/09
	Total of M	3201.00	0.00	3201.00	1600.50	
N	**Mizoram**					
1	Lawngtlai	62.37	40.00	102.37	31.19	14/12/09
2	Mamit	337.82	40.00	377.82	168.91	14/12/09
	Total of N	**400.19**	**80.00**	**480.19**	**200.10**	
O	**Uttrakhand**					
1	Hardwar	300.00	0.00	300.00	150.00	31/07/09
2	Uddham Singh Nagar	372.00	0.00	372.00	186.00	31/07/09
	Total of O	**672.00**	**0.00**	**672.00**	**336.00**	
P	**J & K**					
1	Leh (Ladakh)	1186.79	374.44	1561.23	593.37	12-12-2009
76	**Grand total**	**150693.35**	**24795.81**	**175489.16**	**78420.42**	

***Ist Revised plan**

ANNEX-VI

A comparative statement of various schemes of scholarship

S. No.		Pre-matric	Post-matric	Merit-cum-means
1	Coverage	I-X	XI-XII ITI, ITC (Private ITI) B.A., B.Com., B.Sc. M.A., M.Com., M.Sc. M. Phil, Ph.D. Courses not covered under MCM, P.G. Diplomas	
2	Annual Income ceiling	Rs. 1 lakh	Rs. 2 lakh	Rs. 2.5 lakh
3	11th Five Year Plan Physical target (No. of scholarships)	25 lakh	15 lakh	0.70 lakh
4	Physical target in 2009-10 (No. of scholarships)	15 lakh	3 lakh	0.42 lakh
5	Earmarking for girls	30%	30%	30%
6	Financial allocation 2009-10	Rs. 200 Crore	Rs. 150 Crore	Rs. 100 Crore
7	Financial allocation of 11th	Rs. 1400 Crore	Rs. 1150 Crore	Rs. 600 Crore
8	Marks eligibility	>50%	>50%	>50%
9	Administrative expense	1%	2%	3%
10	Funding ratio between Centre & States	75:25	100% Central Share	100% Central Share
11	Year of Commencement of the scheme	2008-09	2007-08	2007-08

Contd.....

ANNEX-VI

Scholarship Schemes at a glance

Scheme	Eligibility			Admission fee			Tuition fee		Maintenance allowance	
(For both girls & boys - 30% scholarships earmarked for girl students)	Class	Minimum % of Marks	Annual Income	Class	Hostler	Day Scholar	Hostler	Day Scholar	Hostler	Day Scholar
Pre-matric scholarship scheme for students belonging to the minority communities	I-X	50	Rs. 1 lakh	I-V	Nil		Nil		Nil	Rs. 100/- per month
				VI-X	Rs. 500/- per annum (subject to actuals)		Rs. 350/- per month (subject to actuals)		Rs. 600/- per month (subject to actuals)	Rs. 100/- per month
Post-matric scholarship scheme for students belonging to the minority communities	XI-Ph.D.	50	Rs. 2 lakhs	XI-XII (including Vocational courses)	Actual subject to a maximum ceiling of Rs. 7,000/- per annum				Rs.235/- per month	Rs.140/- per month
				UG & PG	Actual subject to a maximum ceiling of Rs. 3,000/- per annum				Rs.335/- per month	Rs.185/- per month
				M.Phil & Ph.D.	Nil				Rs.510/- per month	Rs.330/- per month
MCM based Scholarship Scheme to Students belonging to minority communities	Tech. & Prof. Courses	50	Rs. 2.5 lakhs	UG & PG	Rs.30000/-*		Rs.25000/-*		Rs. 1000/- per month	Rs. 500/- per month

* For the listed institutes full course fee is re-imbursable. Under this scheme, 70 institutes are listed all over India.

ANNEX-VII

LIST OF STATE WAQF BOARDS

Sl. No.	Name
1.	Andaman & Nocober Islands
2.	Andhra Pradesh
3.	Assam
4.	Bihar: Shia Waqf Board
5.	Bihar: Sunni Waqf Board
6.	Chhattisgarh
7.	Chandigarh
8.	Dadra & Nagar Haveli
9.	Delhi
10.	Gujarat
11.	Himachal Pradesh
12.	Haryana
13.	Karnataka
14.	Kerala
15.	Lakshadweep
16.	Madhya Pradesh
17.	Maharashtra
18.	Manipur
19.	Meghalaya
20.	Orissa
21.	Puducheri
22.	Punjab
23.	Rajasthan
24.	Tamil Nadu
25.	Tripura
26.	Uttar Pradesh: Shia Waqf Board
27.	Uttar Pradesh: Sunni Waqf Board
28.	Uttarakhand
29.	West Bengal
30.	Jammu & Kashmir (Not covered under the Waqf Act, 1995)

ANNEX-VIII

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

Statewise summary of grants-in-aid sanctioned since inception upto 31.12.2009

S.No.	State/U.Ts	Amount Sanctioned (Rs.in lakhs)	No. of NGOs
1	Andaman	35	3
2	Andhra Pradesh	1021.3	62
3	Assam	220	14
4	Bihar	517.02	33
5	Delhi	174.55	15
6	Goa	53	3
7	Gujarat	844.12	57
8	HP	1	1
8	Haryana	197.6	16
9	Jammu & Kashmir	216.42	14
10	Jharkhand	93	6
11	Karnataka	1078.17	71
12	Kerala	886	46
13	Madhya Pradesh	399.78	37
14	Maharashtra	1829.84	138
15	meghalaya	15	1
16	nagaland	13.5	1
15	Manipur	125	9
16	Orissa	37.62	7
17	Punjab	61.67	6
18	Rajasthan	272.5	18
19	Tamil Nadu	401.28	26
20	Uttaranchal	70	6
21	Uttar Pradesh	3841.86	353
22	West Bengal	381.4	27
	TOTAL	**12786.63**	**970**

ANNEX-IX

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

Statement showing state-wise scholarship sanctioned to Meritorious Girl Students upto 31.12.2009

Sl. No.	Name of State/UT	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07		2007–08		2008–09		TOTAL	
		No. of Scholarship	Amount (Rs. in Lac)	No. of Scholarship	Amount (Rs. in Lac)	No. of Scholarship	Amount (Rs. in Lac)	No. of Scholarship	Amount (Rs. in Lac)	No. of Scholarship	Amount (Rs. in Lac)	No. of Scholarship	Amount (Rs. in Lac)	No. of Scholarship	Amount (Rs. in Lac)
1	Andaman & Nicobar	0	0	0	0	4	40000	0	0	0	0	0	0	4	40000
2	Andhra Pradesh	53	530000	110	1100000	145	1450000	111	1110000	223	2676000	828	9936000	1470	16802000
3	Arunachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4	Assam	2	20000	81	810000	131	1310000	115	1150000	128	1536000	419	5028000	876	9854000
5	Bihar	2	20000	178	1780000	221	2210000	342	3420000	342	4104000	680	8160000	1765	19694000
6	Chhattisgarh	8	80000	9	90000	12	120000	2	20000	2	24000	0	0	33	334000
7	Chandigarh	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12000	2	24000	3	36000
8	Delhi	7	70000	50	500000	48	480000	26	260000	51	612000	72	864000	254	2786000
9	Dadar & Nagar Haveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	36000	3	36000
11	Goa	0	0	8	80000	6	60000	0	0	0	0	0	0	14	140000
12	Gujarat	0	0	505	5050000	77	77000	391	3910000	147	1764000	623	7476000	1743	18277000
13	Haryana	8	80000	5	50000	0	0	4	40000	2	24000	7	84000	26	278000
14	Himachal Pradesh	4	40000	0	0	0	0	4	40000	0	0	0	0	8	80000
15	Jammu & Kashmir	0	0	319	3190000	34	340000	21	210000	55	660000	21	252000	450	4652000
16	Jharkhand	2	20000	40	400000	62	620000	65	650000	119	1428000	670	8040000	958	11158000
17	Karnataka	31	310000	137	1370000	838	8380000	122	1220000	127	1524000	355	4260000	1610	17064000
18	Kerala	80	800000	150	1500000	159	1590000	229	2290000	462	5544000	2884	34608000	3964	46332000
19	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Contd.....

ANNEX-IX (Contd)

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

Statement showing state-wise scholarship sanctioned to Meritorious Girl Students upto 31.12.2009

Sl. No.	Name of State/UT	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07		2007–08		2008–09		TOTAL	
		No. of Scholarship	Amount (Rs. in Lac)	No. of Scholarship	Amount (Rs. in Lac)	No. of Scholarship	Amount (Rs. in Lac)	No. of Scholarship	Amount (Rs. in Lac)	No. of Scholarship	Amount (Rs. in Lac)	No. of Scholarship	Amount (Rs. in Lac)	No. of Scholarship	Amount (Rs. in Lac)
20	Madhya Pradesh	17	170000	70	700000	64	640000	134	1340000	123	1476000	371	4452000	779	8778000
21	Maharashtra	53	530000	147	1470000	406	4060000	165	1650000	336	4032000	1390	16680000	2497	28422000
22	Manipur	11	110000	11	110000	12	120000	1	10000	2	24000	19	228000	56	602000
23	Meghalaya	0	0	0	0	2	20000	2	20000	1	12000	3	36000	8	88000
24	Mizoram	0	0	2	20000	13	130000	0	0	0	0	0	0	15	150000
25	Nagaland	8	80000	0	0	0	0	11	110000	0	0	0	0	19	190000
26	Orissa	12	120000	30	300000	13	130000	12	120000	24	288000	49	588000	140	1546000
27	Puducherry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12000	1	12000
28	Punjab	4	40000	14	140000	15	150000	0	0	13	156000	8	96000	54	582000
29	Rajasthan	2	20000	41	410000	76	760000	135	1350000	162	1944000	408	4896000	824	9380000
30	Sikkim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Tamil Nadu	34	340000	120	1200000	91	910000	21	210000	122	1464000	990	11880000	1378	16004000
32	Tripura	0	0	0	0	3	30000	3	30000	2	24000	1	12000	9	96000
33	Uttar Pradesh	174	1740000	452	4520000	727	7270000	1598	15980000	1016	12192000	839	10068000	4806	51770000
34	Uttarakhand	6	60000	11	110000	14	140000	7	70000	6	72000	35	420000	79	872000
35	West Bengal	116	1160000	291	2910000	398	3980000	325	3250000	545	6540000	1386	16632000	3061	34472000
	TOTAL	**634**	**6340000**	**2781**	**27810000**	**3571**	**35710000**	**3846**	**38460000**	**4011**	**48132000**	**12064**	**144768000**	**26907**	**301220000**